मॉयल

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड

का खरीद पत्रक

प्रस्तावना

उद्देश्य

सतत विकास के माध्यम से राष्ट्रीय समृद्धि की ओर सामग्री प्रबंधन में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।

आचार संहिता

व्यवसाय संबंधी आचरण के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में, मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के सभी क्रय संबंधी और अन्य अधिकारी नैतिकता के निम्नलिखित आचरण का पालन करने के लिए बाध्य हैं:

-कार्यालय की गरिमा और जिम्मेदारी को प्रभावित किए बिना सभी लेनदेन में सबसे पहले मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के हित पर विचार करने के लिए।
- सभी बोली लगाने वालों/ दावेदारों को स्तरीय कार्यक्षेत्र प्रदान करने के लिए।
-सभी लेन-देन में इष्टतम सौदा प्राप्त करने के लिए पूर्वग्रह के बिना खरीद करने के लिए।
- वाणिज्यिक अनाचार के सभी तरीकों और अभिव्यक्तियों को नकारने और खरीद के लिए ईमानदारी और सच्चाई स्वीकार करने और काम के दौरान असामाजिक प्रथाओं से परहेज करने के लिए।

-परिस्थितियां जैसी अनुमति दें उनके अनुसार, वैधानिक तरीके व्यापार उद्देश्य से आमंत्रितों का त्वरित और शालीन तरीके से सहमति से तालमेल बनाने के लिए।
- एक स्वस्थ व्यावसायिक कार्यप्रणाली के रूप में व्यक्ति और संस्थान के दायित्यों का तर्कसंगत सम्मान करने के लिए।
- क्रेता-विक्रेता के बीच स्वस्थ और सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए।

.....

खरीद नियमावली की प्रासंगिकता

यह नियमावली एक दिशानिर्देश है और सभी खरीद को इसमें नियत की गई प्रक्रिया के अनुसार ही नियंत्रित किया जाना है। हालांकि, कुछ विशिष्ट मामलों में, दिशानिर्देशों में इंगित नहीं किए गए तरीकों को अपनाकर सामग्रियों की व्यवस्था करना आवश्यक हो सकता है। ऐसे मामले में, कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की विशेष मंजूरी, इसके बाद **मॉयल के सीएमडी को निर्दिष्ट** मंजूरी प्राप्त करनी होगी, जिसमें इस बात का उल्लेख करना होगा कि इस तरह की खरीद क्रय नियमावली के निर्देशों के अनुसार न करना क्यों आवश्यक है।

.....

खंड – I

संस्थान

1.1 मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम है। कंपनी का निदेशक मंडल है जिसके प्रमुख अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक हैं।

कंपनी की पृष्ठभूमि

मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड (मॉयल) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम मिनीरत्न मूल रूप से वर्ष 1896 में सेंट्रल प्रोस्पेक्टिंग सिंडिकेट के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में ब्रिटेन में शामिल एक ब्रिटिश कंपनी सेंट्रल प्रोविंस मैंगनीज ओर कंपनी लिमिटेड (सीपीओओ) के रूप में बदल दिया गया। 1962 में, भारत सरकार और सीपीएएमओ के बीच एक समझौते के परिणामस्वरूप, सरकार द्वारा सीपीएमओ की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया और भारत सरकार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सरकारों की 51%और शेष सीपीएमओ की 49% पूंजी के साथ मॉयल का गठऩ किया गया। वर्ष 1977 में शेष 49% शेयरधारिता सीपीएमओ से प्राप्त की गई और मॉयल इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली 100% सरकारी कंपनी बन गई।

वर्तमान में, मॉयल 10 खदानों का संचालन कर रही है जिनमें से 6 महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों में और 4 मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में स्थित हैं। ये सभी खदानें करीब सौ साल पुरानी हैं। तीन को छोड़कर, बाकी सभी भूमिगत प्रणाली से काम करती हैं। बालाघाट खदान कंपनी की सबसे बड़ी खदान है जो देश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली मैंगनीज अयस्क का उत्पादन करती है और यह एशिया की सबसे गहरी भूमिगत मैंगनीज खदान भी है। खदान अब सतह से 500 मीटर से अधिक की गहराई तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के भंडारा ज़िले में स्थित डोंगरी बुज़ुर्ग खदान सबसे बड़ी ओपेनकास्ट(खुली खुदाई वाली) खदान है जो सूखी बैटरी उद्योग द्वारा उपयोग किए जाने वाले मैंगनीज डाइऑक्साइड अयस्क का उत्पादन करती है। मैंगनीज ऑक्साइड के रूप में इस अयस्क का उपयोग पशु आहार और उर्वरकों के लिए सूक्ष्म पोषक के रूप में किया जाता है। मॉयल भारत में डाइऑक्साइड अयस्क की कुल आवश्यकता की लगभग 70% की आपूर्ति करता है। सभी खदानों से मैंगनीज अयस्क का कुल उत्पादन देश की आवश्यकता का लगभग 65% है। वर्तमान में, वार्षिक उत्पादन लगभग 0.9 मिलियन टन है जो आने वाले वर्षों में बढ़ने की उम्मीद है। मॉयल ने मैंगनीज अयस्क की उपयोगिता

अनुवृद्धि के लिए अपनी विविधीकरण योजना के अनुसार फेरो मैंगनीज प्लांट (10,000 टन प्रतिवर्ष) और इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) प्लांट (1000 टन प्रतिवर्ष) की स्थापना की है। मॉयल आगे कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने, फेरो मैंगनीज संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने और वैश्विक स्तर पर फेरो मिश्रित धातु की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नया सिलिको मैंगनीज प्लांट स्थापित करने पर विचार कर रहा है। मॉयल, लगभग 7000 कर्मचारियों के कुल कार्यबल के साथ मैंगनीज खनन उद्योग में सबसे बड़ा नियोक्ता है।

1.2 मॉयल में खरीद कार्य सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा किए जाते हैं। खदान / उपभोक्ता विभाग / अधिकारियों द्वारा भी उन्हें सौंपे गए अधिकारों के अनुसार खरीद कार्य किए जाते हैं।

खंड-II

उद्देश्य और क्रय नीति

2.1 प्राथमिक उद्देश्य मांगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार से संयंत्र के उपकरण, पुर्जों और भंडार की अन्य सामग्रियों की खरीद इस लक्ष्य से करना हैः

अ) उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार सही आपूर्ति द्वारा उत्पादन की निरंतरता में मदद करना और बनाए रखना।
ब) यह सुनिश्चित करना कि खरीदी गई वस्तुएं उनकी गुणवत्ता, स्थायित्व, दक्षता आदि को ध्यान में रखते हुए सबसे अधिक किफायती हैं।
स) जारी विक्रेता संबंधों को ईमानदारी और समानता के साथ प्रभावी तरीके से विकसित करना।

2.2 प्राप्त सामग्री होनी चाहिएः
अ) उचित गुणवत्ता की:
ब) उचित मात्रा में:

स) उचित समय पर:

द) उचित मूल्यों पर:

इ) उचित स्रोतों द्वारा।

2.3 आर्डर स्थापन के लिए निविदा के अनुशंसित तरीके निम्नलिखित हैं:

i) घरेलू खुली निविदा (विज्ञापित)

ii) वैश्विक निविदा (विज्ञापित)

iii) सीमित निविदा

iv) स्वामित्व और गैर-स्वामित्व वाली वस्तुओं के लिए एकल पूछताछ।

अ) ऑर्डर की स्थापना के लिए निविदा के उपरोक्त तरीकों के अलावा, प्रत्यक्ष ऑर्डर की स्थापना के लिए निम्नलिखित तरीकों पर भी विचार किया जा सकता है:

i) आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) की अनुबंध दरों का संचालन।

ii) बड़ी मांग और आवर्ती प्रकृति के राजस्व मदों के लिए मॉयल द्वारा निर्धारित दर और अनुबंधों का परिचालन और यदि कुछ कम पूंजीगत वस्तुओं के लिए जिनकी आवश्यकता अक्सर और लगातार होती है उनका परिचालन।

iii) ऑर्डर का दोहराव

iv) निर्देशित मूल्य निर्धारण वाले उत्पादों के लिए ऑर्डर।

v) प्रतिनिधिमंडल के अधिकार के अनुसार आपातकालीन खरीद / स्थानीय खरीद / समिति की खरीद

vi) कम मूल्य की खरीद के लिए स्थानीय / नकद खरीद।

vii) निविदा के बिना खरीद (मोलभाव)

(सीवीसी परिपत्र संख्या 23/7/07 दिनांक.05 / 07/2007 देखें)

.

2.4 विज्ञापित निविदा

2.4.1 अ) आम तौर पर सभी अनुरोध जहां मांगपत्र मूल्य रु. 30 लाख या उससे अधिक है, समाचार पत्रों में विज्ञापित किया जा सकता है, विज्ञापन में वेब साइट के पते का उल्लेख / समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा आमंत्रित करने की सूचना के साथ-साथ वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की सुविधा होनी चाहिए।

ब) वैश्विक निविदा के लिए, विज्ञापन भारतीय व्यापार दैनिक पत्र और भारतीय निर्यात बुलेटिन में भी प्रकाशित किया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों को डाउनलोड करने की सुविधा के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन / निविदा आमंत्रित करने की सूचना में वेब साइट का पता अवश्य दिया जाना चाहिए।
स) वेब साइट में निविदा नोटिस भी प्रकाशित की जानी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ पूरा बोली दस्तावेज मॉयल की वेब साइट पर प्रकाशित किया जाएगा। वेब साइट के माध्यम से निविदा पत्र की बिक्री निम्नलिखित द्वारा निर्देशित की जाएगी:

i) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वेब साइट की इस सुविधा का उपयोग करने वाली फर्मों को फिर से निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के उद्देश्य से विभाग से कुछ अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त करने के लिए नहीं कहा जाएगा, अर्थात् सभी अद्यतन दस्तावेज उपलब्ध रहेंगे और निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कानूनी रूप से समान रूप से मान्य होंगे जिस तरह मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से विभाग से प्राप्त मैनुअल दस्तावेज होते हैं।
ii) पूरा आवेदन पत्र डाउनलोड करने के उद्देश्यों के लिए वेब साइट पर उपलब्ध होना चाहिए और इस तरह के फॉर्म पर किए गए आवेदन को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए वैध माना जाएगा। वेबसाइट से टेंडर पेपर डाउनलोड करने की अंतिम तिथि को टेंडर पेपर की मैन्युअल बिक्री की अंतिम तिथि के साथ मेल खाना चाहिए।

iii) वेब साइट से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र के निमित्त प्रस्तुत बोली तभी मान्य मानी जाएगी, जब निविदा आमंत्रित करने की सूचना द्वारा इंगित निविदा दस्तावेजों की लागत के लिए मॉयल के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट तैयार किया जाए।

2.4.2 हालांकि, विज्ञापित निविदा किसी भी मद में प्रक्रियाओं और सामग्रियों, अतिरिक्त पुर्जों या उपभोग्य भंडारों के लिए, निम्नलिखित शर्तों के तहत, मांग पत्र के मूल्य के बावजूद, भेजी जा सकती है:

अ) स्रोत सीमित हैं और जिनके उत्पाद प्रमाणित हैं।

ब)मांगे गये माल पर मूल सामग्री निर्माता का मालिकाना है। इस मामले में, संबंधित तकनीकी विभाग के प्रमुख द्वारा एक स्वामित्व प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

स) मांग अत्यावश्यक है इसकी संबंधित विभाग द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए, इस मामले मे, ज्ञात और स्थापित स्रोतों की सूची विभाग प्रमुख (तकनीक विभाग) द्वारा जांची जानी चाहिए।

द) खरीदे जाने वाले सामानों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक होगी।

ई) उचित औचित्य के साथ कोई अन्य परिस्थिति।

उपरोक्त (अ) से (ई) उल्लिखित किसी भी मामले में, खरीद मुख्य प्रबंध निदेशक की मंजूरी के अधीन सीमित / एकल निविदा पूछताछ के माध्यम से की जा सकती है। ऐसे सभी मामलों में, विक्रेताओं की सूची को संबंधित निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

.

2.5 सीमित निविदाएं

2.5.1 सीमित निविदाएं तब जारी की जाएंगी:

अ) यदि अनुरोध के मांग पत्र का मूल्य 30 लाख रुपये से कम है।

ब) यदि उपरोक्त परिच्छेद 2.4.2 के अतर्गत (बी को छोड़कर) आता है।

2.5.2 2.5.1 (अ) के मामले में, पूछताछ निम्नलिखित को जारी की जा सकती हैं-
i) पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (यदि पंजीकृत आपूर्तिकर्ता सूची उपलब्ध है) और / या
(ii) उन फर्मों के लिए जो नियमित रूप से निविदा में भाग लेती रही हैं और जिनके उत्पाद प्रमाणित हैं और / या
(iii) जिनके नाम संबंधित तकनीक विभाग प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख द्वारा विक्रेताओं की सूची को अनुमोदित किया जाएगा। यदि उपरोक्त तीन विकल्पों के साथ पर्याप्त संख्या में विक्रेताओं को निर्धारित नहीं किया जा सकता हो तो, आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, भारतीय मानक ब्यूरो, चैंबर ऑफ कॉमर्स, अखिल भारतीय निर्माता संघों, व्यापार संघों, येलो पेजेस, आदि जैसी प्रतिष्ठित एजेंसियों द्वारा प्रकाशित विक्रेताओं निर्देशिकाओं से सहायता प्राप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में जहां निविदा सूचनाएं सीमित संख्या में प्रमाणित/पंजीकृत निविदाकर्ताओं को जारी की गई हों, जो जो विज्ञापित निविदाओं के निमित्त प्रमाणित / पंजीकृत हो गए हैं, सभी प्रमाणित / पंजीकृत फर्मों को पूछताछ भेजी जानी चाहिए।

2.5.3 हालांकि, उपरोक्त बातों के बावजूद, कुछ परिस्थितियों में जहां यह सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख की राय में यह माना जाता है कि किसी फर्म को पूछताछ की सूची में शामिल करना कंपनी के सर्वोत्तम हित में होगा, भले ही फर्म पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में दिखाई न दे रही हो, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद उसे पूछताछ में शामिल किया जा सकता है। निविदाकर्ताओं की संख्या, जिनको पूछताछ जारी की जाएगी, खरीद के मूल्य पर निर्भर करेगी। किसी भी स्थिति में निविदाकर्ताओं की संख्या तीन से कम नहीं होनी चाहिए। सीमित निविदा जारी करने का निर्णय सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख के अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

.

2.5.4 सुरक्षा वस्तुओं के लिए सीमित निविदाएं

सुरक्षा वस्तुएं जो आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के अनुमोदन के अंतर्गत हैं, उनकी खरीद वैध अनुमोदन और प्रमाणपत्रों के साथ पंजीकृत/सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं/ निर्माताओं तक सीमित होगी। खुली वैश्विक निविदा का उपयोग विशेष अवसरों पर किया जाएगा, जब वैश्विक निर्माताओं को खान सुरक्षा महानिदेशालय का अनुमोदन प्राप्त करने के अधिकारी के रूप में जाना जाता हो। खरीद के विचाराधीन मदों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय अनुमोदित फर्मों की सूची ऐसे अनुमोदन की वैधता के साथ सीधे खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त की जानी चाहिए। खरीद के विचाराधीन मदों के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय अनुमोदित फर्मों की सूची सीधे इस तरह के अनुमोदन की वैधता के साथ खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्राप्त की जानी चाहिए।

2.5.5 सीमित निविदा (लिमिटेड टेंडर) को समय से काफी पहले रजिस्टर्ड पोस्ट / स्पीड पोस्ट द्वारा जारी किया जाना चाहिए या आपूर्तिकर्ता द्वारा विधिवत प्राप्त किया जाना चाहिए।

2.6 एकल निविदा का वितरण

किसी भी उपकरण के पुर्जों के लिए एकल निविदा, संबंधित तकनीकी विभाग के प्रमुख द्वारा प्रदान किए जाने वाले स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार जारी की जा सकती है। सामग्री विभाग के परामर्श से तकनीकी प्रमुख द्वारा जहां तक संभव हो, ऐसी खरीद से विक्रय गई वस्तुओं को खरीद से बाहर किया जाना चाहिए। इस तरह की खरीद के लिए उचित औचित्य देने पर कुछ विशेष तकनीकी विचार पर एकल जांच भी जारी की जा सकती है और उसके बाद खरीद को एक विशिष्ट ब्रांड/मॉडल/स्रोत तक सीमित रखा जा सकता है। ऐसे सभी मामलों में, मांगकर्ता को निदेशक प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग से मंजूरी लेनी होगी।

2.7 दर अनुबंधों का संचालन

पुनरावृत्ति के आधार पर आवश्यक वस्तुओं के संबंध में, खरीद दर अनुबंध के निम्न आधार पर की जा सकती है:

अ) कंपनी, अनुबंध में नामित प्रत्यक्ष मांग अधिकारियों के माध्यम से।

b) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, आपूर्तिकर्ता द्वारा पुष्टि प्राप्त करने के बाद कि वे समान दरों, नियम और शर्तों पर आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं। आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय को दर अनुबंध के संचालन के दौरान या उसके संचालन से पहले, दर के बारे में बाजार की प्रतिक्रिया जानने की आवश्यकता होगी। ऊपर (बी) के मामले में, अधिकारियों को खरीदने के लिए अधिकार खुली निविदा के लिए समान होंगे।

c) ऐसे दर संविदा की वैधता, जहां तक हो अनुबंध जारी करने की तारीख से एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होनी चाहिए।

2.8 आर्डर का दोहराव (रिपीट ऑर्डर)

2.8.1 सामान्यतौर पर रिपीट ऑर्डर टालना चाहिए। इन्हें नियम के बजाय अपवाद के रूप में अधिक रखा जाना चाहिए; केवल उन मामलों में जहां यह व्यावसायिक रूप से फायदेमंद है।

2.8.2 रिपीट ऑर्डर किसी भी पिछले स्वयं के आदेशों के विरुद्ध रखा जा सकता है, जो सामान्य निविदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप रखा गया था, यदि मांग अत्यावश्यक है और इसकी वजह से निविदा न केवल खरीद में देरी कर सकती है, बल्कि उच्च कीमतों को भी आमंत्रित कर सकती है। अन्य मामलों में, रिपीट ऑर्डर को उचित औचित्य के साथ रखा जा सकता है।

2.8.3 उपरोक्त मामलों में, रिपीट ऑर्डर जारी करने से पहले समान नियमों और शर्तों की स्वीकृति के बारे में संबंधित आपूर्तिकर्ता से एक विशिष्ट पुष्टि प्राप्त की जानी चाहिए।

2.8.4 उपरोक्त के अलावा, रिपीट की स्थिति के लिए किसी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा:

i) रीपिट ऑर्डर मूल आदेश मात्रा का 50% से अधिक नहीं होना चाहिए।

ii) रिपीट ऑर्डर के प्रस्ताव की तारीख मूल आदेश के स्थानन से एक वर्ष (12 महीने) की अवधि से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

iii) रिपीट ऑर्डर के आधार पर क्रय की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें कच्चे माल की लागत में गिरावट, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, उत्पादन और करों में वृद्धि, शुल्क आदि के कारण अंतरिम तौर पम नीचे नहीं आएंगी।

2.8.5 यदि पहले कोई वितरण ऑर्डर प्राथमिकता के आधार पर दिया गया है, तो कोई भी रिपीट ऑर्डर नहीं रखा जाएगा।

2.9 निर्देशित मूल्यों के साथ वस्तुएं

a) इस तरह की वस्तुओं के लेन-देन के लिए संबंधित मूल्य प्रबंधन प्राधिकरण/सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया का इस मामले में इस तरह की वस्तुओं से निपटने वाली एजेंसी को सावधानीपूर्वक अध्ययन और पालन करना होगा।

2.10 समिति खरीद

2.10.1 अत्यावश्यक खरीद

तात्कालिकता के मामलों में, जिनमें जान-माल के नुकसान का जोखिम होता है, प्राकृतिक आपदाओं के परिणाम/या खदान में दुर्घटना जो उत्पादन/संचालन में रुकावट / नुकसान का कारण बनेगी, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व का काफी नुकसान होगा, या अत्यंत महत्वपूर्ण मामला हो, तो सामान्य निविदा प्रक्रियाओं का सहारा लिए बिना आपातकालीन खरीद का सहारा लिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

i) सामग्रियों के स्पष्ट विवरण के साथ एक आकस्मिक मांगपत्र को संबंधित तकनीकी विभाग द्वारा सक्षम स्वीकृति के साथ उठाया जाएगा।
ii) इस तरह की खरीद को अपनाने के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख से रुपए 2 लाख तक के मूल्य की प्राधिकृति प्राप्त की जाएगी। रुपए 2 लाख से अधिक मूल्य की और रुपए 5 लाख तक की खरीद के लिए, निदेशक (वाणिज्य) या निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) से अनुमोदन लिया जाएगा।
5 लाख रुपये से अधिक मूल्य की खरीद के लिए, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

iii) अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, खरीद का प्रबंधन करने के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख एक समिति को नामित कर सकते हैं, जिसमें सामग्री प्रबंधन विभाग, वित्त और अभियांत्रिकी विभाग का एक-एक अधिकारी शामिल होगा।

iv) आपूर्ति के ज्ञात प्रतिष्ठित स्रोतों से निविदाएं मौखिक/टेलीफ़ोनिक या लिखित पूछताछ करके प्राप्त की जा सकती हैं। जिन फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त किए जाएंगे, उनकी संख्या खरीद कार्यक्षम अधिकारी/ समिति द्वारा तय की जानी चाहिए। प्राप्त प्रस्ताव, एक तुलनात्मक विवरण वाले प्रोफार्मा में सारणीबद्ध किए जाएंगे और त्वरित वितरण और सबसे कम दर के लिए बातचीत की जा सकती है। खरीद की सिफारिश सामान्यतौर पर निम्नतम तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य निविदाकार के लिए की जाती है। एक औपचारिक ऑर्डर जारी करने से पहले, खरीद का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से आपातकालीन खरीद/ निविदा के बिना करने के उसके अधिकारों के अनुसार प्राप्त किया जा सकता है। वित्त की समयावधि को भी तदनुसार लिया जाना चाहिए, लेकिन यदि वित्त विभाग से कोई सदस्य खरीद समिति में शामिल किया जाता है, तो रुपए 2 लाख के खरीद मूल्य

तक किसी अन्य सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। रुपए 2 लाख से अधिक की खरीद मूल्य के लिए वित्तीय सहमति की आवश्यकता होगी। उपरोक्त प्रक्रिया केवल असाधारण मामलों में ही अपनाई जा सकती है। यदि खदानों के उत्पादन/ संचालन के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं में से किसी भी वस्तु की अप्रत्याशित कमी के कारण अत्यधिक आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होती है, तो उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार आपातकालीन खरीद का सहारा लिया जा सकता है और जिन परिस्थितियों में यह खरीद अपरिहार्य हो गई थी उनको स्पष्ट अभिलेखित किया जाना चाहिए।
.

v) यद्पि प्रयोजन संबंधी एक संक्षिप्त पत्र सफल निविदाकर्ता को कीमत, वितरण आदि की जानकारी देकर मौके पर या कूरियर द्वारा सौंपा जा सकता है, लेकिन नियम और शर्तों के साथ एक विस्तृत आपूर्ति आदेश जल्द से जल्द जारी किया जाना चाहिए।
vi) ऐसे सभी मामलों में, वितरण को सबसे तेज माध्यम द्वारा प्रबंधित किया जाना चाहिए। हालांकि, एयर कार्गो सेवा द्वारा प्रेषण के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख की विशेष मंजूरी ली जानी चाहिए।

2.10.2 विविध सामग्री, जैसे खेल सामग्री, अतिथि गृह की सामग्री, गणवेश और कंपनी के आधिकारिक कार्यक्रमों से संबंधित सामग्री

उपरोक्त मदों की खरीद एक समिति द्वारा की जा सकती है जिसमें उपयोगकर्ता विभाग, वित्त और अधिकारी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। उपरोक्त समिति के गठन और खरीद को निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। समिति द्वारा खरीद का मूल्य प्रत्येक मामले में रुपए 2.00 लाख तक सीमित होगा।

2.11 स्थल खरीद / नकद खरीद
निम्नलिखित स्थितियों में स्थल / नकद खरीद का सहारा लिया जा सकता है:

i) जब खरीद का मूल्य रु. 5000 / -(पांच हजार रुपए) से अधिक नहीं है
ii) जब सामग्री को नियमित रूप से खरीदा नहीं जाता है और/ या आमतौर पर वार्षिक मांगपत्र / सामग्री बजट में शामिल नहीं किया जाता है और

iii) जब सामग्री शोरूम या इस तरह की सामग्री विक्रय करने वाली विशेष दुकानों में एक्स-स्टॉक(तुरंत खरीद हेतु) उपलब्ध है।
iv) जब सामग्री उपयोगकर्ता को तत्काल आवश्यक है और

v) जब सामग्री ब्रांडेड/ मूल पैकिंग में पैक है या हो सकता है निर्माता की मानक वारंटी के आधार पर स्वीकार किया जाता है। स्थल/नकद खरीद उपयुक्त कैश मेमो, रसीद और किसी निर्माण दोष के निमित्त वारंटी प्रमाणपत्र यदि हो तो, प्राप्त करने के बाद डीलरों/ शो रूम से नकद भुगतान के आधार पर किया जाएगा।
ऐसे रुपए 25000 से लेकर रु. 50000 तक के मूल्य की प्रति वर्ष स्थल/नकद खरीद के लिए निदेशक (वाणिज्यिक) / निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) की स्वीकृति लेनी होगी।

खंड III

अधिकारों प्रत्यायोजन

3.1 सामग्री प्रबंधन विभाग के खरीद विभाग के अधिकारियों को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) द्वारा प्रत्यायोजित सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के निमित्त खरीद को या सीएमडी द्वारा अनुमोदित आवश्यकताओं के निमित्त खरीद करने का अधिकार है।

टिप्पणी:
i) स्वदेशी और आयातित सामग्रियों के लिए खरीद प्रस्ताव के मूल्य का मतलब गंतव्य तक सड़क से माल ढुलाई में सभी करों और शुल्कों और अन्य आकस्मिक

शुल्क (यदि कोई हो) का कुल मूल्य होगा। दर / रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, यह अनुबंधित अवधि के दौरान माल उठान का औसत मूल्य होगा।

ii) उपरोक्त सभी अधिकारों को वित्तीय सहमति के साथ प्रयोग किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां यह निर्दिष्ट किया जाता है कि खरीद प्रस्ताव के लिए किसी भी वित्तीय सहमति की आवश्यकता नहीं है, अधिकारों का उपयोग तदनुसार किया जा सकता है।

iii) जब भी पुर्जों की खरीद केवल मालिकाना आधार पर मूल उपकरण निर्माता से की जानी है, जैसा कि अध्याय-II में वर्णित है, अधिकारों का प्रत्यायोजन वैसा ही होगा जैसा कि विज्ञापित निविदा द्वारा खरीद के मामले में लागू होता है, जब तक कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार निर्दिष्ट न किया गया हो।

iv) जब भी विक्रेताओं को विज्ञापित निविदा के अनुसार छंटनी किया जाता है, और उस सूची को सीएमडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो ऐसे मामलो में खरीद का प्रस्ताव विज्ञापित निविदा पर लागू प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार होगा, जब तक कि अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार निर्दिष्ट न किया गया हो।

v) खरीद मामलों को अनुमोदित करने के लिए अधिकारों का प्रत्यायोजन समय-समय पर सीएमडी / कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है। उसी का पालन करना चाहिए।

vi) एक बार खरीद प्रस्तावों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित कर दिए जाने के बाद, जारी किए जाने वाले आपूर्ति आदेश खरीद अधिकारी द्वारा अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार हस्ताक्षरित किए जा सकते हैं।

खंड– IV

आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण

4.1 उचित समय में सामग्री, पुर्जों और सही गुणवत्ता के उपकरणों की आपूर्ति का भरोसेमंद स्रोत होने के लिए, आपूर्तिकर्ताओं को उनके पास उपलब्ध कुछ बुनियादी

सुविधाओं का पता लगाने के बाद पंजीकृत किया जाएगा। ऐसे पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के प्रदर्शन की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में किसी भी फर्म के नाम को शामिल कर या जिनका प्रदर्शन अपेक्षाअनुरुप नहीं है, उनका नाम हटाकर सूची को अद्यनत बनाए रखा जाएगा। सामग्री प्रबंधन विभाग आपूर्तिकर्ता की सूचियों का संधारण करेगा:

सूचियों में से हटाए गए / जोड़े गए आपूर्तिकर्ताओं के नाम नियमित रूप से अद्यतन किए जाने चाहिए.

4.1.1 सुरक्षा सामग्रियों के लिए आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण
(i) खान सुरक्षा महानिदेशालय के अनुमोदन के अंतर्निहित सुरक्षा वस्तुओं के लिए, प्रत्येक निर्माता के सामने वैध अनुमोदन का पूरा विवरण लिखा जाएगा।

(ii) उन सुरक्षा सामग्रियो के लिए जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों और भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणपत्र चिन्हांकन के अंतर्निहित हैं, इस तरह के अनुमोदन के लिए पूर्ण विवरण प्राप्त किया जाएगा और उनके नामों के सामने उल्लेख किया जाएगा।
(iii) सुरक्षा सामग्रियों जिनके लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय ने केवल परिपत्रों के माध्यम से डिजाइन और विनिर्देशों को मंजूरी दे दी है और निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं के लिए विशिष्ट अनुमोदन जारी नहीं किये हैं, ऐसी सामग्रियों के पूर्ण विवरण मान्यताप्राप्त परीक्षण अधिकारियों द्वारा उनके नामों के सामने उल्लिखित होंगे। ऐसे मामलों में मॉयल का सुरक्षा विभाग सुरक्षा और क्षेत्र परीक्षण विवरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। स्वीकृति तब तक अस्थायी हो सकती है, जब तक उत्पाद वास्तविक उपयोग की कसौटी में खरा साबित न हो।

(iv) भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अंतर्निहित, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन/ खान सुरक्षा महानिदेशालय के अनुमोदन में अंतर्निहित नहीं की गई

सुरक्षा सामग्रियों के लिए पूर्ण विवरण मान्यताप्राप्त परीक्षण अधिकारियों द्वारा उनके नामों के सामने उल्लिखित होंगे यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके उत्पाद संबंधित विनिर्देशों के अनुरूप हैं। मॉयल का सुरक्षा विभाग सुरक्षा और क्षेत्र परीक्षण विवरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अनुमोदन प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान (सीएआरआई), धनबाद को ऐसी सुरक्षा सामग्रियों के परीक्षण के लिए सामान्य रूप से अनुमोदन परीक्षण संस्थान माना जाना चाहिए।

(v) किसी भी भारतीय मानक ब्यूरो विनिर्देशों या किसी भी प्राधिकरण से किसी भी अनुमोदन के अन्तर्निहित नहीं की गई सुरक्षा सामग्री, उदाहरण के लिए छत के लिए लोहे का सहारा, लोहे की अन्य सामग्रियां, छत बोल्ट, आदि के लिए मॉयल के सुरक्षा विभाग विशिष्ट विनिर्देशों को जारी करेगा और निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को मान्यताप्राप्त परीक्षण प्राधिकरण द्वारा अपने उत्पाद को परीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा। क्षेत्र परीक्षणों के बाद और संतोषजनक प्रदर्शन पर इन्हें मॉयल के सुरक्षा विभाग द्वारा अस्थायी स्वीकृति दी जा सकती है। इस प्रकार के परीक्षण प्रमाणपत्र और क्षेत्र परीक्षण रिपोर्ट के पूर्ण विवरणों को निर्माताओं / आपूर्तिकर्ताओं के नाम के सामने उल्लिखित किया जा सकता है।

4.2 निरीक्षण टीम का निर्माण
विक्रेताओं के पंजीकरण के उद्देश्य से विशेष रूप से एक निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा। टीम में निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
अ) खरीद विभाग का प्रतिनिधि
ब) संबंधित तकनीकी विभाग का प्रतिनिधि।
स) वित्त विभाग का प्रतिनिधि।
उपरोक्त समिति का गठन निदेशक (वाणिज्यिक) / निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) के अनुमोदन से, जैसा भी मामला हो, किया जा सकता है। निरीक्षण दल की अधिकार सीमा की शर्तें इस प्रकार होंगी:

टीम यदि आवश्यक हो तो विक्रेताओं के परिसर का दौरा करेगी और निम्नलिखित प्राप्त और पता लगा सकती है:

i) बैंक संदर्भ: यदि आवश्यक हो, तो फर्म की वित्तीय स्थिति के बारे में संबंधित बैंकरों से गोपनीय रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी, साथ ही साथ सीमाएं भी उन्हें ऑर्डर के साथ सौंपी जा सकती हैं। तुलन-पत्र और आय विवरण भी सत्यापित किए जा सकते हैं। वित्तीय स्थिति तीन वर्षों से पहले इसी तरह की वस्तु के औसत 50% टर्नओवर पर आधारित होनी चाहिए।

ii) क्षमता सत्यापन: फर्म की फैक्ट्री/ कारखाना / गोदाम के निरीक्षण के बाद रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, यदि आवश्यक हो, तो निर्माता / स्टॉकिस्ट के रूप में उनकी क्षमता और योग्यता का पता लगाने के लिए, संयंत्र और मशीनरी, कारखाना सुविधाओं, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण सुविधाओं, फैक्ट्री/वर्कशॉप इत्यादि के खुले और बंद स्थान का निरीक्षण करना और यह स्पष्ट राय देना कि क्या उनके पास विनिर्देशों के अनुसार वस्तुओं के निर्माण की क्षमता है या नहीं और उनकी वार्षिक विनिर्माण क्षमता और वार्षिक टर्न ओवर का पता लगाना। आवेदक फर्म के कारखाने / कार्यशाला / गोदाम आदि के स्वामित्व के बारे में संतुष्टि करने के लिए, किराया रसीद, बिजली बिल और निगम / नगर पालिका प्रमाण पत्र आदि को भी सत्यापित किया जाना चाहिए।

iii) परीक्षण : यदि पंजीयन के लिए आवेदन उन सामग्रियों के लिए है, जिनमें किसी प्रयोगशाला की परीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्य आवश्यकता है तो निरीक्षण टीम द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले आवेदक को अपने खर्च पर सामग्रियों के परीक्षण और परीक्षण अधिकारियों के समक्ष विधिवत रूप से सत्यापित मूल और प्रमाणित मूल प्रतियों में निरीक्षण अनुभाग से अभिप्रमाणित रिपोर्ट प्रस्तुत करने की सलाह दी जाएगी। जहां भी ऐसे परीक्षण प्रमाणपत्र जरूरी नहीं हैं, तकनीकी सदस्य को इसका कारण बताना चाहिए। पुर्जों के स्वदेशी विस्तार के मामले में, या स्टोर के किसी भी अन्य मामलों में जहां आवश्यक महसूस किया जाता है, आवेदक यदि उनके परिसर के निरीक्षण के दौरान उपयुक्त पाया जाता है, तो उन्हें अपने

उत्पाद को क्षेत्र में परीक्षण करने की सलाह दी जाएगी। संबंधित प्रमुख (यांत्रिकी) / प्रमुख (विद्युत) द्वारा उत्पाद के अनुमोदन के बाद, उनके पंजीकरण पर विचार किया जा सकता है।

iv) कर भुगतान प्रमाणपत्र: फर्मों को स्थायी आयकर खाता संख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। उन्हें बिक्री कर पंजीकरण प्रमाणपत्र और एसएसआई (लघु उद्योग)/एनएसआईसी (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम) पंजीकरण प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

v) दस्तावेज :आवेदन पत्र के लिए आवश्यक सभी दस्तावेज जैसे भागीदारी के मामले में मालिकाना प्रमाण, संस्था के नियम और शर्तें यदि लिमिटेड कंपनी है तो, जैसा भी मामला हो-रिकॉर्ड के लिए फर्मों से प्राप्त किया जाएगा।

.

vi) तकनीकी मूल्यांकन: यह फर्म द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी साहित्य पर आधारित होना चाहिए और तकनीकी साहित्य में उनके द्वारा विस्तृत रूप में विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए फर्म की तकनीकी क्षमता के संबंध में संतुष्ट होने के लिए उनके कार्यालय और कारखाने के परिसर का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए।

4.3 पंजीकरण के लिए प्रक्रिया

(अ) स्वदेशी निर्माता जो अपने स्वयं के कारखाने / कार्यशाला के मालिक हैं और निरीक्षण अधिकारियों की राय में, आवश्यक मानक की सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम हैं, उनका पंजीकरण किया जाएगा। निरीक्षण टीम ऊपर दिए गए खंड 4.2 के अनुसार बनाई जाएगी।

(ब) आयातित सामग्री के मामले में एकमात्र एजेंट/वितरक और आयातित सामग्री के मामले में स्टॉकिस्ट और किसी भी विशेष प्रकार के नमूने या वर्ग के लिए देश में कोई एजेंट/वितरक नहीं है, उनका भी पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण से पहले टीम द्वारा उनके परिसर का निरीक्षण किया जाएगा।

(स) स्वदेशी वस्तुओं के लिए, जहां निर्माता सीधे अपने उत्पादों का विपणन नहीं करते हैं, या मांग बड़ी नहीं है, ऐसे वाहन के पुर्जों, स्टोर के सामान वितरकों,

अधिकृत डीलर या एकमात्र एजेंट के पंजीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। (बी) और (सी) के लिए, मूल निर्माता से एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए ताकि इस तरह के वितरक / सहायक कंपनियों आदि के संबंध में संतुष्ट हो सकें।

(द) (i).राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के साथ पंजीकृत लघुउद्योग इकाइयों को भी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा और उनके पंजीकरण पर विचार किया जाएगा यदि वे अपने कारखाने/ कार्यों के निरीक्षण के दौरान आवश्यक मानक की सामग्री का उत्पादन करने में सक्षम पाए जाते हैं।

(ii) आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत होने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भी पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख द्वारा आवश्यक महसूस किए जाने पर, पंजीकरण से पहले निरीक्षण किया जा सकता है

(iii) उन आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण के लिए कोई सुरक्षा धनराशि नहीं ली जाएगी जो आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय/ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के साथ पंजीकृत हैं।

(इ) सुरक्षा सामग्रियों के निर्माता/आपूर्तिकर्ता जिन्होंने खान सुरक्षा महानिदेशालय से अपनी निर्माण श्रेणी की वस्तुओ के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, उनको पंजीकृत किया जाएगा। यदि उनके कार्यों / सुविधाओं / परीक्षण उपकरणों आदि के निरीक्षण के बाद आवश्यक हो, तो मांगों की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनकी व्यवस्था की पर्याप्तता स्थापित की जाएगी। ऐसे मामलों में निरीक्षण दल का गठन सुरक्षा और तकनीकी विभाग के कम से कम एक-एक प्रतिनिधि के साथ किया जाएगा। निदेशक (वाणिज्यिक) / निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) द्वारा निरीक्षण दल की रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद ही फर्म को पंजीकृत किया जाएगा।

4.3.2 आपूर्तिकर्ता से आवेदन निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध- I) में प्राप्त किया जाएगा जो मॉयल के किसी भी खरीद कार्यालय से रु.100 /- प्रति सेट के भुगतान पर प्राप्त किया जाएगा। रु। रु.100/- का भुगतान क्रॉस्ड डिमांड ड्राफ्ट / पोस्टल ऑर्डर / कैश

पेमेंट के रूप में किया जाएगा या समय-समय पर तय किया जा सकता है। यह गैर-वापसी योग्य होगा। यह आवेदन आपूर्तिकर्ताओं द्वारा मॉयल की वेबसाइट पर एक विज्ञापन के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जो आपूर्ति के नए स्रोतों के विकास के लिए मॉयल द्वारा जारी किया जाएगा। खरीद विभाग में आवेदन प्राप्त होने पर पंजीकरण अनुभाग उसमें दिए गए सभी विवरणों की छानबीन करेगा। यदि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, तो यह संकेत मिलता है कि फर्म पंजीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है, इसके परिसर या कार्यों के निरीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और पंजीकरण को सामग्री प्रबंधन विभाग के विभाग प्रमुख के अनुमोदन के साथ सीधे मना कर दिया जाएगा। यह पंजीकरण अभ्यास प्रत्येक बारह महीने में एक बार किया जा सकता है।

.

4.3.3 (i). सभी रिपोर्ट मिलने पर, पंजीकरण अनुभाग में प्रत्येक मामले की जांच की जाएगी और उसकी योग्यता के आधार पर फैसला किया जाएगा। फर्म के पंजीकरण या इंकार के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग के अधिकारी, प्रमुख(सामग्री) स्तर से कम नहीं, की स्वीकृति लेनी होगी।

(ii) दस्तावेज़ों का प्रमाणन

सभी दस्तावेज जैसे, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय पंजीकरण प्रमाण पत्र, आईएसआई लाइसेंस, खान सुरक्षा महानिदेशालय अनुमोदन आदि जैसे सभी दस्तावेज प्रस्तुति के दौरान फर्म द्वारा स्व-सत्यापित होना चाहिए। संबंधित अधिकारी पंजीकरण करने से पहले मूल प्रतियों के साथ उन्हें सत्यापित करेगा। उस अधिकारी का नाम, जो इस तरह के दस्तावेज़ को सत्यापित करेगा, निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

4.3.4 पंजीकरण की अवधि

प्रारंभ में, सभी फर्मों को केवल दो वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत किया जाएगा तकनीकी-वाणिज्यिक प्रदर्शन पर रिपोर्ट प्राप्त होने तक पंजीकरण को एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया जाएगा। यदि रिपोर्ट संतोषजनक है, तो पंजीकरण समाप्ति पर उसका नवीनीकरण तीन वर्षों की अवधि के लिए किया जा सकता है।

4.3.5 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राज्य सरकार की इकाइयों/ सरकारी विभागों, को पंजीकरण को उनके आवेदनों में प्राप्त जानकारी के आधार पर दिया जाएगा। पंजीकरण तीन वर्षों की अवधि के लिए दिया जाएगा और उसके बाद समान अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाएगा।

4.4 पंजीकृत फर्मों को हर साल इनकम टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जमा करना होगा, ऐसा न करने पर उनका पंजीकरण अमान्य होगा।

4.5.1 स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं की सूची में से किसी कंपनी का निष्कासन:

प्रदर्शन की निगरानी

प्रत्येक पंजीकृत फर्म के प्रदर्शन की निगरानी संबंधित तकनीकी विभाग के प्रमुख द्वारा पूरे वर्ष निरंतर आधार पर की जाएगी, जो वर्ष में दो बार अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट आधे वर्ष की समाप्ति के एक माह के भीतर खरीद विभाग को प्रस्तुत करेंगे। परिणामस्वरूप जो लगातार निगरानी के साथ-साथ ऑर्डर को अंतिम रूप देने के समय उल्लिखित करेगा।

4.5.2 कंपनियों का अपंजीकरण

(i) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझा जाता है तो संबंधित कंपनी को बिना किसी कारण बताए फर्म का अपंजीकरण किया जा सकता है और उसका नाम स्वीकृत सूची से हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में इसके लिए कार्रवाई की जा सकती है।

(अ) यदि फर्म के दिए गए ऑर्डर्स के निमित्त टेक्नो-कमर्शियल परफॉरमेंस को समय-समय पर लगातार असंतोषजनक पाया जाता है, या विक्रेता मूल्यांकन के बाद कंपनी लगातार दो सालों तक श्रेणी डी में वर्गीकृत की जाती है। जब भी किसी विक्रेता को विक्रेता रेटिंग में डी श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो उसे तदनुसार सूचित किया जाना चाहिए और लगातार दो वर्षों तक ग्रुप डी में वर्गीकृत किए जाने के परिणामों के बारे में भी चेतावनी दी जानी चाहिए।

(ब) यदि कोई भी कंपनी किसी भी कारण से वैध खरीद ऑर्डर के निमित्त सामग्री की आपूर्ति करने में विफल रहती है।

(स) यदि कोई कंपनी लगातार अस्पष्ट और भ्रामक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का सहारा लेती है और / या निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए निविदा उपरांत संशोधनों को प्रस्तुत करने का सहारा लेती है।
(द) यदि कोई भी कंपनी सामान्य व्यावसायिक प्रथाओं के विरुद्ध किसी भी अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को अपनाती है।
ii) अनुमोदित सूची से अपंजीकरण / निष्कासन सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख/खरीद विभाग के प्रमुख की मंजूरी के साथ पूरा किया जाएगा।

(iii) अनुमोदित सूची से अपंजीकरण/ निष्कासन की स्थिति में, सभी खदानों / प्लांट को सूचित किया जाएगा।
(iv) अनुमोदित सूची से अंपजीकृत / निष्कासित जाने के बाद कोई भी कंपनी निदेशक (वाणिज्यिक) / निदेशक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग) के अनुमोदन के बिना बहाल नहीं होगी।
4.6 विक्रेता मूल्यांकन
उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में पर्याप्त मानकों को बनाए रखने और आपूर्ति में विश्वसनीयता के साथ विक्रेताओं / स्रोतों का चयन सामग्री प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कदम है। विक्रेता प्रदर्शन के एक वस्तुपरक मूल्यांकन का परिचय इस लिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना जाता है। निम्नलिखित तीन प्रमुख मापदंडों पर विक्रेता के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है:
1. गुणवत्ता
2. वितरण
3. मूल्य

विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली को लागू करने के लिए, विभिन्न विक्रेताओं को दिए गए प्रत्येक ऑर्डर के निमित्त मूल्य, गुणवत्ता और वितरण जैसे विभिन्न मापदंडों के संबंध में प्रदर्शन के संबंध में डेटा एकत्र किया जाना चाहिए। इसमें आवश्यक रूप से उपयोगकर्ता विभाग का सक्रिय सहयोग शामिल किया जाना चाहिए।
4.6.1 गुणवत्ता का प्रदर्शन:

यह विनिर्देशों के अनुसार आपूर्ति की गई सामग्रियों की मात्रा के अनुपात में आपूर्ति की कुल मात्रा के विरुद्ध मापा जाना चाहिए।

गुणवत्ता प्रदर्शन सूचकांक निम्न नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

गुणवत्ता प्रदर्शन सूचकांक (QPI) = (Qa + 0.5 x Qr)x100 (Qs) जहां Qa = विनिर्देशों के अनुसार स्वीकार की गई मात्रा है

Qr = प्रतिस्थापन के बाद स्वीकार की गई मात्रा

Qs = आपूर्ति की मात्रा

यदि सुधार / मरम्मत / प्रतिस्थापन भार के बाद किसी भी सामग्री / उपकरण को स्वीकार किया गया है, तो उसे 100% के बजाय 50% लिया जाना चाहिए।

4.6.2 वितरण प्रदर्शन

यदि आपूर्ति संविदात्मक वितरण अवधि से पार हो जाती है, तो कंपनी को मशीन डाउन टाइम आदि के कारण नुकसान हो सकता है। इसलिए इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। डिलीवरी प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित नियम के अनुसार प्राप्त किया जाएगाः

पूर्ण आपूर्ति वितरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में (DPI) = (Qa Qb Tc)
(------ + ----- x ----) X 100 (Qc Qc Ta)

Q a = समय पर आपूर्ति की गई मात्रा

Q c = आदेशित मात्रा

Q b = मूल वितरण अवधि के बाद आपूर्ति की गई मात्रा

T c = मूल वितरण अवधि (दिनों में)

T a = आपूर्ति को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या, देरी से आपूर्ति सहित।अधूरी आपूर्ति के मामले में, विस्तारित वितरण अवधि समाप्ति के बाद

वितरण प्रदर्शन सूचकांक (DPI) = (Qa Qb Tc) (------ + ----- x ----x0.5) X 100 (Qc Qc Ta)

Ta = अंतिम वितरण की तारीख तक लगने वाले दिनों की संख्या

यहां सूचकांक को 50% महत्व दिया जाता है क्योंकि वितरण की अवधि के विस्तार के बाद भी वितरण पूरी नहीं होती है।

4.6.3 किसी विक्रेता के मूल्य प्रदर्शन को जांचने के लिए, मूल्य विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण मानदंड है। मूल्य प्रदर्शन सूचकांक निम्नलिखित नियम द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:

मूल्य प्रदर्शन सूचकांक (PPI) = [Qp] [2 (-) -----] x 100 [Op]

Qp = उद्धृत मूल्य

O p = आदेशित मूल्य

यदि मूल्य प्रदर्शन सूचकांक शून्य से कम है, तो मूल्य शून्य के रूप में लिया जाएगा। इस प्रकार, जिस विक्रेता के लिए उद्धृत दर पर ऑर्डर का निर्णय लिया गया है, वह अधिकतम 100 अंक और अन्य विक्रेता उससे कम अंक प्राप्त करेंगे। दो या दो से अधिक बार उद्धृत करने वाले विक्रेताओं का स्कोर शून्य होगा।

4.6.4 समग्र सूचकांक

नीचे दिए गए तीन प्रदर्शन मापदंडों को महत्व देकर समग्र सूचकांक प्राप्त किया जाएगा: गुणवत्ता प्रदर्शन 40% मूल्य प्रदर्शन 40% डिलिवरी प्रदर्शन 20%

निम्नलिखित नियम लागू करके प्रदर्शन का समग्र सूचकांक प्राप्त किया जाएगा:

समग्र प्रदर्शन सूचकांक = (0.4xQPI + 0.4xPPI + 0.2xDPI)

↑ ↑ ↑

गुणवत्ता मूल्य वितरण

4.6.5 उपरोक्त नियमों के अनुसार विक्रेताओं का वर्गीकरण, इस प्रकार देखा जा सकता है कि एक विक्रेता अपने समग्र प्रदर्शन सूचकांक (सीपीआई) के रूप में अधिकतम 100 अंक प्राप्त कर सकता है। औसत समग्र प्रदर्शन सूचकांक के आधार पर, किसी विशेष विक्रेता को दिये गये सभी आर्डर की कम से कम एक वर्ष की अवधि के आधार पर गणना के अनुसार विक्रेताओं को चार अलग-अलग समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

समूह

अ) औसत 80-100 अ का समग्र प्रदर्शन सूचकांक प्राप्त करने वाले विक्रेता

ब) औसत 50-79 ब का समग्र प्रदर्शन सूचकांक प्राप्त करने वाले विक्रेता

स) औसत 30-49 स समग्र प्रदर्शन सूचकांक प्राप्त करने वाले विक्रेता

द) 30 द से कम औसत समग्र प्रदर्शन सूचकांक प्राप्त करने वाले विक्रेता

4.6.6 केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए बिना नियमों के अनुसार जहां भी संभव हो, 'अ' समूह विक्रेताओं को वरीयता दी जा सकती है। वरीयता की वास्तविक मात्रा निविदा समिति द्वारा तय की जाएगी।

4.6.7 एक विक्रेता जो लगातार दो वर्षों तक 'द' समूह में वर्गीकृत किया गया है उसे या तो सीमित निविदा पूछताछ भेजे जाने की अनुमोदित सूची से अपंजीकृत किया जाना चाहिए या निष्कासित करना चाहिए। यदि वे 2 कवर प्रणाली में विज्ञापित निविदा में भाग लेते हैं, तो उनकी बोलियाव खोली नहीं जानी चाहिए। अन्य सभी मामलों में, उनके प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

4.6.8 विक्रेताओं को प्रदर्शन की अधिसूचना

सभी पंजीकृत/सूचीबद्ध/नियमित विक्रेताओं को विक्रेता रेटिंग की कार्यप्रणाली से अवगत कराया जाना चाहिए। उन्हें हर साल अपने समग्र प्रदर्शन सूचकांक से भी अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें अपनी रेटिंग में सुधार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

4.6.9 प्रगतिशील कार्यान्वयन

मॉयल जैसे बहु-इकाई संगठन में, विभिन्न इकाइयों से वितरण, सामग्री आदि की स्वीकृति के बारे में सटीक और प्रलेखित जानकारी प्राप्त करना समय लेने वाला काम है। सिस्टम विभाग द्वारा एक व्यापक डेटाबेस, विशेषतः कंप्यूटरीकृत वातावरण में ऊपर वर्णित विक्रेता मूल्यांकन प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रगतिशील तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस कार्य को देखने की जिम्मेदारी एक अधिकारी को-E-3 से कम रैंक के नहीं, को सौंपी

जानी चाहिए। हालाँकि, विस्फोटक, तेल चिकनाई, एचएसडी, सीमेंट, वायर रोप्स, ड्रिल रॉड्स, एक्स्टेंशन उपकरण जैसे कुछ महत्वपूर्ण सामानों के लिए विक्रेताओं की एक सूची तैयार की जा सकती है, जिन्हें पहली बार में वेंडर रेटिंग स्कीम के तहत लाया जा सकता है। इस प्रणाली को उत्तरोत्तर कमतर महत्व के अन्य मदों तक बढ़ाया जा सकता है।

4.6.10 आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार विमर्श

सामग्री प्रबंधन अधिकारी आपूर्तिकर्ताओं के साथ अपने उत्पादों के संबंध में नवीनतम तकनीकी विकास / मूल्य इंजीनियरिंग प्रयासों पर एक-दूसरे के ज्ञान को पारस्परिक रूप से अद्यतन करने के लिए तकनीकी मामलों पर विचार विमर्श करेंगे।

4.7 विक्रेताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई

4.7.1 व्ययसाय का निलंबन

यदि किसी आपूर्तिकर्ता का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है, या यदि आपूर्तिकर्ता (फर्म) का आचरण संदेह के दायरे में है, या आपूर्ति अनुबंध के सामान्य नियमों और शर्तों में निर्धारित शर्तों के अनुसार आपूर्तिकर्ता या उसका साथी उल्लंघन की स्थिति में है, तो सक्षम प्राधिकारी (सीएमडी) इस बात पर विचार कर सकता है कि क्या आपूर्तिकर्ता की ओर से इस तरह की चूक, उल्लंघन या आरोप गंभीर प्रकृति का है और यदि पूर्ण परीक्षा/ जांच लंबित है, तो फर्म के साथ व्यापार जारी रखना उचित होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी यह निर्णय लेता है कि इस तरह का व्यवसाय लंबित पूर्ण जांच / परीक्षण कंपनी के हित में नहीं है तो वह फर्म के साथ व्यापारिक व्यवहार को निलंबित कर सकता है। निलंबन के आदेश में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि क्या सभी वर्तमान अनुबंध / आपूर्ति निलंबित हैं या आदेश विशिष्ट अनुबंध / आपूर्ति से संबंधित है। निलंबन का आदेश छह महीने से अधिक की अवधि के लिए संचालित नहीं होगा, यदि उससे पहले इसे वापस न ले लिया गया हो तो। सक्षम प्राधिकारी (सीएमडी) आपूर्तिकर्ता को अनुबंध के अंतर्गत सामग्री की आपूर्ति के सामान्य नियमों और शर्तों के प्रासंगिक अनुच्छेद और उप-धाराओं

के अनुसार लिखित में इस निर्णय की सूचना देते हुए इसके प्रभाव, संभावित निलंबन की प्रत्याशित अवधि बताकर किसी भी समय पूरे अनुबंध या उसके किसी भी हिस्से में मौजूदा अनुबंध के तहत अंतर्निहित पूरे व्यापारिक व्यवहार को निलंबित कर सकता है। संबंधित विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले की अंतिम परीक्षा/जांच छह महीने की अवधि के भीतर या आपूर्तिकर्ता कंपनी को सूचित किए गए निलंबन आदेश की प्रत्याशित अवधि, जो भी पहले हो, के भीतर पूरी हो जाए।

4.7.2 निलंबन के आदेश की सूचना सभी विभाग प्रमुख / खदानों / संयंत्रों को दी जानी चाहिए। निलंबन के आदेश की प्रति संबंधित विभाग और सतर्कता विभाग को, जो भी कार्रवाई आवश्यक हो उसके लिए भेज जी जानी चाहिए।

4.7.3 निलंबन की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकारी कंपनी से कोई विरोध पत्र प्राप्त होने पर निलंबन के आदेश की समीक्षा कर सकता है। यदि सक्षम प्राधिकारी इसकी समीक्षा के आलोक में विचार करता है कि आदेश निरस्त हो सकता है, तो वह ऐसा कर सकता है। निलंबन आदेश को रद्द करने वाले आदेश को संबंधित सभी को इसकी प्रतिलिपि के साथ कंपनी को सूचित किया जाना चाहिए।

4.7.4 हालाँकि, यदि पूरी जाँच / परीक्षा छह महीने के भीतर पूरी नहीं होती है और सक्षम प्राधिकारी समझता है कि निलंबन आदेश उस अवधि से आगे जारी रहना चाहिए, तो सक्षम अधिकारी द्वारा कंपनी को 21 दिनों का समय देते हुए अपने बचाव हेतु लिखित बयान को प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है। यदि उत्तर संतोषजनक नहीं है, तो पूरी जांच पूरी होने तक छह महीने से अधिक की निलंबन अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मामले की जांच / परीक्षा अनिश्चित काल तक विलंबित न हो। एक वर्ष से अधिक के निलंबन को सीएमडी की मंजूरी मिलनी चाहिए।

4.7.5 मामले की पूरी जांच पूरी होने के बाद, निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी।

अ) यदि तथ्य और साक्ष्य कंपनी के विरुद्ध किसी भी दंडात्मक कार्रवाई को न्यायसंगत बताते हैं तो पैरा 4.7.7 में उल्लिखित कार्रवाई की जानी चाहिए।

ब) अन्यथा, निलंबन आदेश को सभी संबंधितों को सूचना के साथ रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4.7.6 आगे की कार्रवाइयों के लिए आपूर्ति आदेश / अनुबंध के तहत सामग्री की आपूर्ति के सामान्य नियम और शर्तों के प्रासंगिक अनुच्छेदों में निहित प्रासंगिक व्यवस्था जारी रहेगी।

4.7.7 व्यवसाय पर प्रतिबंध

निम्नलिखित मामलों में व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जाना चाहिए:

i) यदि इस बात पर विश्वास करने के मजबूत कारण हैं कि कंपनी के निदेशक, मालिक, प्रबंधक या कंपनी के किसी भी प्रतिनिधि को रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, निविदाओं के प्रतिस्थापन, अंतर्वेशन आदि जैसी दुर्भावना के लिए दोषी पाया गया है।

ii) तथ्यों को जानबूझकर छिपाना या गलत जानकारी प्रस्तुत करना या कंपनी द्वारा दस्तावेजों में हेरफेर या फर्जी बनवाना या किसी अन्य अवैध/अनुचित साधनों का उपयोग करना।

iii) एक ही सामग्री की आपूर्ति या एक ही काम लिए दोहरा भुगतान या दोहरे भुगतान के लिए चालान जमा करना।

iv) दोषपूर्ण सामग्री का वितरण और कंपनी को दोषपूर्ण सामग्री को हटाने/बदलने के लिए यथोचित विस्तारित समय दिए जाने के बावजूद उसे बदलने/हटाने में विफलता या दोषपूर्ण / खराब गुणवत्ता वाला काम करना जो अनुबंध के विनिर्देशों के अनुरूप न हो और इसे निर्धारित समय के भीतर ठीक करने में विफलता।

v) यदि कंपनी के निदेशक, मालिक, कर्मचारी या कंपनी के भादीदार मॉयल के साथ व्यवसाय करते समय देश के प्रति वफादारी सहित किसी भी सुरक्षा के साथ समझौते के अपराधों के दोषी पाए जाते हैं।

vi) यदि निदेशक, मालिक या भागीदार, मैनेजर या कंपनी के किसी प्रतिनिधि को राज्य सरकार / केंद्र सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से संबंधित व्यवसायिक अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है।

खंड- V

इंडेंटिंग(मांगपत्र) प्रक्रिया - संयंत्र और मशीनरी

5. खरीद कार्रवाई किसी भी इंडेंट(मांगपत्र) की, निर्धारित प्रारूप में प्राप्ति के बाद ही, विधिवत अनुमोदित और वित्तीय रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरंभ की जाएगी। इंडेंट अनुमानित वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए प्रमाणित किया जाएगा और जहाँ आवश्यक हो, विस्तृत विवरण, आपूर्ति की गुंजाइश, मूल्यांकन मानदंड और / या चित्रांकन आदि के साथ होगा।

प्लांट और मशीनरी के लिए इंडेंट सामान्यत: दो श्रेणियों में आते हैं:
अ) नई आवश्यकता
ब) प्रतिस्थापन की आवश्यकता

5.1.1 संयंत्र और मशीनरी की नई आवश्यकता के लिए इंडेंट -

नई आवश्यकता के कई उद्देश्य हैं और उन्हें आम तौर पर निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

अ) उत्पादन बढ़ाने के लिए नई परियोजनाएँ / योजनाएँ।
ब) मौजूदा उत्पादन इकाई के विस्तार के लिए।
स) कल्याण, सुरक्षा, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी आदि योजनाओं के लिए।
द) अनुसंधान और विकास के लिए।
ई) उन परियोजनाओं की प्रक्रियाओं और सामग्री की अग्रिम कार्रवाई के लिए जिनके अनुमोदित होने की संभावना है।
फ) प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण आकलन के लिए।

संयंत्र और मशीनरी की आवश्यकता का आकलन किया जाता है और उनके लिए तदनुसार संबंधित परियोजना रिपोर्ट / व्यवहार्यता रिपोर्ट / योजना आदि प्रदान की जाती है और खरीद की कार्रवाई अनुमोदित रिपोर्ट / व्यवहार्यता रिपोर्ट योजनाओं आदि के प्रावधान के आधार पर ही शुरू की जानी चाहिए। संस्वीकृति सक्षम प्राधिकारी जैसे, अध्यक्ष सह प्रबंध संचालक(सीएमडी) की सहमति से परियोजनाओं/योजनाओं की प्रकृति और नियोजित लागत के अनुसार दी जाती है। सीएमडी के पास अनुमोदित परियोजनाओं / योजनाओं के संयंत्र और मशीनरी के इंडेंट को स्वीकृति देने का पूरा अधिकार है। अन्य अधिकारियों को इंडेट को स्वीकृति देने के लिए उस सीमा तक अधिकृत किया जाता है, जिस हद तक उन्हें विशिष्ट अधिकारों के साथ प्रत्यायोजित किया गया हो।

5.2 प्लांट और मशीनरी वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, जिन्हें वित्त विभाग के परामर्श से मांगकर्ता द्वारा परिसंपत्ति रजिस्टर हटा दिया गया हो।

5.3 इंडेंट्स (मांगपत्रों) का प्रवाह

संयत्र और मशीनरी के लिए इंडेट संबंधित तकनीकी विभाग के प्रमुखों द्वारा प्रवर्तित जाएंगे। प्रतिस्थापन वस्तुओं के लिए, माइन्स / प्लांट्स, इंडेंट्स को विधिवत अनुमोदित सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति के साथ संबंधित तकनीकी प्रमुखों को भेजेंगे। इंडेंट मिलने पर, तकनीकी प्रमुख, अधिशेष सूची से, यदि कोई हो, ऐसे उपकरणों की उपलब्धता की जांच करेंगे। यदि उपकरण अधिशेष सूची में उपलब्ध है, तो ऐसे उपकरण जरूरतमंद खदान / संयंत्रों को स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। यदि अधिशेष सूची में मौजूद उपकरण उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित तकनीकी प्रमुख विस्तृत विनिर्देश, आपूर्ति की गुंजाइश, वित्तीय सहमति प्राप्त करने और सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करेगा और उसके बाद, इंडेंट को सामग्री प्रबंधन विभाग के पास खरीद कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। जहां आवश्यकता हो, मांगपत्र के साथ चित्रांकन(ड्राइंग) भी भेजे जाएंगे। तकनीकी विभाग प्रमुख और वित्त विभाग

से प्रमाणन लिया जाएगा कि उस सर्वेक्षित वस्तु को संपत्ति रजिस्टर से खारिज कर दिया गया है।

.....

5.4 इंडेंट्स (मांगपत्र) प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली सामान्य जांच।
वित्तीय सहमति और इंडेंट की मंजूरी प्राप्त करते समय, नीचे दी गई परीक्षण(चेकलिस्ट) सूची में उल्लिखित बिंदु को ध्यान में रखा जाएगा। सहमत और स्वीकृत इंडेंट सामग्री प्रबंधन विभाग को खरीद प्रक्रिया के लिए विधिवत भरी गई चेकलिस्ट और संबंधित तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ भेजा जाएगा।

5.4.1 परियोजना का (के) नाम/ खदान (खदानें) / संयंत्र (संयंत्रों) जिसके लिए उपकरण की आवश्यकता है
क) क्या परियोजना स्वीकृत है और, यदि हां, तो मंजूरी की तारीख और राशि।
ख) परियोजना / खदान / संयंत्र में पहले से ही उपलब्ध उपकरणों की संख्या और कार्य-दशा और उपयोग।
ग) विचाराधीन खरीद का प्रस्ताव (मशीनों की संख्या और आकार)
घ) घ) यदि पूर्व में खरीदा गया है, आर्डर का संदर्भ क्रमांक, दिनांक, वितरक आदि इंडेंट में दिया जाना चाहिए। यदि नया/ पहली बार, तो इसका उल्लेख किया जाना चाहिए।
5.4.2 यदि किसी ऐसी परियोजना के लिए उपकरण की मंजूरी की आवश्यकता है, जिसे मंजूरी मिलनी बाकी है, तो उपकरण के अग्रिम आदेश के लिए औचित्य क्या है, परियोजना की स्वीकृति की वर्तमान स्थिति क्या है?

5.4.3 कार्यस्थल पर इच्छित उपकरण की आवश्यकता कब है?
क्या मशीन/ उपकरण, (यदि कोई हो) पहले ही खरीद लिया गया हैस यदि नहीं, तो उस संबंध में क्या स्थिति है?

5.4.4 सक्षम प्राधिकारी द्वारा बदलाव और अन्य मंजूरियां ली गई हैं या नहीं यदि नहीं, यदि नहीं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी के बिना खरीद कार्रवाई के कारण और औचित्य।

5.4.5 यदि उपकरण प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक है:

a) मूल उपकरणों की खरीद का आकार और वर्ष क्रय आदेश विवरण के साथ.(जैसे, सेवा आदेश(एसओ) क्रमांक,दिनांक, आपूर्तिकर्ता आदि)

ख) उपयोगी सेवा के घंटों की संख्या के संदर्भ में निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपकरण का जीवन-काल।

ग) मानदंडों के सम्मुख काम करने का वास्तविक उपलब्ध जीवनकाल/ घंटे।

घ) क्या मूल उपकरण का सर्वेक्षण किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे आगे उपयोग के लिए अयोग्य के रूप में दोषित किया गया है। यदि उपकरण को सेवा के निर्धारित घंटों / जीवनकाल से पहले प्रतिस्थापित किया जाना है, तो समयपूर्व अयोग्यता का कारण। तकनीकी प्रमुख और वित्त विभाग से इसका प्रमाणन कि खारिज किए गए उपकरण को संपत्ति पंजिका से हटा दिया गया है।

ई) प्रतिस्थापित किए जा रहे उपकरणों के आकार की तुलना में, उपकरण के आकार को बदलने का प्रस्ताव और आकार में अंतर का कारण, यदि कोई हो, तो प्रस्तावित उपकरण का आकार उपलब्ध अन्य मशीनों के साथ मेल खाना चाहिए।

5.4.6. खरीद के लिए संबंधित वर्ष में बजट प्रावधान की उपलब्धता। क्या प्रशासनिक और साथ ही तकनीकी दृष्टिकोण से मांगपत्र स्वीकृत किया गया है? जिन अधिकारियों ने इंडेंट को मंजूरी दी है उनका नाम और पदनाम अनुमोदन संख्या और तारीख के साथ उल्लेख किया जाना चाहिए। क्या वित्त की सहमति, ले

ली गई है? संदर्भ संख्या, दिनांक सहित, उस अधिकारी का नाम और पदनाम जिसके माध्यम से उपकरणों की खरीद के प्रस्ताव के लिए सहमति दी गई थी।

5.4.7 क्या यह सत्यापित किया गया है कि ऐसा अतिरिक्त उपकरण किसी अन्य परियोजना में उपलब्ध नहीं है, जिसे लिया जा सकता हो।

5.4.8 उपकरणों की प्रदर्शन रिपोर्ट, अगर कंपनी में उपयोग किया गया हो तो निर्माता का नाम और खरीद/ प्रवर्तन में लाए जाने का वर्ष दर्शाया जाए।

5.5 उपकरणों की खरीद के लिए अग्रिम कार्रवाई

शॉर्ट लीड आइटम के लिए एक वर्ष पहले वास्तविक ऑर्डर देने की प्रक्रिया और इंडेंटिंग/ ऑर्डरिंग के समय बजट प्रावधान के बिना लंबे लीड आइटम के लिए 2 साल पहले अग्रिम रूप से निम्नानुसार होगा:
अनुमोदित परियोजनाओं के संदर्भ में लंबे समय के साथ-साथ लघु सीमा हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी(एचईएमएम) और भूमिगत उपकरणों की खरीद के मामले में अग्रिम में तैयार किए जाने की आवश्यकता है, जो कि लागत से अधिक न हो। इन श्रेणियों के अंतर्गत आवश्यकता के वार्षिक विवरण / कार्यक्रम को वित्तीय सहमति के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए और संबंधित सामग्री प्रबंधन विभाग को भेजा जाना चाहिए। सामग्री विभाग सभी लघु सीमा वस्तुओं के लिए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले उनकी पूरी आवश्यकता के लिए आदेश देगा। दीर्घावधि के मुख्य आइटम के लिए, सामग्री विभाग खरीद कार्रवाई शुरू करेगा, ताकि वित्तीय वर्ष से पहले, जिसमें उपकरणों की आवश्यकता है, लीड समय के आधार पर, एक या दो साल की पूरी आवश्यकता के लिए आदेश दिए जाएं।

5.6 सामान्य उपभोग्य भंडारों और कलपुर्जों के लिए वार्षिक मूल्यांकित कैलेंडर वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए खदानों में नियमित रूप से लगने वाली सभी आवश्यक वस्तुओं के लिए, उनका मूल्यांकन करने हेतु सामग्री विभाग को कम से कम 4 महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए, ताकि उनके दर अनुबंध(अनुबंधों) की गणना की जा सके।

मांग के साथ विस्तृत तकनीकी विशिष्टता, आपूर्ति की गुंजाइश, प्रशासनिक स्वीकृति आदि शामिल होना चाहिए।

5.7 स्वदेशी प्लांट और मशीनरी के किसी भी मद के लिए रु. 20,000 /- तक का कोई इंडेंट सामग्री प्रबंधन विभागों को नहीं भेजा जाएगा। इन खदानों के निमित्त खरीद मांगकर्ता द्वारा संबंधित खदान प्रबंधक की मंजूरी के साथ की जाएगी।

5.8 मॉयल के सामग्री प्रबंधन विभाग में प्राप्त इंडेंट को संबंधित इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख के स्तर पर निविदा के उद्देश्य से सही विनिर्देशों के संदर्भ में जाँचा जाएगा, और केवल तभी जब उसके द्वारा समर्थन किया जाएगा तो इंडेंट को सामग्री प्रबंधन प्रभाग में पंजीकृत किया जाएगा ताकि खरीद कार्रवाई शुरू की जा सके और खरीद का लीड समय सामग्री प्रबंधन प्रभाग में इंडेंट के पंजीकरण की तारीख से शुरू होगा। एक स्वीकार्य इंडेंट के उत्पादन/ प्रस्तुत करने में कोई भी विलंब मांगकर्ता की जिम्मेदारी होगी। प्लांट एंड मशीनरी इंडेंट फॉर्म अनुबंध- IIA में उपलब्ध है।

खंड - VI

निविदा जानकारी

6.1 निविदा जानकारी की तैयारी

निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:
निविदा का आमंत्रण और निविदाकर्ताओं को निर्देश एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि फर्म का प्रस्ताव / निविदा उन पर आधारित है। इसलिए, क्रेता के लिए निविदा जानकारी, उनकी गुणवत्ता, मात्रा, वितरण की आवश्यकतों आदि के अनुरूप सावधानीपूर्वक स्पष्ट रूप से तैयार किया जाना चाहिए।

सीमित निविदा या विज्ञापन के मामले में निविदा जानकारी प्रपत्र अलग हो सकता है। निविदा जानकारी में आमतौर पर शामिल होता है:

क) सामान्य नियमों और शर्त के साथ निविदा के लिए आमंत्रण और निविदा कार्यक्रम अनसूची
ख) (i) जिन स्थानों पर भंडारों को पहुंचाने की आवश्यकता है, उनका निविदा की कार्यक्रम अनुसूची में उल्लेख किया चाहिए।
(ii) सभी स्वदेशी आपूर्ति के लिए, फर्म को सामान्य रूप से कीमतों का उल्लेखे करने के साथ गंतव्य आधार पर अपनी दरों को उद्धृत करने के लिए कहा जाना चाहिए जैसेः
(i) कारखाने के बाहर मूल्य और (ii) एकमुश्त आधार पर माल ढुलाई, बीमा, पैकिंग और अग्रेषण शुल्क।
उत्पाद शुल्क, यदि लागू हो, केवल कारखाने के बाहर मूल्य पर अतिरिक्त देय होगा। बिक्री कर लागू होने पर अतिरिक्त रूप से देय होगा। भंडार का गंतव्य पर सुरक्षित आगमन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। मॉयल को बीमा पॉलिसी के लिए केवल कारखाने के बाहर / प्रेषण स्थान के आधार पर किए गए अनुबंधों की व्यवस्था करनी चाहिए या जहां फर्म ने गंतव्य पर खेप के सुरक्षित आगमन की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है, भले ही निविदाकर्ता निविदा में गंतव्य तक माल ढुलाई का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया हो। एक घरेलू निर्माता को एक स्वदेशी निर्माता के रूप में माना जाएगा, अगर निविदा के निमित्त उसके द्वारा निर्मित और पेश किए गए उपकरण में सभी करों और शुल्कों सहित उपकरणों के

30% कारखाना मूल्य से अधिक की स्वदेशी सामग्री लागत और श्रम सामग्री लागत है।

(iii) आयातित भंडार के मामले में, जहां आपूर्तिकर्ता आयात और सीमा शुल्क का भुगतान करने आदि की व्यवस्था करता है, उद्धृत की गई दरें गंतव्य आधार पर होंगी और गंतव्य के लिए भेजे गए मूल देश से खेप का सुरक्षित आगमन आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी। उस स्थिति में बिक्री कर और लागू वैधानिक स्थानीय लेवी (यदि कोई हो) अतिरिक्त देय होगी। कोई भी उत्पाद शुल्क देय नहीं होगा।

(iv) मॉयल द्वारा सीधे आयात के मामले में निविदाकारों को केवल एफओबी(फ्री ऑन बोर्ड) वितरण बंदरगाह के आधार पर मूल्य उद्धृत करना चाहिए। हालांकि, गंतव्य आधार के सीआईएफ(लागत, बीमा और माल ढुलाई) पोर्ट पर भी प्रस्ताव आमंत्रित किए जा सकते हैं। प्रासंगिक दावा बीमा कंपनी, नौभार (परेषक शिपर) या आपूर्तिकर्ता सहित किसी अन्य एजेंसी के पास तुरंत दर्ज किया जाएगा, जो किसी भी कमी/नुकसान/ उठाईगीरी चोरी आदि के लिए आवश्यक हो सकता है। इसके साथ ही, संबंधित आयात नीति के अनुसार ऐसी वस्तुओं के नए सिरे से आयात के लिए कार्रवाई की जाएगी ताकि लापता हिस्सों के कारण मशीन बेकार न रहे। इस तरह की खरीद के लिए किसी नए इंडेंट की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बजट प्रावधान / प्रमाणन प्राप्त किया जाएगा क्योंकि दावा निपटान में समय लग सकता है। इस तरह की खरीद सीएमडी की सहमति और अनुमोदन के साथ की जाएगी।

ग) (i) निविदाओं को आम तौर पर मानक विनिर्देशों के साथ आमंत्रित किया जाना चाहिए जहां ये मौजूद हैं या मांगकर्ता द्वारा तैयार की गई आवश्यकताओं की अनुसूची अनुरूप हों।

मानक वस्तुओं के लिए निविदाओं में निर्माता का नाम या मॉडल / प्रकार आदि का उल्लेख नहीं होना चाहिए। मानकीकृत वस्तुओं के लिए जहां तक व्यावहारिक हो, किसी विशेष मेक या ट्रेड नाम, मॉडल, प्रकार आदि के किसी भी संदर्भ के बिना निविदा के सभी आमंत्रणों में पूर्ण विवरण शामिल होना चाहिए। वर्तमान भारतीय मानक विनिर्देशों का संदर्भ जिसमें वस्तुओं का अनुपालन करना चाहिए, का उल्लेख किया जाना चाहिए। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की अनुपस्थिति में, अन्य राष्ट्रीय मानकों या अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन(आईएसओ) के संदर्भ का उल्लेख किया जा सकता है।

(ii) मॉयल द्वारा प्रत्यक्ष आयात के अलावा अन्य आयातित भंडारों के मामले में निम्नलिखित खंड को शामिल किया जाना चाहिए।

निविदाकर्ताओं को उनके कोटेशन में शामिल सीमा शुल्क की वास्तविक दर का संकेत देना चाहिए। उन्हें अपने टेंडर में यह भी संकेत देना चाहिए जहां सीमा शुल्क की रियायती दर स्वीकार्य है और उनके द्वारा कम शुल्क का भुगतान किया जाता है और उनके द्वारा वास्तव में शुल्क की रियायती दर पर राशि का भुगतान किया गया है। फर्म के लेखा परीक्षक द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक शुल्क को प्रमाणित करने वाला एक प्रमाणपत्र और किसी धन वापसी के मामले में फर्म से पूछा जाना चाहिए कि मॉयल को शुल्क की पूरा वापसी कर दी गई है। दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सीमा शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) स्वदेशी वस्तुओं के मामले में जहां मॉयल को बीमा की व्यवस्था करना है, संबंधित दावा तुरंत बीमा कंपनी, कैरियर या आपूर्तिकर्ता सहित किसी अन्य एजेंसी के पास दर्ज किया जाएगा, जो किसी भी कमी/नुकसान/उठाईगीरी चोरी आदि के लिए आवश्यक हो सकता है।

इसके साथ ही, जहां भी आवश्यक महसूस किया जाता है, ताजा खरीद कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसा कि पैरा 6.1 (ब) (v) में वर्णित है।

घ) (i) तकनीकी विभाग को परियोजना एवं रखरखाव / कैपिटल स्टोर्स राजस्व की सभी वस्तुओं की आपूर्ति के दायरे के साथ मानक / विस्तृत सामान्यीकृत विनिर्देश

तैयार करने चाहिए और उन्हें निविदा में शामिल करने के लिए इंडेंट के साथ संलग्न करना चाहिए।
(ii) मानक विनिर्देश / या पिछले वर्ष के विनिर्देश में किसी भी बदलाव के लिए संबंधित तकनीकी विभाग के प्रमुख का अनुमोदन होना चाहिए। विनिर्देशों में परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए।
ई) अनुबंध-III (जो भी लागू हो) में "सामान्य नियम और शर्तों" के अनुसार खरीद कार्यकारी द्वारा वाणिज्यिक शर्तों को तैयार किया जाएगा।
च) निविदा जांच सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

6.2 मूल्य परिवर्तन अनुच्छेद

निविदा आमंत्रण सूचना में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि उद्धृत मूल्य, वितरण तक स्थिर होना चाहिए। हालांकि, सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख के अनुमोदन के साथ, विशेष परिस्थितियों में, कीमतों में बदलाव की अनुमति देना तय है, निविदा आमंत्रण सूचना में इंगित किया जाना चाहिए:

6.2. अ) वस्तुओं का विवरण, जैसे, पूर्ण विनिर्देशों के साथ कच्चा माल जिसके लिए मूल्य भिन्नता की अनुमति होगी।
ख) आधार मूल्य और मूल्य के आधार लेने की तारीख, अर्थात् सहमत एजेंसी या थोक मूल्य सूचकांक/भारतीय रिजर्व बैंक सूचकांक या पीवीसी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य फार्मूला, प्रकाशित संबंधित दरें, जो संबंधित कच्चे माल के मूल्य, उपभोज्य या अतिरिक्त पुर्जों के मूल्य के आधार के रूप में ली जाएंगी।

ग) वह तिथि जिसे अंतिम देय मूल्य की गणना के आधार के रूप में लिया जाएगा।
घ) अंतिम मूल्य पर पहुंचने का सूत्र।
च) उद्धृत मूल्य के प्रतिशत के रूप में मूल्य में भिन्नता की अधिकतम सीमा। यह सामान्य रूप से (कम या अधिक) 10% तक सीमित होना चाहिए।

6.3 सामान्य रूप से 2-भाग निविदा का अभ्यास प्रक्रिया और सामग्री / संपत्ति/ उपभोज्य भंडार /अतिरिक्त पुर्जों की सभी वस्तुओं के लिए किया जाना चाहिए। कम मूल्य की वस्तुओं के मामले में, मालिकाना, ब्रांडेड, एकल स्रोत: एकल भाग निविदा को अपनाया जा सकता है।

6.3.1 दो भाग निविदा

2-भाग निविदा के मामले में, टेंडर के पहले भाग में 2 हिस्से होंगे।
भाग-I खंड- अ: तकनीकी प्रस्ताव से युक्त और तकनीकी विशिष्टताओं से विचलन दिखाने वाली जांच सूची।
PART_I अनुभाग - बी: निहित है(अ) वाणिज्यिक नियम और शर्तें, (ब) प्रत्येक खंड निविदा आमंत्रण सूचना वाणिज्यिक नियम और शर्तों के निमित्त एक जांच सूची विचलन(यदि कोई है) दर्शाती हुई, (स) बोली मूल्य का कोरे प्रारूप, जैसा कि निविदाकर्ता द्वारा उद्धृत किया गया है(बिना मूल्य), क भी खंड ब में शामिल किया जाना चाहिए। मूल्य प्रारूप को आइटम की प्रकृति के अनुसार क्रेता द्वारा तैयार किया जा सकता है और निविदा आमंत्रण सूचना के साथ संलग्न किया जा सकता है।

भाग - II: निविदा के दूसरे भाग में केवल मूल्यों का विवरण शामिल होगा। केवल उन्हीं निविदाकारों की मूल्य बोलियाँ, जिनके भाग-1 में प्रस्ताव तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य हैं, को खोला जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियों की तकनीकी जांच केवल संबंधित तकनीकी विभाग के विभाग प्रमुख द्वारा की जाएगी। यदि जांच विभाग प्रमुख द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाती है, तो अंतिम जांच रिपोर्ट को तकनीकी विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाना होगा। इसी प्रकार तकनीकी-वाणिज्यिक बोली की वाणिज्यिक जांच सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी और सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

6.4 तीन भाग निविदा

i) विस्तृत और जटिल विनिर्देशों के साथ उच्च प्रौद्योगिकी और उच्च मूल्य प्लांट और मशीनरी आइटम की खरीद में 3-पार्ट निविदा का भी उपयोग किया जा सकता है और जहां यह माना जाता है कि विक्रेताओं को उपकरण के विनिर्माण और आपूर्ति में विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी।

1 पहला भाग- पूर्व-अर्हता

विक्रेता के पास उपलब्ध सुविधाओं से युक्त बोली और क्रेता द्वारा आवश्यक न्यूनतम तकनीकी मापदंडों की पुष्टि और प्रतिष्ठित खरीदारों को ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति करने का अतीत का अनुभव। तकनीकी मूल्यांकन पिछले तीन वर्षों के तकनीकी साहित्य और आपूर्ति के अनुभव पर आधारित होना चाहिए और यदि कंपनियों का निरीक्षण, यदि आवश्यकता महसूस हो तो। फर्म की वित्तीय स्थिति, जैसा कि बैलेंस शीट और आय ब्यौरे में परिलक्षित होता है और फर्म को वित्तीय सुदृढ़ता देने वाले बैंक के संदर्भों को भी इस चरण में बुलाया जा सकता है। वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती तीन वर्षों के इसी तरह के आइटम के औसत 50% टर्नओवर पर आधारित होनी चाहिए या मामला आइटम की प्रकृति पर भी निर्भर हो सकता है। तकनीकी और वित्त विभागों के प्रमुखों के परामर्श से पूर्व-योग्यता और तकनीकी-व्यावसायिक बोलियों के मापदंड तैयार किये जाएंगे।

2 दूसरा भाग: तकनीकी वाणिज्यिक विवरण मंगवाये जाएंगे।

3 तीसरा भाग: बोलीदाताओं द्वारा केवल मूल्य विवरण इंगित किया जाएगा।

दूसरा और तीसरा भाग उन लोगों के अनुरूप होगा जिनका उल्लेख पूर्व में अनुच्छेद 6.3.1 के भाग-I और भाग-II में किया गया है। यदि आवश्यक हो तो उत्सुक निविदाकर्ताओं के साथ बोली-पूर्व सम्मेलन आयोजित करने का प्रावधान रखा जा सकता है। यह पूर्व-योग्यता प्रयोग प्रारंभ में सक्षम विक्रेताओं को की सूची को संक्षिप्त करने के लिए किया जा सकता है। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बाद, निविदा को छांटे गए निर्माताओं को भेजा जाएगा।

सीमित निविदा में, अनुच्छेद-6.3 में वर्णित में 2-भाग निविदा प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए। तकनीकी-वाणिज्यिक बोली खोलने से पहले निविदाकारों के साथ संयुक्त निविदा-पूर्व कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है। इस तरह की बोली-पूर्व कॉन्फ्रेंस केवल उन मामलों में आयोजित की जाएंगी, जब यह महसूस किया जा रहा हो कि आइटम की जटिलता को देखते हुए, इस आइटम के तकनीकी विनिर्देशों को बहुत विस्तार से अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। यदि बोली-पूर्व सम्मेलन के बाद तकनीकी या वाणिज्यिक शर्तों को संशोधित किया जाता है, तो संशोधित विनिर्देशों के अनुसार नई तकनीकी-वाणिज्यिक और मूल्य बोलियों को बुलाया जाएगा। किसी भी स्थिति में, केवल उन निविदाओं की मूल्य बोलियाँ खोली जाएंगी, जिनकी तकनीकी व्यावसायिक बोलियाँ, उनके द्वारा प्रस्तुत तकनीकी व्यावसायिक बोलियों की जाँच के बाद स्वीकार्य पाई गई हैं।

6.5 बयाना रकम / सुरक्षा अमानत:

a) बयाना रकम उपनियम क्लॉज को निविदा में निर्धारित किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली बयाना रकम का मूल्य अनुमानित लागत के मूल्य का 2% होना चाहिए या या रु..2,00,000/- जो भी कम हो। बयाना रकम डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होना चाहिए और कोटेशन, जैसे बोली का आवरण- । के साथ होना चाहिए। सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख की मंजूरी के साथ निविदा को अंतिम रूप देने के तुरंत बाद असफल निविदाकर्ता को बयाना रकम वापस कर दी जाएगी। यदि निविदा के अंतिम रूप देने से पहले कोई भी निविदाकर्ता अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है या आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर आदेश स्वीकृति प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो बयाना रकम को जब्त कर लिया जाएगा।

ब) सुरक्षा अमानत उपनियम को निविदा में निर्धारित किया जाना चाहिए। सुरक्षा अमानत को प्रस्तुत करने के लिए सफल निविदाकर्ता को दो सप्ताह का समय (15 दिन) दिया जाएगा। यदि फर्म अमानत राशि जमा करने में विफल रहती है, तो आदेश को रद्द कर दिया जाएगा और मामले को अन्यत्र ऑर्डर करने के लिए

संसाधित किया जाएगा और फर्म के प्रदर्शन को उनके साथ भविष्य के व्यवहार के लिए लेखांकित किया जाएगा।

बैंक ड्राफ्ट के रूप में सफल निविदाकर्ता द्वारा जमा की जाने वाली अमानत धनराशि का मूल्य किसी भी उच्चतम सीमा के बिना प्रदत्त अनुबंध के मूल्य का 5% होगा। सफल निविदाकर्ता के लिए, बयाना राशि को अमानत राशि में परिवर्तित किया जाना चाहिए जिसे सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख की मंजूरी के साथ अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन के 30 दिनों के भीतर फर्म को वापस कर दिया जाएगा। असंतोषजनक प्रदर्शन और / या संविदात्मक विफलता पर अमानत राशि को जब्त किया जाएगा।
ग) रु. 1,00,000 से कम की खरीद मूल्य के लिए, कोई बयाना राशि / अमानत राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

घ) यदि कोई राज्य / केंद्र सरकार। संगठन / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और वैध आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय / राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम पंजीकृत (निविदा मदों के लिए) फर्म बयाना राशि/ अमानत जमा करने के लिए छूट के लिए सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो उसके अनुसार प्राधिकरण, उन्हें बयाना राशि / अमानत राशि प्रस्तुत करने से छूट देने के लिए विचार कर सकता है।

6.5.1 बैंक गारंटी निष्पादन

कैपिटल उपकरण की खरीद के लिए सभी अनुबंधों में बैंक गारंटी निष्पादन उपनियम को अनुबद्ध किया जाना चाहिए। यदि गारंटीकृत किए जाने वाले निष्पादन को परिभाषित किया जा सकता है, तो तार की रस्सियां, केबल, टायर आदि महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के लिए भी समान गारंटी निष्पादन उपनियम

को निर्धारित किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर मूल्य का 10% की दर से निष्पादन बैंक गारंटी ली जानी चाहिए। कुछ विशेष वस्तुओं और / या कुछ फर्मों की खरीद के लिए, यदि आवश्यक हो, तो ऑर्डर मूल्य के 10% से अधिक की निष्पादन बैंक गारंटी प्राप्त की जा सकती है। यह तकनीकी विभाग के विवेक पर निर्भर है और निविदा जांच में शामिल करने के लिए सामग्री प्रबंधन विभाग को स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। बैंक गारंटी निष्पादन के मूल्य पर पहुंचने के लिए, निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ऑर्डर मूल्य की गणना की जानी चाहिए:

क) स्वदेशी ऑर्डर के लिए -
स्वदेशी ऑर्डर के लिए प्रस्तुत की जाने वाली बैंक गारंटी निष्पादन के लिए मूल्य पर पहुंचने के लिए, ऑर्डर मूल्य सभी करों और शुल्कों को जोड़कर आ जाएगा, जैसे कि ऑर्डर की गई सामग्री को गंतव्य तक पहुंचाने(सड़क मार्ग से) के लिए लगने वाली लागत पर उत्पाद शुल्क, बिक्री कर, आदि जो कि बोली के खुलने की तिथि पर लागू होता हो।

ख) आयातित आदेश के लिए -
आयातित आदेश हेतु प्रस्तुत की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी के लिए मूल्य पर पहुंचने के लिए. ऑर्डर मूल्य को माल की बोली खोलने की तिथि पर लागू माल भाड़ा(एफओबी), बीमा, बंदरगाह भाड़ा और सीमा शुल्क आदि की अनुमानित राशि जोड़कर आर्डर किया जाएगा।

ग) उपरोक्त मामले (क) और (ख) के लिए निष्पादन बैंक गारंटी, यदि कोई दावा लंबित न हो तो, संबंधित तकनीक विभाग की स्वीकृति के साथ वैध अवधि की समाप्ति के बाद जारी की जाएगी। तथापि, अगर कोई विवाद लंबित नहीं है और वैधता अवधि समाप्त होने से 3 (तीन) महीने पहले उपयोगकर्ता से लिखित रूप में कोई दावा प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो बिना किसी हवाले के बैंक गारंटी उपयोगकर्ता के जारी कर दी जाएगी।

6.5.2 निर्धारित(डीम्ड) निर्यात

यदि बोलीदाता ने डीम्ड निर्यात के तहत वस्तुओं को उद्धृत किया है, तो यह बोलीदाता की जिम्मेदारी होगी कि वह सरकार से डीम्ड निर्यातों के तहत सभी लाभों को प्राप्त करे। मॉयल की ज़िम्मेदारी केवल आवश्यक प्रमाणपत्रों के जारी करने तक ही सीमित रहेगी। कोटेशन बिना शर्त होगा और "डीम्ड निर्यात लाभ की उपलब्धता के अधीन" आदि वाक्यांश स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6.5.3 प्रतिबंधित या सूची से बाहर किए गए आपूर्तिकर्ता

बोली लगाने वाले यह घोषणा करेंगे कि उन्हें किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा प्रतिबंधित या सूची से बाहर(डी-लिस्ट) नहीं किया गया है। यदि किसी सरकार या अर्ध-सरकारी एजेंसियों या सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किसी बोली लगाने वाले को प्रतिबंधित कर दिया गया है, तो इस तथ्य को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए और यह जरूरी नहीं कि यह, उसे अयोग्य घोषित करने का कारण बने। यदि यह घोषणा नहीं दी जाती है, तो बोली को अननुक्रियाशील माना जाएगा।

6.5.4 विचलन

बोलीकर्ताओं द्वारा मांगे गए विचलन, चाहे वे व्यावसायिक हों या तकनीकी विचलन, उनके लिए निर्धारित अनुसूची में ही दिए जाने चाहिए। बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित अनुसूची के अलावा, आवरण पत्र में या किसी अन्य दस्तावेज में विचलन को जानबूझकर छिपाने पर बोली को अननुक्रियाशील बना सकता है।

6.6 इसके अलावा, निविदा जाँच में, जहाँ भी आवश्यक हो, मामलों की परिस्थितियों के आधार पर समय-समय पर लागू होने वाले किसी भी अन्य प्रासंगिक नियमों और शर्तों को शामिल किया जा सकता है।

6.7 निविदाओं का प्रस्तुतिकरण

i) निविदा वाले सभी लिफाफे को ठीक से सील / स्टेपल किया जाए।

ii) निविदा वाले लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या और खोलने के दिनांक और समय अंकित किया जाना चाहिए।
iii) उपरोक्त तरीके से प्रस्तुत न की गई निविदाएं स्वीकार नहीं की जाएंगी।
iv) विज्ञापित निविदा, सीमित निविदाओं और सामान्य नियम और शर्तों की एक प्रति के लिए निविदा जांच की प्रतियां अनुबंध- III और IV में दी गई हैं।
v) विशेष शर्तों (यदि कोई हों), को निविदा जांच के साथ शामिल किया जा सकता है।

vi) प्रत्येक निविदा जांच के लिए कोटेशन की प्राप्ति की अंतिम तिथि क्रय कार्यकारी द्वारा उपयुक्त तरीके से निर्धारित की जानी चाहिए। तथापि, क्रय कार्यकारी यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापित निविदा के मामले में, निविदा के प्रकाशन की तारीख से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आम तौर पर कम से कम 21 दिन उपलब्ध हों। वैश्विक निविदा के मामले में यह अवधि निविदा के प्रकाशन की तारीख से न्यूनतम अवधि 45 दिन होगी।

vii) निविदाकारों को उनके प्रस्तावों को कवर I (यांत्रिक और वाणिज्यिक बोली) खोलने की तारीख से 120 दिनों की अवधि के लिए वैध रखने के लिए अनुरोध किया जाएगा।
viii) ऊपर उल्लिखित तरीके से निविदा जांच की तैयारी के बाद यानी मामला जैसा भी हो- वैश्विक / घरेलू ओपन / लिमिटेड / एकल निविदा-इन्हें क्रमशः पैरा 2.4, 2.5 और 2.6 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाएगा।

6.8 निविदा प्रपत्रों और उनकी बिक्री की लागत

विज्ञापित निविदाओं के लिए निविदा शुल्क लिए जाएंगे और निविदा शुल्क विज्ञापन में ही दर्शाए जाएंगे। निविदा शुल्क की दरें केवल मार्गदर्शन के लिए नीचे दी गई हैं:

क) जब मांग का अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपये तक है, तो निविदा शुल्क 1000 / - रुपये होगा।
ख) जब यह मूल्य 10 लाख रुपये से अधिक है और 50 लाख रुपये से कम है, तो निविदा शुल्क रु. 2000 / - होगा।
ग) जब मूल्य 50 लाख रुपये और उससे अधिक है, तो निविदा शुल्क रु. 5000 / - होगा।

घ) ऐसे मामलों में जहां निविदा प्रपत्रों के साथ विशेष चित्रांकन या विनिर्देशों को आपूर्ति की जानी है, सामग्री प्रबंधन के अधिकारी के परामर्श से प्रत्येक मामले में निविदा प्रपत्रों के लिए चित्र / विनिर्देशों की लागत सहित शुल्क तय किए जाएंगे। एक फर्म द्वारा खरीदे गये निविदा फॉर्म किसी अन्य फर्म को हस्तांतरित नहीं होते हैं। विज्ञापन में दिए गए तरीके से निविदा शुल्क प्राप्त किया जाएगा। शुल्क के लिए नकद रसीद जारी की जाएगी। फर्म को इसी नकद रसीद या डीडी के आधार पर निविदा प्रपत्र जारी किए जाएंगे। निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि से 1 दिन पहले निविदा पत्रों की बिक्री बंद कर दी जाएगी।

6.9 निविदा प्रपत्रों की निःशुल्क आपूर्ति
निम्नलिखित मामलों में निविदा प्रपत्र नि:शुल्क प्रदान किए जाएंगे:
क) विज्ञापित निविदा के निमित्त सभी सरकारी / उपक्रम / आनुषांगिक इकाइयों को समान मदों के लिए मांग पर निविदा प्रपत्रों की निःशुल्क आपूर्ति की जा सकती है।
ख) वैश्विक निवादाओं के मामले में, भारतीय व्यापार जर्नल या अन्य समाचार पत्रों में विज्ञापित निविदा सूचना की एक प्रतिलिपि, यदि आवश्यक हो, तो व्यापार आयुक्तों / काउंसलर / प्रतिनिधियों / उच्च आयोगों को नि:शुल्क आपूर्ति की जाएगी। व्यापक प्रचार हेतु, जहां आवश्यक हो, वैश्विक निविदा सूचना की प्रतियां विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास / उच्च आयोगों को भेजी जाएंगी।

ग) विज्ञापित सभी निविदा सूचनाओं की प्रतियां सूचना फलक पर प्रदर्शित करने के लिए सभी खदानों / संयंत्रों को भी भेजी जा सकती हैं।

6.10 निविदाओं की तय तारीख का विस्तार

आम तौर पर निविदा जमा करने की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। तथापि, ऐसी स्थिति में जहां विस्तार टाला नहीं जा सकता है, वहां सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख की अनुमति ली जाएगी। यह निर्णय न केवल उन व्यक्तिगत निविदाकारों को सूचित किया जाएगा जिन्होंने निविदा प्रपत्र खरीदे हैं, बल्कि विज्ञापित निविदा के मामले में तिथि के विस्तार की सूचना भी में समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी। सीमित निविदा के मामले में, जिन फर्मों को पूछताछ जारी की गई थी, उन्हें निविदाओं की नियत तिथि के विस्तार के बारे में व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा। इस तरह के विस्तार के लिए उचित औचित्य और तर्क को फाइल में दर्ज किया जाना चाहिए।

6.11 निविदा की प्राप्ति

निविदाओं की सूची प्रस्तुत करने और प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय को प्रस्ताव की अनुसूची में वर्णित किया जाएगा। हाथ से वितरित की गई निविदाएं, (निविदाओं की प्राप्ति की निर्धारित तिथि और समय के बाद नहीं) को भी इस प्रयोजन के लिए प्रदान की गई निविदा पेटी में ही रखा जाना चाहिए। एक विशेष तिथि को प्राप्त सभी निविदाएं निविदा समिति द्वारा छांटी जाएंगी।

6.12 विलंबित या देरी से प्राप्त निविदा

i) निविदाओं को जमा करने और खोलने की नियत तिथि समान होगी।

ii) कोई निविदा जो नियत तिथि या निविदा खोलने के नियत समय से पहले प्राप्त नहीं होगी, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.13 निविदाएं खुलना

i) एक आवरण प्रणाली

क) यदि निविदा मूल्य रुपये 10 लाख से कम है, तो ऐसे निविदाएं लेनदेन अधिकारी / या उस अधिकारी द्वारा नामांकित की जाएंगी, जो कि वित्त सहयोगी के प्रतिनिधि के साथ मिलकर निविदा खोलने के लिए नामांकित हैं।

ख) यदि निविदा मूल्य रुपये 10 लाख रुपये से अधिक है, तो इस तरह की निविदाओं को वित्त सहयोगी के प्रतिनिधि के साथ-साथ निविदा खोलने के लिए लेनदेन अधिकारी/ निविदा खोलने के लिए नामित अधिकारी द्वारा अधिमान्य रूप से उपयोगकर्ता विभाग से एक अन्य अधिकारी की उपस्थिति में खोला जाना चाहिए। निविदा खोलने से पहले भाग लेने वाले निविदाकारों के प्रतिनिधि को सूचित किया जाना चाहिए।

ग) केवल संबंधित निविदाकारों द्वारा लिखित में दिये गये अधिकृत प्रतिनिधियों को निविदा खोलने के दौरान, प्रति प्रतिभागी/ प्रति निविदा की शर्त के साथ उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
घ) उस फर्म के प्रतिनिधि, जिन्होंने निविदा में भाग नहीं लिया है, उन्हें निविदा खोलने के समय उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
च) निविदा खोलने वाले अधिकारी को उन निविदाकर्ताओं की सूची प्राप्त होगी जिन्होंने निविदा पत्र खरीदे हैं या जिनको निविदा जारी की गयी हैं और प्राप्त निविदाओं के साथ इसकी तुलना की गयी है।

निविदा खोलने के समय उपस्थित प्रतिनिधियों की एक सूची बनाई जायेगी और सूची पर उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे। निविदाओं खोलते समय अधिकारियों द्वारा सूची को हस्ताक्षरित और दिनांकित किया जाएगा। । निम्नलिखित विवरणों, को उपस्थित निविदाकारों के प्रतिनिधियों की जानकारी के लिए उनके द्वारा खोली गई प्रत्येक निविदा से पढ़ा जाएगा: -

i) निविदा नाम

ii) निविदाकर्ता का नाम

iii) अनुच्छेद का संक्षिप्त विवरण

iv) कोटेशन की मात्रा

v) छूट सहित यूनिट मूल्य, यदि कोई हो, वितरण बिंदु और विस्तार अनुच्छेद, यदि कोई हो

vi) वितरण अनुसूची

vii) किसी अन्य महत्वपूर्ण विवरण को भी पढ़ा जा सकता है

प्रथम पृष्ठ पर सभी निविदाकारों को क्रमानुसार लिखा जाएगा, हस्ताक्षर लिये जाएंगे और दिनांकित किया जाएगा।अनुसूची के प्रत्येक पृष्ठ या निविदा से जुड़े हुए पत्र पर भी हस्ताक्षर लिये जाएंगे। इसके अलावा, अनुसूची जिसमें कीमतें दर्ज हैं, (निविदा की मुख्य शीट का हिस्सा) अलग से हस्ताक्षरित की जायेगी। प्राप्त और खोली गई निविदाओं की कुल संख्या आंकड़ों और शब्दों में उपयुक्त फाइल में टिप्पणी हिस्से में, संबंधित अधिकारियों द्वारा उल्लेखित की जायेगी ताकि किसी भी निविदा के रुकावट, प्रतिस्थापन या परिवर्धन की संभावना न हो। निविदाओं में निविदाकार द्वारा यदि कोई प्रविष्टि रिक्त छोड़ दी गयी है तो संबंधित अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर के साथ उस स्थान के नीचे एक लकीर खींच कर इंगित करना होगा। फर्म द्वारा निविदा में यदि कोई फेरबदल किया गया हो तो संबंधित अधिकारी द्वारा यह सुस्पष्ट करने के लिये हस्ताक्षरित किया जाएगा कि निविदा खोलने के समय निविदा में ऐसे विकल्प उपलब्ध थे। जब तक कि क्रेता को विशेष आवश्यकता नहीं हो, तब तक निविदा की प्राप्ति की तारीख और समय के बाद, किसी भी खाते में निविदा संबंधी किसी भी संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ii) दो/तीन आवरण प्रणाली : दो/तीन आवरण प्रणाली में, प्रस्ताव दो / तीन अलग-अलग आवरणों में प्राप्त होते हैं, अर्थात, कवर I और कवर- II / III जैसा कि पैरा 6.3 और 6.4 में वर्णित है। उपरोक्त प्रणाली में प्रत्येक आवरण को अलग से उपरोक्त अनुच्छेद 6.13 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खोला जाएगा। केवल

तकनीकी और व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य निविदाओं के मूल्य को निविदा समिति की सिफारिश के अनुसार खोला जाएगा।

6.14 मूल्य का प्रकटीकरण

निविदाओं को गोपनीय दस्तावेजों के रूप में माना जाता है और निविदाओं के सार्वजनिक प्रकटीकरण के समय को छोड़कर, कंपनी के किसी भी कर्मचारी द्वारा उद्धृत कीमतों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।

6.15 निविदा के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर

निविदा आमंत्रण सूचना में निविदाकारों को अपनी निविदा के सभी पृष्ठों सहित , निर्माता के नाम को इंगित करने वाले मुद्रित पत्रक / कैटलॉग को छोड़कर निविदाओं के साथ प्रस्तुत किए गए सभी संलग्न -पत्रकों को मुहर के साथ हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।यदि मूल्य बोली के किसी भी पृष्ठ पर मुहर के साथ हस्ताक्षर ना -मौज़ूद है, तो फर्मों को निविदा खोलने के समय उसका अनुपालन करने के लिए कहना चाहिए। निविदा खोलने वाले अधिकारियों को सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करना चाहिए और इस विचलन को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि फर्मों द्वारा निविदा खोलने के 3/4 दिनों तक इसका अनुपालन किया जा सके।

6.16 यदि निविदाकार निविदा के साथ आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रतियाँ,भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस और आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय/ अन्य स्वतंत्र सांविधिक निकायों द्वारा जारी अनुमोदन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तो सत्यापन के लिए संबंधित अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों की मूल प्रतियां दिखाने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि उनकी प्रामाणिकता की संतुष्टि की जा सके। संबंधित सत्यापन प्राधिकारी को सत्यापित दस्तावेजों पर उसका नाम, पदनाम, सत्यापन की तारीख और हस्ताक्षर जाहिर करना चाहिए।

6.17 निविदा आमंत्रण सूचना के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्त

(i) निविदा आमंत्रण सूचना में अनुबद्ध की जाने वाली विशिष्टता ही निविदा आमंत्रण सूचना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है और इस लिए यह

जरूरी है कि तकनीकी विनिर्देश ऐसे हों कि निविदा के निमित्त बड़ी संख्या में बोली लगाने वा लेभाग ले सकें। जहां तक संभव हो यह विस्तृत होगी और अस्पष्टता और गलत व्याख्या के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी।एक सम्पूर्ण रूप से उपकरणों के लिए, किसी भी ब्रांड के नाम की पसंद को इंगित करना वांछनीय नहीं है, हालांकि यदि आवश्यक माना जाता है, तो उपकरण में फिट होने वाली उप-असेंबली का ब्रांड नाम एनआईटी में उपयोगकर्ताओं के पिछले अनुभव के आधार पर इंगित किया जा सकता है। ऐसी आपूर्ति की गई असेंबली / एक्सेसरीज़ के लिए मेक की विशिष्ट पसंद उपयोगकर्ताओं के अनुभव को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम दो के लिए होगी।

ii) स्वदेशी निर्माता

घरेलू निर्माताओं को एक स्वदेशी निर्माता माना जाएगा, अगर निविदा के निमित्त उनके द्वारा निर्मित और प्रस्तुत किए गए उपकरण में सभी करों और शुल्कों सहित,उपकरण के पूर्व-कार्य मूल्य के 30% से अधिक स्वदेशी सामग्री लागत और श्रम सामग्री लागत है।

(iii) संतोषजनक प्रदर्शन

क) उपकरणों के प्रदर्शन के संतोषजनक स्तर के मापदण्ड को इंगित करना अनिवार्य है। प्रमुख खनन उपकरणों के मामले में, यदि कोई उपकरण शुरूआत की तारीख से संचालन के पहले वर्ष के दौरान इंगित की गई उपलब्धता को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उपकरण के प्रदर्शन को संतोषजनक नहीं माना जाएगा। एक उपकरण को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए इस तरह का संतोषजनक स्तर देना चाहिए और ऑर्डर में वर्णित गारंटी की उपलब्धता को प्राप्त करना चाहिये।

ख) बी) परीक्षण के तहत उपकरण के संतोषजनक प्रदर्शन, निविदा आमंत्रण सूचना / आर्डर भी प्रदान कर सकता है,इसके अतिरिक्त संतोषजनक प्रदर्शन की उपरोक्त स्थिति,परीक्षण अवधि के दौरान शामिल रखरखाव और परिचालन लागत पर विचार करने के लिए परीक्षण के तहत उपकरणों के संतोषजनक प्रदर्शन का निर्धारण करने में एक कारक हो।

(iv) प्रमाणित उपकरण

निविदाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले उपकरण को प्रमाणित माना जाएगा, बशर्ते दिए गए उपकरणों का प्रकार और मॉडल पूर्व में पीएसयू / सरकार के अधीन खनन उद्योग और / या अन्य उद्योगों को आपूर्ति किया गया हो (केवल सामग्री निपटान के उपकरण के जैसे क्रेन, ड्रिल मशीन आदि पर लागू) और शुरूआत करने की तारीख से एक वर्ष से कम की अवधि के लिए संतोषजनक प्रदर्शन किया हो।

(v) आइटम को(उपकरण के अलावा अन्य) प्रमाणित घोषित करने के लिए आवश्यक समयावधि खरीदे गए सामानों की प्रकृति और महत्ता को ध्यान में रखते हुए, उचित तरीके से तकनीकी विभाग के प्रमुख द्वारा तय की जायेगी। हालांकि, समय अवधि 6 महीने से कम नहीं होनी चाहिए।

खंड – VII

प्रस्तावों का विश्लेषण, ऑर्डर का स्थापन और आपूर्ति की पूर्तता

7.1 एक आवरण/ एकल बोली प्रणाली के लिए तुलनात्मक विवरण का सारणीकरण।

निविदा जांच के जवाब में प्राप्त विलंबित / देर से प्राप्त निविदाओं को छोड़कर सभी निविदाओं को सारणीबद्ध किया जाएगा और एक तुलनात्मक विवरण बनाया जाएगा। एक तुलनात्मक विवरण में निम्नलिखित जानकारी होगी: -

i) सभी फर्मों द्वारा उद्धृत मूल्य दिखाए जाएंगे। जहां आपूर्तिकर्ताओं ने अलग-अलग या वैकल्पिक विनिर्देशों के लिए स्टोर की पेशकश की है, उनमें मॉडल, प्रकार, उनकी कीमतों को भी निर्दिष्ट किया जाएगा।

ii) उद्धृत मूल्य की तुलना, कुल कर के आधार पर की जाएगी, जिसमें प्रत्येक मामले में देय सभी कर, शुल्क, पैकिंग और अग्रेषण शुल्क, भाड़ा, बीमा, ऑक्ट्रो ड्यूटी / एंट्री टैक्स आदि शामिल हैं।

iii) सभी आपूर्तिकर्ताओं की आपूर्ति शर्तें दी जाएंगी।

iv) विनिर्देशों में विचलन को इंगित किया जाएगा।

v) मानक नियमों और शर्तों से विचलन और वे शर्त और सीमाएं भी दी जानी चाहिये, जो कही गयी हैं।

vi) क्या उद्धृत कीमतों में करों और शुल्कों को शामिल किया गया है। यदि शुल्क और कर देय हैं, तो लागू दरों का उल्लेख किया जाएगा।

vii) जहां सामग्री(स्टोर) को आयात किया जाना है, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता (एफओबी मूल्य) और आपूर्ति फर्मों द्वारा निर्दिष्ट किसी भी विशेष शर्तों को लिखा जाएगा।

viii) छूट, अगर प्रस्तावित की जाती है, तो उसे लिखा जाएगा।

ix) प्रत्येक आइटम के समक्ष **अंतिम खरीद मूल्य (एलपीपी)** दिखाया जाएगा। एलपीपी वह मूल्य है, जिस पर अंतिम आदेश उसी आइटम के लिए रखा गया था। यदि एपीपी में कर और शुल्क शामिल हैं, मूल मूल्य स्तर पर इसमें यथोचित छूट दी जानी चाहिए। अंतिम ऑर्डर की तारीख निर्दिष्ट की जानी चाहिये। यदि अंतिम आदेश की तारीख 36 महीने से अधिक पुरानी है या आइटम पहले नहीं खरीदा गया था, तो यह उल्लेख किया जाएगा कि एलपीपी उपलब्ध नहीं है। यदि अंतिम आदेश 5 वर्ष से अधिक पुराना है, तो एलपीपी परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, निविदा के निमित्त प्राप्त एकल प्रस्ताव के लिए, यदि उपलब्ध हो तो किसी भी तारीख के एलपीपी का उल्लेख किया जा सकता है।

x) सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, समग्र लागत मूल्यांकन किया जाएगा। जारी किए गए निविदा प्रपत्रों की संख्या और प्राप्तियों की संख्या के बारे में जानकारी निर्दिष्ट की जाएगी। इस विवरऩ पर लेनदेन और सहायक अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और वित्त द्वारा जांचा जाएगा।

7.2 कुल संयुक्त मूल्य पर पहुंचने के लिए विधि -

i) जब भी निविदाकार यह उल्लेख करते हैं कि कर और शुल्क अतिरिक्त रूप से देय हैं, तो लागू करों और शुल्कों की वर्तमान दर को जोड़ा जाएगा।

ii) मात्रात्मक छूट सहित सशर्त छूट, तुलनात्मक विवरण में निर्दिष्ट की जाएगी लेकिन तुलनात्मक उद्देश्य के लिए रियायती मूल्य नहीं दिखाया जाएगा। नकद छूट या तत्काल भुगतान छूट को भी उसी तरीके से माना जाएगा। कुल कीमत पर पहुंचने के लिए केवल बिना शर्त छूट का ध्यान रखा जाएगा। यदि बोली लगाने की तारीख और समय को बंद करने के बाद एक बोलीदाता एकतरफा छूट प्रदान करता है, तो इसे मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए नहीं माना जाएगा, लेकिन बोली लगाने वाले को सबसे कम मूल्यांकन किए गए बोलीदाता के रूप में उभरने पर अनुबंध पर निर्णय लेते समय छूट दी जाएगी।

iii) यदि कीमत को उत्पाद शुल्क के समावेशी के रूप में बताया गया है, तो मूल्य में शामिल वर्तमान दर प्राप्त की जानी चाहिए। यदि उन्हें उत्पाद शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है, तो उन्हें वैध दस्तावेजी साक्ष्य के साथ भी पुष्टि की जानी चाहिए। यदि उत्पाद शुल्क की दर कंपनी के टर्नओवर के साथ भिन्न होती है, और और मूल्य उत्पाद शुल्क से अलग है, और फर्म लागू सटीक दर को निर्दिष्ट करने में विफल रहती है, वर्तमान में देय अधिकतम दर को मूल्य में भारित किया जाएगा।

iv) यह उल्लेख करने के बावजूद कि प्रस्ताव उपरोक्त 6.1(ख)(ii) के अनुसार गंतव्य आधार(सड़क से माल ढुलाई) पर निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, यदि निविदाकर्ता मूल्य के आधार को निर्दिष्ट नहीं करता है या पूर्व-कार्य के आधार पर या निस्तारण स्थान के आधार पर सड़क माल ढुलाई के लिए कोटेशन देता है, तो मूल्य निम्नलिखित तरीके से भारित किया जाएगा।

क) पूर्व-कार्य के प्रस्ताव के मामले में और अगर फर्म पैकिंग और अग्रेषण शुल्क को निर्दिष्ट नहीं करता है, तो पूर्व-कार्य की कीमत का 2% निस्तारण स्थान पर सड़क से माल ढुलाई की कीमत पर पहुंचने के लिए भारित किया जाएगा। लोडिंग

उद्देश्य के लिए बीमा प्रभार को मौजूदा पारगमन बीमा अनुबंध के अनुसार माना जाएगा।

ख) निस्तारण स्थान पर सड़क से माल ढुलाई मामले में, निस्तारण स्थान पर सड़क से माल ढुलाई मूल्य तक पहुंचाने के लिए गंतव्य तक अनुमानित माल के रूप में निम्न प्रतिशत को जोड़ा जाएगाः

कार्यस्थल से प्रेषण स्थान की अनुमानित दूरी	**प्रेषण स्थान तक सड़क से माल ढुलाई(फॉर) का %**
2001 किलोमीटर से अधिक	5%
1501 से 2000 किमी	4%
1001 से 1500 किमी	3%
501 से 1000 किलोमीटर	2%
500 किमी और कम	1%

यदि फर्म माल की यथार्थ मात्रा या पैकिंग और अग्रेषण शुल्क को उद्धृत करती है, तो उपरोक्त प्रतिशत राशि के स्थान पर इसे जोड़ा जाएगा।

7.3 दो आवरण प्रणाली के लिए सारणीकरण और तुलनात्मक विवरण।

इस प्रणाली में, वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के लिए तुलनात्मक विवरण यानी वारंटी, प्रदर्शन, बैंक गारंटी, एलडी क्लॉज, वितरण आदि को आवरण- । खोलने के बाद तैयार किया जाएगा। आवरण-। में निहित प्रस्तावों की तकनीकी जांच करते हुए तकनीकी विनिर्देश और विचलन को सामने लाया जाएगा और जांच की जाएगी, जो संबंधित तकनीकी विभाग प्रमुख द्वारा किया जाएगा, वे सभी आवश्यक तकनीकी स्पष्टीकरण भी प्राप्त करेंगे। आवरण- ।। के खुलने के बाद कीमतों का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाएगा। तुलनात्मक विवरण तैयार करने की सामान्य प्रक्रियाएं पैरा 7.1 में दी गई हैं। हालाँकि, कीमतों का तुलनात्मक विवरण केवल उन्हीं प्रस्तावों के लिए किया जाएगा जो आवरण- । बोली के मूल्यांकन पर तकनीकी और व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य हैं।

7.4 इंडेंट पर दिखाई गई अनुमानित राशि से अधिक की खरीद।
इंडेंटिंग ऑफिसर की तरफ से सामान्य या विशेष निर्देश के अभाव में, किसी मांगपत्र पर इंडेंटर के पूर्व संदर्भ के बिना, दिखाए गए सामान के मूल्य से अधिक के ऑर्डर दिए जा सकते हैं यदि अतिरिक्त लागत इंडेंटेट राशि से 10 प्रतिशत से अधिक न हो। यदि सीमा पार हो जाती है तो उपभोग्य सामग्री(स्टोर) के मामले में ऑर्डर को इंडेंट मूल्य के अधिकतम 10प्रतिशत मूल्य सीमा तक रखा जाएगा। और तदनुसार इंडेंटर को सूचित किया जायेगा। अन्य मामलों में जहां खरीद मूल्य इंडेंट मूल्य की 10% से अधिक है, इंडेंटर को सक्षम प्राधिकारी की सहमति से अतिरिक्त बजट प्रमाणीकरण के लिए कहा जाएगा। तथापि, ऑर्डर को शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुरूप दिया जाएगा। खरीद कार्यकारी 5% की सीमा के भीतर मात्रा से अधिक मात्रा में स्वीकार कर सकता है जहां पैकिंग यूनिट या वैगन कंसाइनमेंट (स्टील के मामले में) ऑर्डर देने में निर्धारण कारक हैं। यह 5% बजट प्रमाणीकरण के मामले में स्वीकृत 10% के सामान्य छूट में अंतर्निहित किया गया है। हालांकि, अतिरिक्त मात्रा की ऐसी स्वीकृति को सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। यदि, वे आवश्यक समझें तो इंडेंटर्स / वित्त विभाग से परामर्श कर सकते हैं।

7.5 मात्रा में वृद्धि निविदा मात्रा से ऑर्डर की जाएगी
बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेजों के माध्यम से सूचित किया जाना चाहिए कि उसमें उल्लिखित किसी भी / सभी वस्तुओं के लिए पूछताछ की गई मात्रा यदि आवश्यक हो, परिवर्तित की जा सकती हैं, और ऐसी परिवर्तित मात्रा के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। ऐसी स्थितियां तब निर्मित हो सकती हैं, यदि खरीद प्रस्ताव की निविदा और उसे अंतिम रूप देने के बीच की अवधि के दौरान, अतिरिक्त अनुमोदित निर्देश प्राप्त होते हैं या, वैकल्पिक रूप से इंडेंटर्स उनकी आवश्यकता को कम कर देते हैं। यदि ऑर्डर की जाने वाली मात्रा, निविदा की गई मात्रा से अधिक

है, तो तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य निविदाकारों से मूल्यों के संबंध में उपयुक्त छूट प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

7.6 प्राप्त निविदा रद्द करना और नए सिरे से पूछताछ जारी करना

सामान्य परिस्थितियों में, किसी निविदा को रद्द करना और पुनः निविदा मंगवाना वांछनीय नहीं है। निविदा को पुनः मंगवाना सामान्य रूप से तब उचित है जहां निविदाओं की प्राप्ति के बाद बुनियादी विनिर्देशों में सामग्री परिवर्तन किया गया है या जहां प्राप्त प्रस्ताव महत्वपूर्ण संदर्भों में विनिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं या जहां बाजार मूल्यों में अचानक गिरावट के कारण उद्धृत मूल्य तर्कसंगत नहीं हैं या खरीद नीति में परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति, यदि कोई हो तो। निविदाओं को रद्द करने से पहले सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाएगी। मामले / मामलों में जहां एक ही मांग के निमित्त पूछताछ दूसरे या बाद के दौर में भेजी जाती है, पहली वाली किसी कारणवण रद्द की जाती है तो जिन पक्षों ने पहली निविदा के निमित्त कोटेशन दिया था उन्हें स्पष्ट किया जाना चाहिये कि निविदा का नया आमंत्रण पूर्व के स्थान पर है। किसी भी निविदा को रद्द करने के लिए पूर्ण और विस्तृत औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए।

7.7 सरकारी विभाग/ उपक्रमों से सामग्री(स्टोर) की खरीद।
सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को खरीद वरीयता लागू होगी।

7.8 खरीद प्रस्तावों को अंतिम रूप देना।
i) खरीद के प्रस्ताव को निम्नलिखित तरीके से अंतिम रूप दिया जाएगा:
क) सभी खरीद के मामले में जहां मूल्य रु.5 लाख के भीतर है, इसे वित्त अधिकारियों की सहमति प्राप्त करने के बाद, खरीद प्रतिनिधियों द्वारा उनकी प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर अंतिम रूप दिया जाएगा। सड़क मार्ग से माल

ढुलाई(फॉर) मूल्य के साथ लागू सभी करों और शुल्कों को जोड़ने के बाद खरीद मूल्य की गणना की जानी है।

ख) खरीद के मामले में जहां मूल्य रु 5 लाख से अधिक है, मामला एक निविदा समिति द्वारा तय किया जाएगा। रु.10 लाख रुपये तक की निविदा समिति का गठन निदेशक (पी एंड पी) द्वारा किया जाएगा और रु.10लाख से अधिक के लिए सीएमडी द्वारा।
1. अनुमोदन के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, सभी मामलों में निविदा समिति की सिफारिशें सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएंगी।

7.8.1 बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन
विज्ञापित, सीमित या एकल निविदा पूछताछ के निमित्त प्राप्त सभी तकनीकी बोलियों का तकनीकी विभाग द्वारा जांच और मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी जांच और मूल्यांकन निविदा आमंत्रण सूचना में प्रदान किए गए मापदंडों तक ही सीमित होना चाहिए। अंतिम तकनीकी जांच रिपोर्ट (टीएसआर) को तकनीकी विभाग के संबंधित प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से खरीद विभाग को भेज दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्पाद(उत्पादों) के पिछली प्रदर्शन को भी प्रदर्शन रिपोर्ट की मूल प्रतियों के साथ अंतिम टीएसआर जमा करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। तकनीकी स्पष्टीकरण प्राप्त करने और अंतिम टीएसआर की यथार्थता की जिम्मेदारी संबंधित तकनीकी विभाग के पास होगी।

7.8.2 निविदा समिति के कर्तव्य और उत्तरदायित्व: -
क) तकनीकी जांच रिपोर्ट की संबंधित इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रमुख और एमएम विभाग के लेनदेन अधिकारी द्वारा जांच की जाना चाहिए. इसे निविदा समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए। निविदा आमंत्रण विनिर्देशों की गैर-अनुरूपता की घटनाएं, यदि कोई हैं, जिनको तकनीकी जांच रिपोर्ट में निर्दिष्ट दिया गया है, उन्हें लेनदेन अधिकारी द्वारा निविदा समिति के ध्यान में लाया जाना चाहिए। निविदा समिति

बोलीदाताओं द्वारा आवरण-I में प्रस्तुत प्रस्तावों पर तकनीकी जांच रिपोर्ट की जांच करेगी।

ख) तकनीकी जांच रिपोर्ट के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं की सूची बनाना।
यदि निविदा समिति तकनीकी जांच रिपोर्ट से असहमत है, तो निविदा समिति को असहमति का कारण दर्ज करना होगा। यदि तकनीकी जांच रिपोर्ट में किसी भी बोली को तकनीकी रूप से खारिज कर दिया जाता है, तो निविदा समिति को भी उसी की भी जांच करनी चाहिए और निविदा आमंत्रण सूचना विनिर्देशों और निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के सामने अस्वीकृति के कारणों को दर्ज करना चाहिए।
ग) यह पता लगाना कि तकनीकी रूप से स्वीकार्य बोलीदाताओं ने निविदा आमंत्रण सूचना के सभी सामान्य और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों को स्वीकार / पूरा किया है या नहीं। लेनदेन अधिकारी को निविदा समिति के सदस्यों के समक्ष निविदा आमंत्रण सूचना के सामान्य और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों के विचलन/ गैर-अनुरूपता (एमएम विभाग के प्रमुख द्वारा विधिवत अनुमोदित) का विवरण देना चाहिए।
घ) निविदा आमंत्रण सूचना के किसी भी नियम-शर्तों और विनिर्देशों को लेकर बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत किसी भी विचलन की स्वीकृति या अस्वीकृति के बारे में अनुशंसा करना।
च) 2-आवरण बोलियों के मामले में, उन बोलीदाताओं के नाम की अनुशंसा करना जिनके मूल्य आवरण खोलने पर विचार किया जाएगा और उनके मूल्य आवरण खोलने के लिए किसी भी बोली पर विचार न करने का विशेष कारण।

छ) तकनीकी-व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य बोलियों की मूल्य तुलना समानता के आधार पर किया जाना चाहिए। लेनदेन अधिकारी को उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर तुलनात्मक विवरण तैयार करना चाहिए और इसे वित्त विभाग के परीक्षण के

बाद निविदा समिति के समक्ष रखना चाहिए। समानता के आधार पर मूल्य तुलना के संबंध में विचलन को तुलनात्मक विवरण में निर्दिष्ट किया जाना चाहिये।
ज) यदि आवश्यक हो, अनुमोदित खरीद नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देश के अनुरूप बातचीत की जानी चाहिए। लेनदेन अधिकारी जिसे निविदा समिति की सहायता के लिए अधिकृत किया गया है, उसे संबंधित दिशानिर्देशों को निविदा समिति के समक्ष रखना चाहिए। यदि अनुमोदित प्रक्रिया से कोई भी विचलन देखा जाता है, तो लेनदेन अधिकारी को निविदा समिति की बैठक के दौरान निविदा समिति के सदस्यों को इसकी सूचना देनी चाहिए।

झ) निविदा समिति बोली लगाने वाले/वालों के नामों की सिफारिश करेगी, जिन्हें मात्रा, इकाई मूल्य, कुल मूल्य और करों और शुल्कों सहित कुल वित्तीय आशय वाले और भंडार की आपूर्ति के लिए अन्य नियम और शर्तें को निर्दिष्ट करते हुए ऑर्डर दिए जाने हैं।

i) यदि निविदा समिति एक से अधिक बोली लगाने वालों को ऑर्डर के वितरण की सिफारिश करती है, तो वितरण पद्धति को सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार या वस्तुओं की विवेचनात्मक या महत्वपूर्ण प्रकृति के अनुसार निविदा दस्तावेज में उल्लेख किया जाना चाहिए। ऑर्डर मात्रा के वितरण के लिए नियम और शर्तों की सिफारिश, यदि कोई हो, तो चालू सीवीसी दिशानिर्देश के अनुरूप और मॉयल / भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिये।

ट) निविदा समिति को किसी भी अनियमितता के विरुद्ध सुरक्षा के लिए अंतिम रूप से अनुशंसित बोलीदाताओं के दोनों प्रस्तावों (भाग- I और भाग- II) को सत्यापित करना चाहिए।
7.8.2.1 मूल्यांकन रिपोर्ट
मूल्यांकन रिपोर्ट एक निविदा समिति द्वारा तैयार की जाएगी जिसमें इंजीनियरिंग, खरीद और वित्त विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे जो यह कार्य संभाल रहे हैं। यह केवल निर्धारित मानदंडों के आधार पर बोलियों का मूल्यांकन करेगा जो बोली

दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से बताए जाएंगे। मूल्य बोलियाँ खोले जाने के बाद यह मानदंड बदलने के लिए बाध्य नहीं होगा और न ही इसे करने के लिए बाध्य किया जाएगा। बोली के अंतिम तिथि और समय के बाद बोली लगाने वाले द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा, जब तक कि तकनीकी जांच के दौरान और निविदा समिति द्वारा स्पष्टीकरण के रूप में इसे मंगवाया न गया हो। तथापि, यह कीमत बोली में उद्धृत मूल्य के साथ कोई असर डाले बिना, विशुद्ध रूप से मामूली तकनीकी बिंदुओं का होना चाहिए। यदि बोली लगाने की अंतिम तिथि और समय के बाद कोई बोलीदाता एकतरफा छूट प्रदान करता है, तो उसे निविदा समिति द्वारा उद्देश्यों के मूल्यांकन के लिए ध्यान में नहीं रखा जाएगा, लेकिन, यदि बोलीदाता सबसे कम मूल्यांकन करने वाले के रूप में उभरता है, तो छूट का प्रस्ताव अनुबंध का समन्वय करने वाले विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदन प्राधिकारी को निविदा समिति की सिफारिश को अग्रेषित करते हुए और अनुबंध प्रदान करते समय, इस पर विचार किया जाएगा। निविदा समिति की रिपोर्ट स्वतः-पूर्ण, स्पष्ट और असंदिग्ध होगी। यदि तकनीकी विचलन या अन्य कारकों के कारण कोई लागत क्षतिपूर्ति की जाती है, तो इसका मूल्यांकन रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा, जिसे गैर-तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी आसानी से समझा जा सकता है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की व्यक्तिपरकता नहीं होनी चाहिए।

7.8.3 निविदा समिति की सहायता करने वाले लेनदेनअधिकारी की अतिरिक्त भूमिका।

लेनदेन अधिकारी निविदा समिति विवेचना (निविदा समिति की कार्रवाई और अंतिम सिफारिश) के आधार पर ड्राफ्ट मिनट तैयार करेगा और हस्ताक्षर के लिए निविदा समिति के समक्ष रखेगा। स्वीकृत / निर्धारित प्रक्रिया से कोई भी विचलन, यदि ध्यान में आता है, तो निविदा समिति के अवलोकन लिए एक आवरण नोट में उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह के आवरण नोट की प्रति केवल रिकॉर्ड के लिए फाइल में रखी जाएगी, लेकिन यह निविदा समिति के विचार / सिफारिश का

हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्ट मिनटों को मंजूरी देते समय निविदा समिति उस पर ध्यान देगी।

7.9 अनुबंधों के प्रकार

(क) **स्थिर मात्रा अनुबंध**: इस प्रकार के अनुबंध में, फर्मों को निर्दिष्ट संख्या या मात्रा और की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव बनाने के लिए कहा जाता है और उनके पास अपने उत्तरजायित्व की सीमा के निश्चित बोध के साथ कुल लागत और निविदा पर काम करने का अवसर है। निविदाकर्ता को उस मूल्य को उद्धृत करना होगा जिस पर वह वितरण की जगह और समय पर क्रेता की आवश्यकता के अनुसार पूरी मात्रा या उसके कुछ हिस्से की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इस अनुबंध का आवश्यक बिंदु यह है कि अनुबंध की समाप्ति के लिए आपसी समझौते या विशिष्ट प्रावधानों की अनुपस्थिति में, सफल निविदाकार अनुबंधित मात्रा के अतिरिक्त कुछ भी आपूर्ति करने से इनकार कर सकते हैं और साथ ही यह आग्रह कर सकते हैं कि क्रेता आदेश की पूर्ण मात्रा का वितरण ले जाएगा।

(ख) **दर अनुबंध**: दर अनुबंध, अनुबंध द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान निर्दिष्ट दरों पर दुकानों की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध है। अनुबंध में कोई मात्रा सामान्य रूप से उल्लिखित नहीं है और आपूर्तिकर्ता किसी भी ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए बाध्य है, जो अनुबंध की विचाराधीनता के दौरान उस पर निर्दिष्ट दर पर उसे दिया जा सकता है। एक परस्पर समझ में रूप में क्रेता, आपूर्तिकर्ता से ऑर्डर लेने के लिए अनुबंध के तहत सभी सामग्रियों(स्टोर) को खरीदने का ऑर्डर देता है, जिन्हें खरीदना आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा के लिए मूल्यों को जमा करने और एक या अधिक आपूर्तिकर्ताओं के बीच अनुबंध को विभाजित करना कुछ शर्तों के अधीन है। यह क्रेता या प्रत्यक्ष मांग वाले अधिकारियों के लिए न्यूनतम कुल मूल्य के लिए दर अनुबंध धारक को ऑर्डर देने के लिए भी अवलंबित है, जो सामान्य रूप से न्यूनतम अनुबंध रु. 1000/- के दर से अनुमानित खरीद का लगभग 1% होना चाहिए।

(ग) **चालू अनुबंध (रनिंग कॉन्ट्रैक्ट);** चालू अनुबंध, निर्दिष्ट अवधि के दौरान निर्धारित मूल्य पर सामग्री की किसी भी अनुमानित मात्रा की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध है। एक अवधि के लिए कई इंडेंटर्स की अनुमानित आवश्यकताओं से संबंधित , खरीद खंड द्वारा जमा की जाती हैं और अनुबंध यह सुविधा देता है कि इनमें से कोई भी इंडेंटर्स किसी भी समय या निर्दिष्ट अवधि में अनुबंध के प्रचलन के दौरान या तो सीधे फर्म से या फिर खरीद खंड से अपनी आवश्यकता की मांग कर सकता है। इन अनुबंधों को कवर करने की शर्तों के संदर्भ में, क्रेता को अनुबंध में उल्लिखित मात्रा से कुछ कम या अधिक मात्रा(आमतौर पर 20%) लेने का अधिकार है। इन अनुबंधों के निमित्त दिये गये ऑर्डर को ध्यान से देखा जाना चाहिए और अनुबंध की मात्रा का आमतौर पर 75% अनुबंध की समाप्ति से पहले लिया जायेगा।

(घ) दर अनुबंधों का संचालन :- सामग्री प्रबंधन विभाग के लेनदेन अधिकारी को आम तौर पर केवल दर अनुबंध या समानांतर दर अनुबंध के संबंध में, जैसा भी अंतिम रूप से तय किया जायेगा, प्रत्यक्ष मांग अधिकारी घोषित किया जाएगा।

7.10.1 ऑर्डर आपूर्ति की सामग्री

औपचारिक ऑर्डर आपूर्ति में एक विशेष निविदा से संबंधित लागू सभी शर्तें शामिल होंगी । सामान्य तौर पर, इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

क) आइटम नंबर

(ख) सामग्री(स्टोर) पूर्ण नामकरण / विवरण और आइटम कोड, यदि आवंटित किया गया है।

(ग) मात्रा

(घ) आपूर्ति को नियंत्रित करने वाले विशेष विवरण जिसके तहत स्टोर का निरीक्षण किया जाना है

(च) वितरण की तारीख

(छ) आपूर्तिकर्ता का नाम और पता

(ज) माल पाने वाले का नाम, पता और प्रेषण का तरीका।
(झ) जांच (निरीक्षण) अधिकारी का पदनाम।
(ट) निरीक्षण का स्थान
(ठ) लेखा इकाई की दर
(ड) कुल लागत
(ढ) भुगतान लेखा अधिकारी
(त) देर से वितरण आदि के लिए परिनिर्धारित हर्जाना अनुच्छेद, जहां लागू हो।
(थ) भुगतान की शर्तें और खातों के नाम
(द) गारंटी/वारंटी
(ध) जहाँ भी लागू हो, प्रदर्शन बैंक गारंटी।

7.10.2 आयातित वस्तुओं के लिए आपूर्ति ऑर्डर

विदेशी आपूर्तिकर्ता पर आयातित वस्तुओं की आपूर्ति के आपूर्ति आदेश में, ऊपर वर्णित मानक अनुच्छेदों के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुच्छेदों को भी जोड़ा जाना चाहिएः

i) माल को सीधे मॉयल के नाम से बुक किया जाना चाहिए।

ii) आपूर्तिकर्ता को सामानों के लिए उचित संतरण योग्य(समुद्री) और सुरक्षित पैकेजिंग और टूट-फूट और खराब संचालन से बचाने के लिए उचित उपकरण उपलब्ध कराए जाने चाहिये और जब आवश्यक फिटिंग के लिए अपेक्षित प्रावधान किए जाते हैं, तो पैकेजों का उचित संचालन सुनिश्चित करना होगा। सामानों की दोषपूर्ण पैकिंग के कारण किसी भी क्षति के लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

iii) पैकिंग पर चिह्नांकन को आपूर्ति क्रम में दर्शाया जाना चाहिए।

iv) लाइसेंस की श्रेणी जिसके निमित्त आयात किया जा रहा है।

v) स्पेयर पार्ट्स के मामले में, आपूर्तिकर्ता को पूर्ण तकनीकी विवरण का उल्लेख करना चाहिए।

vi) वारंटी पुर्जों के लिए, अनुबंध संख्या जिसके निमित्त मूल मशीन आयात की गई थी, का उल्लेख किया जाना चाहिए।

vii) आपूर्तिकर्ता को निकासी और अग्रेषण एजेंट को लदान के दिन फैक्स द्वारा निम्नलिखित जानकारियों के बारे में सूचित करना चाहिए। अपरक्राम्य(नॉन-निगोशिएबल) दस्तावेजों की एक प्रति लदान के 2-3 दिनों के बाद निकास और अग्रेषण एजेंट को सीधे भेज दी जानी चाहिए:

क) अनुबंध संख्या / आपूर्ति ऑर्डर संख्या

ख) एल / सी नंबर

ग) बी / एल नंबर / एडब्ल्यूबी नंबर और दिनांक

घ) लदान का बंदरगाह

च) हवाई वितरण के मामले में पहले से ही संपन्न / संपन्न होना ज्ञात होने पर वाहक द्वारा जारी किया गया मालवाहक आगमन सूचना नंबर, वाहक और कार्गो उड़ान विवरण का पूरा नाम और पता।

ज) पैकेज का विवरण और कुल संख्या

झ) एफओबी मूल्य(जहाज पर माल लदान मूल्य)

ट) भाड़ा राशि का भुगतान / भुगतान किया जाना है

ठ) बीमा राशि का भुगतान / भुगतान किया जाना है

ड) अंतिम पाने वाले(कंसाइनी) का नाम (यदि विदेशी निर्माता को ज्ञात हो तो)।

ढ) भारतीय बंदरगाह पर निकासी(क्लियरिंग) एजेंसी।

viii) आपूर्तिकर्ता को आम तौर पर बातचीत के लिए निम्नलिखित प्रेषण दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिए:

क) पोतभार(लैडिंग)/ एडब्ल्यूबी के बिल की 5 प्रतियां(1 मूल और 4 प्रतियां)

ख) ऑर्डर की गई मात्रा, प्रेषित मात्रा, आइटमवार मूल्य सहित हस्ताक्षरित चालान चार प्रतियां(1 मूल और 3 प्रतियां)

ग) पैकिंग सूची (चार प्रतियां), जिसमें पैकेज का सेंटीमीटर में आकार, पैकेज का वजन किलोग्राम में उल्लेख सहित प्रत्येक पैकेज की सामग्री की सूची।

घ) उद्गम प्रमाण पत्र - मूल प्रति और स्व-सत्यापित छाया प्रति भी।

च) मूल भाड़ा बिल / प्रमाण पत्र।

छ) बीमा प्रमाणपत्र (सीआईएफ अनुबंधों के लिए)।
ज) विनिर्माण परीक्षण प्रमाण पत्र।
झ) नौवहन(शिपिंग) विनिर्देश।
ट) निर्माता गारंटी / वारंटी।
ठ) लाभार्थी प्रमाण पत्र
दस्तावेजों की उपरोक्त सूची आम तौर पर 'बैंकिंग चैनल' के माध्यम से सीमा शुल्क/ पोर्ट क्लीयरेंस और भुगतान के लिए आवश्यक है। हालाँकि क्रेता उपरोक्त सूची में सीमा शुल्क / पोर्ट क्लीयरेंस और भुगतान में बाधा उत्पन्न किए बिना अलग-अलग मामलों के लिए अतिरिक्त संयोजन/ विलोपन पर विचार कर सकता है।

7.11 आम तौर पर निविदा, ऑर्डर आपूर्ति आदि की स्वीकृति की प्रतियां जैसे ही प्राप्त होंगी, निम्नलिखित अधिकारियों को भेज दी जायेंगी:
(क) इंडेंटकर्ता (डुप्लीकेट में)
(ख) मॉल प्राप्तकर्ता (कन्साइनी) (प्रत्येक को, जहां एक से अधिक प्राप्तकर्ता हों)
(ग) भुगतान / भुगतानों के लिए जिम्मेदार लेखा अधिकारी।
(घ) आवश्यकतानुसार अन्य अनुभाग।
7.12 अनुबंध की निष्पत्ति
कानूनी रूप से, आपूर्तिकर्ता और क्रेता दोनों इस बात पर जोर देने के हकदार हैं कि उन्हें अनुबंध में निर्धारित 'सामग्री (स्टोर) की सही मात्रा की आपूर्ति या स्वीकार करने का अवसर दिया जाए।हालाँकि, ऐसा कभी-कभार होता है कि अनुबंध के पूरा होने पर अनुबंधित मात्रा से अधिक या उससे कम वितरण किया जाता हो। इसलिए, ऐसे सभी मामलों में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि जहां सटीक लंबाई (मैनवाइडिंग रस्सियां आदि) या मात्रा की आवश्यकता हो।
7.13 कम / अतिरिक्त आपूर्ति

(i) कम आपूर्ति: यदि आपूर्ति ऑर्डर की गयी मात्रा से 5% या उससे कम की जाती है और प्राप्तकर्ता का मानना है कि शेष आपूर्ति को माफ किया जा सकता है, तो वह अपने विवेक से इसे माफ कर सकता है और लेखा विभाग और ऑर्डर देने वाले प्राधिकारी को सूचित कर सकता है कि आपूर्ति किये गए ऑर्डर को निष्पादित माना जाये और सुरक्षा निधि यदि कोई हो तो वापस कर दी जाये। ऐसे मामलों में, कम आपूर्ति के लिए किसी भी दंड का प्रावधान लागू नहीं होगा।

(ii) अतिरिक्त आपूर्ति: यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा वांछित है, उदाहरण के लिए, केबल्स, बेल्टिंग आदि की आपूर्ति के मामले में तर्कसंगत लम्बाई में इन्हें अनुबंध की कुल कीमत के 2% की सीमा तक ऑर्डर की गयी मात्रा से अधिक में स्वीकार किया जा सकता है।

7.14 संशोधन

खरीद ऑर्डर में विनिर्देशों, मात्रा, मूल्य, वितरण के स्थान आदि में बदलाव पर सामान्यतौर पर विचार नहीं किया जायेगा। जहां संशोधनों से बचा नहीं जा सकता है, वहां उन्हें निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के लिए पूर्ण औचित्य के साथ किया जा सकता है:

i) विनिर्देश में परिवर्तन, यदि कोई हो, जो स्वरूप में मामूली हो, उसकी संबंधित तकनीकी प्रमुख द्वारा विधिवत रूप से जांच की जाएगी । विनिर्देश का परिवर्तन और बिना किसी मूल्य वृद्धि के, उत्पाद के प्रदर्शन, निविदा विनिर्देश और निविदा की परिशुद्धता को प्रभावित नहीं करेगा

ii) मात्रा, मूल्य आदि में परिवर्तन के संबंध में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप कम स्वीकार्यता की स्थिति न बने और यह कि परिवर्तन प्रस्ताव में वित्तीय अनुमानों को स्पष्ट रूप से सामने लाया जाना चाहिए। अनुमोदन से पहले इस तरह के प्रस्तावों पर वित्तीय रूप से सहमति होनी चाहिये। इस तरह के संशोधन को एक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा जिसने मूल खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।

7.15 आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरण सीमा के विस्तार अनुरोध पर विचार करने हेतु प्रक्रिया

वितरण विस्तार को मामले की योग्यता के आधार पर क्रेता के परिसमापन हर्ज़ाने के (लिक्विडेटेड डैमेजेस)अधिकार के साथ, या उसके बिना प्रदान किया जा सकता है,बशर्ते प्राप्तकर्ता को सामग्री की आवश्यकता निर्धारित अवधि के बाद भी हो। एलडी(परिसमापन हर्ज़ाना) लगाये बिना वितरण विस्तार के लिए प्राधिकारी को मंजूरी देना वैसा ही होगा जैसा कि खंड 7.14 के तहत संशोधन के मामले में निर्दिष्ट है। वितरण के विस्तार के लिए अनुरोधों को अस्वीकार करने और अनुबंधों को रद्द करने के सभी मामले वित्त के परामर्श से तय किए जाएंगे।वितरण की अवधि बढ़ाने के अनुरोधों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

क) यदि आपूर्ति में देरी के कारण "अप्रत्याशित घटना " शर्तों के भीतर आते हैं, तो "अप्रत्याशित घटना " स्थितियों की वास्तविकता के बारे में दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करने या यथोचित रूप से संतुष्ट होने के बाद कि वैसी स्थितियां मौजूद थीं, वितरण अवधि के विस्तार की अनुमति दी जा सकती है।

ख) यदि विलंब के कारण "अप्रत्याशित घटना " स्थितियों में नहीं आते हैं, लेकिन आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से परे थे, तो एलडी लगाने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए अस्थायी विस्तार दिया जा सकता है, आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के पूरा होने के बाद, मामले के गुणों की जांच करने पर अंतिम विस्तार दिया जा सकता है।

ग) यदि आपूर्ति में देरी किसी अन्य कारणों से हुई, जिसे आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण से परे नहीं माना जा सकता है और सामग्री की अभी भी इंडेंटर को आवश्यकता है, तो एलडी क्लॉज के स्पष्ट निपटान के साथ वितरण अवधि का उपयुक्त विस्तार प्रदान किया जा सकता है। यदि आवश्यक समझा जाये तो प्राप्तकर्ता के हवाले से पता किया जा सकता है कि सामग्री की अभी भी आवश्यकता है।

घ) यदि आपूर्ति के पूरा होने के बाद आपूर्तिकर्ता ने वितरण अवधि के विस्तार के लिए अनुरोध किया है, और यदि वितरण अवधि की समाप्ति के बाद भी इंडेंटर को सामग्री की आवश्यकता हो

तो वितरण अवधि का विस्तार आपूर्ति के पूरा होने की तारीख तक किया जा सकता है। एलडी क्लॉज का अधिरोपण खंड उपरोक्त 7.15 (क), (ख), (ग) के अनुसार और नीचे वर्णित (च) और (छ) के अनुसार तय किया जाएगा।
यदि तात्कालिकता के आधार पर माल पाने वाले (कंसाइनी) द्वारा सामग्री को स्वीकार किया जाता है, हालांकि आपूर्ति आदेश की वितरण अवधि समाप्त हो गई है, तो वितरण अवधि का विस्तार उपरोक्त क्लॉज (क), (ख) और (ग) के अनुसार एलडी के साथ या उसके बिना दिया जाएगा।
च) रियायत अवधि के लिए 25% या 21 दिनों का बिना एलडी अनुग्रह विस्तार, जो भी वितरण की मूल तिथि की समाप्ति से पहले हो, दिया जा सकता है। ऐसे मामलों को वित्त और उपयोगकर्ता के हवाले के बिना तय किया जा सकता है और अनुमोदन प्राधिकारी सामग्री प्रबंधन विभाग(एमएम) के प्रमुख होंगे।
छ) आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के पूरा होने के बाद, वितरण अवधि के अंतिम विस्तार पर विचार करने के लिए,ऐसे मामले में जहां वितरण अवधि में अस्थायी विस्तार दिया गया था, यह पता लगाया जाना चाहिए कि सामग्री की आपूर्ति में देरी के कारण इंडेंट को कोई नुकसान हुआ है या नहीं। इस प्रयोजन के लिए, इंडेंट को 30 दिनों के भीतर एक रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया जाएगा, जिसमें पूछा जाएगा कि वितरण में देरी के परिणामस्वरूप कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। मांगकर्ता खरीद विभाग को सूचित करेगा कि खरीद से उपरोक्त अनुरोध के 30 दिनों के भीतर डिलीवरी की विस्तारित तारीख की समाप्ति तक उसके द्वारा कोई नुकसान हुआ है या नहीं। यदि रिपोर्ट में देरी होने की संभावना है, तो मांगकर्ता खरीद विभाग को तदनुसार सूचित करेगा। यदि निर्दिष्ट अवधि के भीतर मांगकर्ता द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि मांगकर्ता को नुकसान नहीं हुआ है और खरीद विभाग मांगकर्ता के आगे किसी जिक्र के बिना मामले को गुण-दोषों के हिसाब से अपने स्तर पर अंतिम रूप देने के लिए आगे बढ़ेगा।

ज) यदि इंडेंटकर्ता यह सूचित करता है कि आपूर्ति में देरी के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है, तो आपूर्ति में देरी को माफ किया जा सकता है और एलडी क्लॉज को छोड़ दिया जा सकता है।
झ) किसी भी अन्य मामले में, जहां यह स्थापित किया जाता है कि आपूर्ति में देरी पूरी तरह से मॉयल के स्तर पर ऑर्डर की शर्तों के अनुसार, या सांविधिक नियमों या विनियमों के अनुसार किसी भी महत्वपूर्ण संविदात्मक देनदारियों का निर्वहन करने में विफलता के कारण हुई है जिसके कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा ऑर्डर के समय पर क्रियान्वयन पर प्रत्यक्ष असर पड़ा हो, तो अनुमोदन के साथ एलडी लगाए बिना वितरण अवधि का विस्तार पैरा 7.15 के अनुसार दिया जा सकता है।

i) ऐसे मामलों में जब आपूर्ति की मासिक या आवधिक दर को क्रम में निर्दिष्ट किया गया है और एक अवधि में आपूर्ति की गई मात्रा में कम है, एलडी क्लॉज लगाने का समर्थन किया जाएगा, यदि आपूर्ति की गई मात्रा अनुबंधित मात्रा का 50% से कम है। अन्यथा, एलडी तब लगाया जाएगा, अगर आपूर्ति ऑर्डर पूरा होने की निर्धारित तारीख से ऊपर हो।

ट) सभी मामलों में, जहां एलडी का निस्तारण माफ किए जाने का प्रस्ताव है, वित्त की सहमति ली जानी चाहिए।
ठ) एलडी राशि की गणना के प्रयोजन के लिए, मूल मूल्य पर विचार किया जाना चाहिए। प्रत्यक्ष आयात के लिए, वितरण मूल्य के एफओबी पोर्ट पर विचार किया जाएगा। एलडी की गणना के लिए करों और शुल्कों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। हालांकि, जब ऑर्डर में निर्दिष्ट किए गए मूल्य करों और शुल्कों को शामिल करते हैं, तो एलडी की गणना के लिए ऐसे मूल्य लिये जाएंगे।

7.16 अस्वीकृत सामग्री के प्रतिस्थापन की वितरण तिथि
प्रतिस्थापन की आपूर्ति के मामले में, आपूर्ति ऑर्डर में उल्लिखित वितरण की मूल तिथि विभिन्न कारणों से पालन नहीं हो सकता है, और आपूर्तिकर्ता को उस विशेष

तिथि के भीतर प्रतिस्थापन आपूर्ति करने के लिए मजबूर करना संभव नहीं होगा। ऐसे मामलों में, डिलीवरी की अवधि सामान्य रूप से बढ़ाई जाएगी।

7.17 शुल्क और करों की अतिरिक्त रकम की वसूली ऐसे मामलों में जहां वितरण की तिथि में विस्तार के कारण शुल्क/करों के दर में वृद्धि हुई हो

i) ऑर्डर के वितरण की मूल तिथि से परे आपूर्ति में देरी के मामले में यदि आपूर्ति में देरी आपूर्तिकर्ताओं की किसी गलती के कारण होती है, और विस्तारित वितरण अवधि के दौरान करों और शुल्कों की दर में वृद्धि होती है, तो मॉयल इस कर और शुल्क की वृद्धि का भुगतान नहीं करेगा। इस तरह के वितरण विस्तार के लिए जारी किए गए संशोधन में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

ii) ऐसे मामले में जहां आपूर्ति में देरी के लिए जिम्मेदारियां क्रेता और आपूर्तिकर्ता दोनों की ओर से निहित हैं, शुल्कों, दरों और करों में वैधानिक वृद्धि के माध्यम से भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को संभावित नुकसान के रूप में माना जाएगा और भुगतान की गई अतिरिक्त राशि की वसूली की माफी पर केवल वित्त के परामर्श के बाद विचार किया जा सकता है।
iii) ऐसे मामलों में जहां आपूर्ति में देरी के लिए आपूर्तिकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, वैधानिक शुल्कों में वृद्धि के कारण भुगतान की गई अतिरिक्त राशि, दरों और करों को वास्तविक या संभावित नुकसान के रूप में नहीं माना जाएगा और ऐसे मामलों में एलडी में छूट पर वित्त विभाग के परामर्श के बाद विचार किया जायेगा।

iv) उन स्टोर के संबंध में जिन पर मौजूदा शुल्कों और करों की दरें कम या समाप्त कर दी गई हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे कि इनका कम दर पर भुगतान किया जाए या बिल्कुल भुगतान न किया जाए और यदि इस

तरह के शुल्कों, दरों और करों का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, तो भुगतान की गई अतिरिक्त राशि आपूर्तिकर्ताओं से वापस ली जाएगी।

7.18 अनुबंधों में वितरण तिथि का विस्तार 'मूल्य भिन्नता' धारा को जोड़ते हुए- क्रेता की देयता विस्तारित अवधि

i) जहां आपूर्ति ऑर्डर की शर्तों के तहत, आपूर्तिकर्ता ने निर्धारित तिथि तक वितरण की गारंटी दी है और वह विस्तार के लिए आवेदन करता है, मामले की जांच उसके गुणों के आधार पर की जाती है और जब तक कि परिस्थितियां अन्यथा इंगित नहीं करती हैं, वित्त के परामर्श से उचित स्तर पर निर्णय लिया जाता है। जब भी इस तरह की अनुमति दी जाती है, तो खरीद खंड को एलडी को पुनर्प्राप्त करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए और यह स्पष्ट करना चाहिए कि मूल आपूर्ति ऑर्डर के संदर्भ में 'मूल्य भिन्नता' धारा के अनुसार किसी भी शर्त के बावजूद, वितरण की विस्तारित अवधि के दौरान ऐसा कोई वृद्धि नहीं दी जाएगी। तथापि, यह संशोधन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि वितरण की विस्तारित अवधि के दौरान होने वाली कीमत में किसी भी कमी का दावा करने के लिए क्रेता के अधिकार के अधीन विस्तार को मंजूरी दी गई है। वही शर्तें उन स्टोर की आपूर्ति के ऑर्डर को लागू करने के लिए भी लागू होती हैं जिन पर सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क या कोई अन्य कर लगाया जाता है। यदि आपूर्तिकर्ता विस्तार पत्र से सहमत नहीं होता है, तो वैकल्पिक उपाय ऑर्डर को रद्द करना और आपूर्तिकर्ता के जोखिम और लागत पर बकाया मात्रा में खरीद करना है।

ii) दुष्कर वस्तु या आइटम जिसके लिए पर्याप्त क्षमता मौजूद नहीं है, के मामले में, ऑर्डर को रद्द किया जाना है या नहीं इस तरह के निर्णय संबंधित अधिकारी अपने विवेक से निर्णय़ लेगा और ऐसा निर्णय सक्षम स्वीकृति के साथ लिया जाएगा।

iii) यदि अनुबंध/आपूर्ति के ऑर्डर का निष्पादन अनुबंध/आपूर्ति के ऑर्डर की निर्धारित अवधि से ऊपर-अप्रत्याशित घटना के कारण, व्यापार निषेध की घोषणा, प्राकृतिक आपदाओं के कारण रुकावट बाढ़, आग के कारण विलंबित किया जाता है तब प्रबंधन वितरण की अवधि बढ़ाकर इस तरह के अतिरिक्त समय की अनुमति दे सकता है क्योंकि इसे अनुबंध/ आपूर्ति की परिस्थितियों द्वारा उचित माना जाता है इसे पढ़ा और समझा जाएगा जैसे प्रारंभ से ही वितरण तिथि विस्तारित है। उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मूल्य भिन्नता खंड विस्तारित अवधि के दौरान भी सहमत हो सकता है

.

iv) अप्रत्याशित घटना धारा -बोली दस्तावेज स्पष्ट रूप से बताएंगे कि -

क) इस धारा का सहारा लेने की स्थिति में सफल बोली लगाने वाले स्थानीय चैंबर ऑफ कॉमर्स या सांविधिक अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित एक पंजीकृत पत्र द्वारा पंद्रह दिनों के भीतर इस तरह की अप्रत्याशित घटना के कराण हुई देरी के कारणों की शुरुआत से समाप्ति तक की सूचना देंगे। अप्रत्याशित घटना के कारण हुई देरी की स्थिति में मॉयल, बोली दस्तावेजों में लागू, अनुबंध को समाप्त करने वाले अनुबंध और उससे प्रावधानों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा।
ख) अप्रत्याशित घटनाओं से होने वाली देरी के लिए, बोली लगाने वाला अवधि पूरी होने के बाद तारीख के विस्तार का दावा अप्रत्याशित घटना के फलस्वरूप नहीं करेगा, न तो मॉयल और न ही बोली लगाने वाला अतिरिक्त लागत का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, बशर्ते यह पारस्परिक रूप से तय हो कि अप्रत्याशित घटना शर्तें वास्तव में मौजूद थीं।
ग) यदि बोली प्रस्तुत करते समय भी बोली लगाने वाले के संचालन स्थान पर किसी अप्रत्याशित घटना की स्थिति मौजूद हो तो वह अपनी बोली में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करेगा और बताएगा कि क्या उनकी निविदाओं में इनका ध्यान रखा गया है।

7.19 आपूर्ति ऑर्डर रद्द करना

जहां देर से वितरण के कारणों के कारण या अन्यथा किसी आपूर्ति ऑर्डर को रद्द करने का इरादा है जो आपूर्तिकर्ताओं के आचरण द्वारा क्रियाशील रखा गया है, इसे रद्द करने से पहले आपूर्तिकर्ता को एक यथोचित नोटिस जारी करना आवश्यक है। यह नोटिस आपूर्तिकर्ता को पंजीकृत पोस्ट अभिस्वीकृति के साथ भेजा जाएगा, एक प्रति निर्विवाद रूप से निरीक्षण अधिकारी/एजेंसी को दी जाएगी और उसे अभिस्वीकृति के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो निर्धारित समय सीमा के उत्तर / समाप्ति की प्राप्ति पर निर्धारित लक्ष्य तिथि के बाद निरीक्षण अधिकारी / एजेंसी को किसी भी आपूर्ति का निरीक्षण नहीं करने के लिए कहा जाएगा। बिना विलंब, आपूर्तिकर्ताओं के साथ-साथ निरीक्षण अधिकारी को भी निरस्तीकरण पत्र की एक प्रति पंजीकृत डाक से अभिस्वीकृति के साथ भेजी जाएगा। नोटिस के साथ-साथ निरस्तीकरण पत्र की प्राप्ति और उनकी रसीद को भी ध्यान से देखा जाएगा। संबंधित अधिकारी यह देखेगा कि जिन आपूर्ति ऑर्डर को रद्द करने का इरादा है, उन्हें उनकी तरफ से किसी भी कार्रवाई के लिए क्रियाशील नहीं रखा गया है। यदि वितरण की तिथि की समाप्ति के बाद आपूर्ति ऑर्डर को रद्द करने का इरादा है, जहां इसे पार्टियों के निहितार्थ या आचरण द्वारा अवधि से आगे क्रियाशील नहीं रखा गया है, निरस्तीकरण पत्र वितरण तिथि की समाप्ति पर जारी किया जाएगा, जिसमें निर्दिष्ट किया जाएगा कि नियत तारीख पर शेष बची हुई मात्राएं, संबंधित सभी को अनुलेखित की गई प्रतियों के साथ रद्द कर दी गई हैं।

7.20 मामले जहां वित्त के परामर्श के बिना खरीद खंड द्वारा मूल्य वृद्धि स्वीकार की जाएगी

आपूर्तिकर्ता द्वारा सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में वैधानिक वृद्धि के कारण की गयी मूल्य में वृद्धि के सभी मामलों को वितरण की निर्धारित अवधि के भीतर

उन खरीद अधिकारी द्वारा स्वीकार किया जाएगा, जिसके अधिकार के भीतर खरीद का मामला आता है। जहां किसी विशेष आपूर्तिकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है, जिसने अपने कोटेशन में निर्दिष्ट किया है कि उसका प्रस्ताव सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क आदि में वृद्धि के कारण मूल्य भिन्नता के अधीन है, तो भविष्य की पेचीदगी से बचने के लिए ऐसी शर्तों को कवर करने के लिए आपूर्ति ऑर्डर में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाएगा।

7.21 जोखिम खरीद

अनुबंध-III के सामान्य नियम और शर्तों के अनुच्छेद 26 के अनुसार, आपूर्ति आदेश की निर्धारित तिथि / अवधि के भीतर या आपूर्ति आदेश में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में सामग्री(स्टोर) के वितरण या प्रेषण के लिए आपूर्तिकर्ता की विफलता की स्थिति में, मॉयल को चूक करने वाले (डिफॉल्टिंग) वितरक को यथोचित सूचना देने के बाद, डिफॉल्टिंग वितरक की जोखिम और लागत पर कहीं और से सामग्री खरीदने का अधिकार होगा। यह निविदा जांच में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जा सकता है कि आपूर्तिकर्ता की उपरोक्त विफलता की स्थिति में जोखिम खरीद प्रक्रिया की लागत को मॉयल लंबित किसी भी अन्य आपूर्ति के निमित्त बिलों से वसूल किया जा सकता है।

7.21.1 जोखिम खरीद की शर्तें
निम्न स्थितियों में से किसी एक के तहत, अंतिम उपाय के रूप में जोखिम खरीद कार्रवाई शुरू की जा सकती है:

क) जब आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर वितरण की अवधि कई बार बढ़ा दी जाती है, तब भी आपूर्तिकर्ता सामग्रियों को वितरित करने में विफल रहता है।
ख) जब आपूर्तिकर्ता क्रेता के सामग्री की आपूर्ति के अनुरोध का जवाब देने में विफल रहता है और आपूर्ति में देरी के लिए ऐसा कोई भी कारण जो वास्तविक माना जाए, प्रदान करने में विफल रहता है।

ग) जब क्रेता का निर्णय होता है आपूर्तिकर्ता विभिन्न कारणों से आदेश को निष्पादित करने में असमर्थ है।
घ) जब सामग्रियों की तत्काल आवश्यकता होती है और आपूर्तिकर्ता विस्तारित / मूल वितरण अनुसूची के भीतर सामग्रियों को वितरित करने में विफल रहता है।

च) जब आपूर्तिकर्ता आपूर्ति ऑर्डर के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है और परिणामस्वरूप आदेश को संतोषजनक ढंग से निष्पादित करने में विफल रहता है।

7.21.2 जोखिम खरीद के लिए प्रक्रियाएँ

जोखिम खरीद कार्रवाई शुरू करने का निर्णय लेने के बाद निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएंगी। इस तरह की कार्रवाई शुरू करने से पहले सामग्री प्रबंधन विभाग प्रमुख(एचओडी) की मंजूरी ली जाएगी।

क) आपूर्तिकर्ता पंजीकृत आवरण के तहत एक जोखिम खरीद नोटिस दिया जाएगा, जिसमें आपूर्ति को पूरा करने के लिए 30 दिनों से कम की समयावधि नहीं दी जाएगी। यह वर्णित किया जाएगा कि जब तक आदेश का निष्पादन उस तारीख तक पूरा नहीं हो जाता है, तब तक सामग्री उनके जोखिम और लागत पर खरीदी जाएगी।

ख) यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त समय अवधि के बाद भी आपूर्ति को फिर से शुरू करने और पूरा करने में विफल रहता है, जिसे क्रेता द्वारा वास्तविक और स्वीकार्य माना जाता है, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:
i) उपरोक्त ऑर्डर अनुच्छेद 7.19 के संदर्भ में रद्द किया जाएगा और सुरक्षा जमा / बैंक गारंटी, यदि कोई हो, तो उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

ii) समान विनिर्देशों की सामग्रियों की बकाया मात्रा के लिए सामान्य निविदा प्रक्रियाओं के अनुसार पूछताछ की जाएगी (विज्ञापित या सीमित)। सीमित

निविदाओं के मामले में, जांच को कम से कम उन सभी फर्मों को भेजा जाना चाहिए, जिनके पास मूल निविदा जिसके निमित्त मूल ऑर्डर रखा गया था, भेजा गया था। "जोखिम खरीद निविदा" के रूप में चिह्नित जांच की एक प्रति को पंजीकृत डाक से डिफ़ॉल्ट आपूर्तिकर्ता को भेजा जा सकता है और उन्हें विशेष रूप से सूचित किया जाना चाहिए कि पूछताछ केवल सूचना के लिए भेजी जा रही है, न कि किसी प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए।

.iii) निविदाओं का मूल्यांकन करते समय, किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करने के लिए उपरोक्त निर्देश के बावजूद, डिफ़ॉल्ट फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये किसी भी प्रस्ताव को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

iv) इसके साथ ही, आपूर्तिकर्ता के देय सभी लंबित दावे या आपूर्तिकर्ता को देय राशि, यदि कोई हो तो, सामान्य ऑर्डर और शर्तों के अनुलग्नक III के अनुच्छेद 26 के अनुसार, मूल ऑर्डर मूल्य और मूल्य जोखिम खरीद के खिलाफ देय राशि को अंतर राशि की वसूली के लिए कंपनी को सक्षम करने के लिए रोक दिया जाएगा। वित्त को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की सलाह दी जाएगी। यदि ऐसी कोई राशि भुगतान के लिए लंबित नहीं है, तो फर्म पर एक उपयुक्त दावा दाखिल करने की सूचना के लिए मामला वित्त विभाग को भेजा जा सकता है। जोखिम खरीद के लिए अतिरिक्त राशि की वसूली के बाद, तो शेष राशि, यदि कोई हो तो उसका भुगतान डिफ़ॉल्ट आपूर्तिकर्ता को किया जा सकता है।

v) यदि आपूर्तिकर्ता उपरोक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो न्यायालय में उसी के अनुसार आवश्यक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। इसी के साथ, सामग्री प्रबंधन विभाग के प्रमुख (एचओडी) के अनुमोदन के साथ अनुच्छेद 4.5.2 के अनुसार फर्म के विपंजीकरणी की कार्रवाई या अनुच्छेद 4.7.1 के अनुसार व्यवसाय के निलंबन की कार्रवाई पर भी विचार किया जा सकता है।

7.22 ऑर्डर का मोलभाव और वितरण

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने कुछ असाधारण मामलों को छोड़कर निम्नतम निविदाकारों के भी निविदा उपरांत मोलभाव पर प्रतिबंध लगाया है निर्देश जारी

किए हैं-देखें परिपत्र संख्या 4/3/07 दिनांकित 03/03/2007। ये निर्देश अनिवार्य हैं और सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए सभी श्रेणियों के अनुबंधों के लिए इनका पालन किया जाना है। मोलभाव, यदि आवश्यक हो तो, केवल एल-1 निविदाकर्ता के साथ ही संचालित किया जाएगा ताकि मूल्य को स्वीकार्य स्तर तक लाया जा सके। उसी परिपत्र में, यह निर्दिष्ट किया गया था कि जहाँ भी ऑर्डर की जाने वाली मात्रा L-1 की आपूर्ति की तुलना में बहुत अधिक है, ऐसे में ऑर्डर की गयी मात्रा को इस तरह से वितरित किया जा सकता है कि खरीद निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से की जा सके। सीवीसी ने निविदा में आपूर्ति को विभाजित करने के अनुपात का पूर्व-खुलासा करने पर भी जोर दिया है। एक स्वीकार्य मूल्य स्तर पर पहुंचने के लिए एल1 को प्रति-प्रस्ताव राशि पर मोलभाव किया जाएगा। तथापि, इसके बाद एल-2, एल-3 आदि (एल-1 द्वारा स्वीकार की गई दर पर) को कोई भी प्रति-प्रस्ताव, मात्रा के विभाजन के मामले में, जैसा कि निविदा में खुलासा किया गया है, मोलभाव के रूप में नहीं समझा जाएगा।

7.22.1 योग्यता मानदंड (निविदा आमंत्रण सूचना में निर्दिष्ट करने के लिए)

i) आइटम की प्रकृति के आधार पर, योग्यता मानदंड तय किया जा सकता है और उन महत्वपूर्ण वस्तुओं के मामले में जिन्हें आवश्यक समझा जाए

7.22.2 सार्वजनिक उपक्रमों के लिए खरीद प्राथमिकताएं
भारत सरकार / राज्य सरकारों के निर्देशानुसार सहायक इकाइयों से सामग्री की खरीद के लिए सुविधाओं / प्राथमिकताओं का भी पालन किया जाना चाहिए।

7.22.3 परीक्षण/ऑर्डर का विस्तार (डेवलपमेंट)

आपूर्ति के एक नए स्रोत के विस्तार के लिए, अलग-अलग निविदा मंगाई जानी चाहिए। भारतीय बाजारों के साथ-साथ विदेशी बाजारों का भी पता लगाने के लिए निविदाएं, अच्छा हो कि खुली / वैश्विक होनी चाहिए। परीक्षण ऑर्डर(ट्रायल ऑर्डर)

को नए स्रोत / स्रोतों को दिया जा सकता है जिनके प्रस्ताव / अनेक प्रस्ताव तकनीकी / व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य हैं और मूल्य अनुभूत उत्पादों के लिए भुगतान किए जा रहे मूल्यों से कम हैं। सभी वस्तुओं के लिए स्रोत के विस्तार के लिए ऑर्डर देना आवश्यक नहीं है। विस्तार करने के लिए आवश्यक वस्तुओं को तकनीकी विभाग द्वारा चिह्नित और सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। चिह्नित की गयी वस्तुओं की निर्धारित आवश्यकता का 10% विस्तार क्रम के लिए अलग रखा जा सकता है। किसी भी उत्पाद को प्रमाणित घोषित करने के मानदंड को पैरा संख्या 6.17 (iv) (पृष्ठ -44) में निर्दिष्ट किया गया है। परीक्षण के ऑर्डर के संबंध में भुगतान की शर्तों के लिए, संदर्भ अनुच्छेद 9.4 से लिया जा सकता है। परीक्षण के आदेश के मामले में, अनुच्छेद 6.5 के अनुसार प्रतिभूति (सुरक्षा राशि) खंड सभी मामलों में ऑर्डर में शामिल किया जाएगा। परीक्षण ऑर्डर के मामले में प्रतिभूति जमा करने से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

7.22.4 अनुषंगी इकाइयों से अधिप्राप्ति

जब भी आवश्यकता बड़ी और पुनरावर्ती हो, तो सहायक इकाइयों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है।

7.23 निरीक्षण मापदंड

विनिर्देश स्पष्ट रूप से स्वीकृति मानदंडों को निर्दिष्ट करेंगे जिनके निमित्त उपकरण / सामग्री की आपूर्ति स्वीकार की जानी है। विनिर्देशों में अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित को भी सूचित करना चाहिए:

क) कि निर्दिष्ट स्वीकृति मानदंड में अनुरूपता स्थापित करने के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

ख) कि यदि उपकरण और सामग्री स्वीकृति मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं, तो उन्हें तब तक सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में विचलन को लेकर लिखित रूप में दर्ज किए गए सही और पर्याप्त कारणों को मॉयल द्वारा स्वीकृत नहीं कर लिया जाता।

ग) कि ऐसे मामलों में विचलन के परिणामस्वरूप लागत अनुमानों को हमेशा के लिए ध्यान में रखा जाएगा।
घ) कि ठेकेदार सामग्री / उपकरण के निरीक्षण के लिए एक स्पष्ट नोटिस की अवधि का प्रस्ताव रखेगा और जब तक उनका निरीक्षण नहीं हो जाता और मॉयल के प्रतिनिधि द्वारा निस्तारण के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वे प्रेषित नहीं किये जायेंगे। वे असाधारण मामलों में जहां कहीं भी आवश्यक हो, मूल्यों में समायोजन के साथ सही और पर्याप्त कारणों के लिए इस आवश्यकता को माफ कर सकते हैं।

7.24 सामग्री(स्टोर्स) का निरीक्षण

आम तौर पर, साइट पर सामग्रियों की प्राप्ति के बाद सामग्री(स्टोर) और उपकरणों का निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण, संबंधित तकनीकी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा, जिसे निरीक्षण करने के लिए अधिकृत किया गया है। तथापि, जटिल तकनीकी प्रकृति की वस्तुओं, उच्च मूल्य की वस्तुओं या जिन वस्तुओं के लिए थर्ड पार्टी डीजीएमएस, आईएस लाइसेंस इत्यादि की स्वीकृत की आवश्यकता नहीं है, या जहां किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान किया जा रहा है या किसी अन्य मामले में जहां ऐसा करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, ऑर्डर में प्रेषण-पूर्व निरीक्षण को निर्धारित किया जा सकता है। इस तरह का प्रेषण-पूर्व निरीक्षण मॉयल द्वारा नामित निरीक्षण अधिकारी या किसी मान्यताप्राप्त सरकारी निरीक्षण एजेंसी द्वारा किया जा सकता है। प्रेषण-पूर्व निरीक्षण किए जाने के बाद भी, कार्यस्थल पर सामग्री प्राप्ति के बाद उसे अंतिम निरीक्षण के अधीन रखा जाएगा।

7.25 तृतीय पक्ष(थर्ड पार्टी) निरीक्षण

प्रतिष्ठित सरकारी एजेंसियां, (डीजीएस एंड डी, आरआईटीईएस आदि) जो निरीक्षण सेवाएं देने में विशेषज्ञ हैं, अगर प्रेषण-पूर्व निरीक्षण का निर्णय लिया जाता है तो

उनकी सेवाएं ली जा सकती हैं। इस तरह की निरीक्षण सेवाओं में कच्चे माल की जांच, परीक्षण प्रमाण पत्र, सत्यापन, ऑर्डर में निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार सामग्री और उपकरणों का निरीक्षण, स्थिति निरीक्षण, परीक्षण प्रक्रियाओं की समीक्षा और अनुमोदन, परीक्षण प्रक्रियाओं को देखना और परीक्षण रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना, निरीक्षण सामग्री का अंकन और निरीक्षण नोट जारी करना शामिल होगा। एजेंसी के साथ अनुबंध में तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण के दायरे को निर्दिष्ट करना चाहिए।

7.26 सुरक्षा वस्तुओं का निरीक्षण

विभिन्न चरणों में सुरक्षा वस्तुओं का निरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, सुरक्षा/ यांत्रिक विभाग के अधिकारियों को आपूर्तिकर्ता के कार्यस्थल पर या मॉयल के कार्यस्थल पर इस तरह के निरीक्षण के लिए नामांकित किया जाना चाहिए।

.....

खण्ड-VIII

प्रगति और निरंतरता (फॉलो-अप)

8.1 खरीद विभाग के पास कम्प्यूटरीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली होगी। प्रणाली को विभाग के एक अधिकारी की सहायता से कार्यान्वित और संचालित किया जाएगा। खंड-V में निर्धारित सभी इंडेंट पावती पर पंजीकृत किए जाएंगे और उसके बाद उसके विभिन्न चरणों में कार्रवाई आगे बढ़ेगी। खंड-V की पूर्व-अनिवार्यता का अनुपालन न करने वाले इंडेंट पंजीकृत नहीं होंगे और मांगकर्ता(इंडेंटर) को वापस कर दिए जाएंगे।

8.2 इंडेंट पंजीकृत होने के बाद, जानकारी उसके पंजीकरण की जानकारी के इंडेंटर को भेजी जाएगी। सभी संबंधितों से अनुरोध किया जाएगा कि वे इस विषय पर सभी पत्राचार के लिए इंडेंट पंजीकरण संख्या को उद्धृत करें।

8.3 खरीद विभाग का प्रत्येक अधिकारी उसके द्वारा निपटाए गए मदों के लिए एमआईएस(प्रबंधन सूचना प्रणाली) को अद्यतन करेगा और प्रत्येक इंडेंट की स्थिति के बारे में और इसकी प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान देरी, यदि कोई हो, का साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक फीड बैक एमएम विभाग के प्रमुख को उपलब्ध कराया जाएगा।

8.4 नियमित आधार पर संबंधित तकनीकी विभाग / वित्त विभाग के प्रमुख को स्मरण पत्र भेजा जाएगा यदि किसी विशेष मामले की फाइल को को लेकर यदि उनके छोर पर बहुत देरी हो रही है तो।

8.5 एमआईएस सेल एक मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जो खरीद विभाग की सभी गतिविधियों का पूर्ण विवरण तैयार करेगा।

8.6 माल पाने वाले (कंसाइनी) द्वारा फॉलो-अप
खरीद विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई(फॉलो-अप) के अलावा, आपूर्ति ऑर्डर रखे जाने के बाद कंसाइनी भी फॉलो-अप लेगा कार्रवाई करेगा और ऑर्डर देने वाले प्राधिकारी को नियमित रूप से अनुबंधित वितरण अनुसूची के अनुसार सामग्री की प्राप्ति के संबंध में, और क्या सामग्री की आपूर्ति में कोई कमी आई है-इसके बारे में जानकारी देता रहेगा।

खंड – IX

आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान

9.1 भुगतान प्राधिकारीवर्ग

आपूर्ति ऑर्डर में भुगतान प्राधिकारीवर्ग का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और आपूर्तिकर्ता को निर्दिष्ट भुगतान प्राधिकारीवर्ग को आपूर्ति ऑर्डर में

अपेक्षित दस्तावेजों के साथ अपने बिल जमा करने की सलाह दी जानी चाहिए। यदि आपूर्ति आदेश की शर्तों के अनुसार इसे प्रस्तुत किया जाता है तो भुगतान प्राधिकारीवर्ग आपूर्तिकर्ता के बिलों के लिए शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करेगा।

9.2 उपकरणों की आपूर्ति के निमित्त भुगतान

उपकरणों की आपूर्ति के लिए 80% भुगतान, उपकरणों के वितरण और पाने वाले (कंसाइनी) द्वारा पावती तथा बैंक गारंटी प्रदर्शन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर जारी किया जा सकता है। शेष 20% भुगतान उपकरण के सफल प्रवर्तन(चालू होने) के बाद 30 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा। ये भुगतान शर्तें उन आपूर्तिकर्ताओं के लिए लागू होती हैं, जिनके उपकरणों को मॉयल की आपूर्ति के लिए प्रमाणित किया जाता है और केवल प्रमाणित उपकरणों के लिए रखे जाने वाले नियमित आपूर्ति ऑर्डर के लिए ही स्वीकार की जाएंगी।

9.3 परीक्षण आर्डर के निमित्त भुगतान

उपकरणों की आपूर्ति के लिए रखे जाने वाले परीक्षण ऑर्डर के लिए, 100% भुगतान छह महीने के संतोषजनक प्रदर्शन के बाद, समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने के निमित्त किया जाएगा, जो उसके बाद के नौ महीनों की अवधि के लिए(प्रारंभिक छह महीनों के अतिरिक्त) वैध होगा। उपकरण को प्रवर्तन(कमीशन) की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए आपूर्ति ऑर्डर के अनुसार संतोषजनक प्रदर्शन करने और अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करना पाये जाने पर 100% बैंक गारंटी उपयुक्त राशि की बैंक गारंटी प्रदर्शन की प्राप्ति पर जारी की जाएगी, आइटम की प्रकृति के अनुसार 10% या 20% हो सकता है, जैसा कि Sub.Cos (संबंधित अधिकारी) द्वारा तय किया जायेगा। हालांकि, छह महीने का संतोषजनक प्रदर्शन यह दावा करने का हक नहीं देगा कि उनके उपकरणों को प्रमाणित करना होगा। किसी भी उपकरण के प्रमाणीकरण के लिए, नियमावली के संबंधित अनुच्छेद

का संदर्भ देखा जा सकता है। इसका उल्लेख विशेष रूप से निविदा जांच में किया जाएगा।

9.4 कल-पुर्जों और अन्य उपभोज्य सामग्री के लिए भुगतान

कल-पुर्जों(स्पेयर पार्ट्स) और अन्य सभी उपभोग्य वस्तुओं आदि की आपूर्ति के लिए (मुख्य उपकरण के अलावा), कार्यस्थल पर माल की प्राप्ति और स्वीकृति के बाद 100% भुगतान जारी किया जाएगा। इसकी व्यवस्था कार्यस्थल पर माल प्राप्त होने के 30 दिनों तक की जायेगी। यह भुगतान अवधि नियमित ऑर्डर और प्रमाणित सामग्रियों के लिए लागू है। विदेशी निर्माताओं के लिए, आम तौर पर एल.सी. भुगतान पर विचार किया जा सकता है। तथापि, विशेष परिस्थितियों में और कम मूल्य की वस्तुओं के लिए, भुगतान के अन्य तरीके यानी प्रत्यक्ष प्रेषण आदि पर भी विचार किया जा सकता है। विदेशों से सीधे सामग्री के आयात के लिए संपन्न अनुबंधों के लिए, प्रेषण और अन्य आयात दस्तावेजों के प्रमाण अर्थात् गारंटी प्रमाण पत्र, परीक्षण प्रमाण पत्र, मूल देश आदि के बाद एलसी भुगतान पर विचार किया जा सकता है। यदि आवश्यक महसूस किया जाए तो हम महत्वपूर्ण वस्तुओं की खरीद के समय प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए भी आग्रह कर सकते हैं। किसी भी भारतीय आपूर्तिकर्ता से रुपये के रूप में भुगतान में आयातित सामग्रियों की खरीद के लिए, स्वदेशी सामग्री की खरीद के लिए लागू भुगतान शर्तों को निर्धारित किया जाएगा। तथापि, आयातित सामग्रियों की आपूर्ति की प्रामाणिकता और वास्तविकता के लिए आवश्यक दस्तावेज आपूर्ति फर्म से प्राप्त करने होंगे। सामग्री की उपरोक्त श्रेणी के लिए परीक्षण ऑर्डर के लिए, उनकी आवश्यकता के अनुसार भुगतान की शर्तें तय की जाएंगी।

9.5 <u>बैंक के माध्यम से भुगतान</u>

बैंक के माध्यम से भुगतान से यथासंभव बचना होगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में जहां आपूर्ति के स्रोत एक या दो हैं, और वे बैंक के

माध्यम से भुगतान की शर्त के बिना ऑर्डर स्वीकार नहीं करेंगे, केवल उन्हें ही माना जा सकता है। उस स्थिति में, बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों के साथ प्रेषण दस्तावेजों को संलग्न होना चाहिए।प्रेषण दस्तावेजों का अर्थ है रेलवे रसीद और ट्रांसपोर्टर का सड़क मार्ग बिल और ट्रांसपोर्टर को बैंक द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस तरह के भुगतान के लिए प्रेषण-पूर्व निरीक्षण धारा को अनुबद्ध किया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ता को प्रोफार्मा चालान या बिल की अग्रिम प्रति भुगतान प्राधिकारी को देनी होगी ताकि वे बैंक से दस्तावेजों के निवारण के लिए अग्रिम कार्रवाई करने में सुविधा प्रदान कर सकें। आपूर्ति ऑर्डर में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि बैंक के माध्यम से दस्तावेजों की प्रस्तुति से पहले, ऑर्डर में संशोधन किए बिना आपूर्ति ऑर्डर में दिए गए वितरण ऑर्डर से आगे आपूर्ति में देरी होने पर बैंक के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रेषण-पूर्व निरीक्षण की व्यवस्था या तो तकनीकी विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा की जा सकती है या तीसरे पक्ष के निरीक्षण को एक अधिकृत बाहरी एजेंसी जैसेः आरआईटीईएएस, डीजीएसएंडडी आदि, जो भी तय हो, के माध्यम से योजित किया जा सकता है। प्रेषण-पूर्व निरीक्षण धारा को आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के ऑर्डर/भुगतान की शर्तों के लिए निर्धारित किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है।

खंड - X

खरीद की निविदा प्रणाली और परिणामी अनुबंधों से सम्बंधित कानून

10.1 एक खरीद निविदा संपन्न कैसे होती है

आम तौर पर, सरकार द्वारा सामग्री और उपकरणों की सभी खरीद, सीमित मूल्य की नकद खरीद को छोड़कर, निविदाओं के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है, इस प्रयोजन के लिए सामग्री / उपकरणों और उसके लिए आवश्यक विवरणों, विशेष रूप से वितरण की अवधि और अन्य नियम और शर्तों, जो वितरण का संचालन करेंगे, का विवरण देने के लिए निर्धारित फ़ॉर्म में निविदा के लिए आमंत्रण जारी किया जाता है। इसके जवाब में, संभावित आपूर्तिकर्ता मूल्य निर्धारण आदि के प्रस्ताव देते हैं, जिन्हें 'निविदाएं' कहा जाता है,जिसे निविदाकर्ता द्वारा विधिवत पूर्ण और हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्रों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और इन निविदाओं को प्राप्त करने और खोलने के लिए मुहरबंद आवरण में जमा करना चाहिये, इन निविदाओं को प्राप्त करने और खोलने की तिथि और समय स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होना चाहिए। मुहरबंद निविदाओं को एक निविदा बक्से में ताला-चाबी में रखा जाता है। निविदाकर्ता फर्मों की उपस्थिति में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 'निविदा ' खोली जाती है और कोटेशन की घोषणा की जाती है, जब तक अन्यथा निर्धारित न हो। प्राप्त निविदाओं को एक मानक रूप में सारणीबद्ध किया जाता है, जिसे 'निविदाओं का तुलनात्मक विवरण' कहा जाता है। आपूर्ति किए जाने के संबंध में पूर्ण समझौते पर पहुंचने और अनुषांगिक स्थिति निर्मित करने के लिए कभी-कभी कुछ या सभी निविदाकर्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करना आवश्यक हो सकता है। तत्पश्चात, जब सक्षम प्राधिकारी एक निविदा का चयन करता है, तो चयनित फर्म (फर्मों) को ऑर्डर(ऑर्डरों) का स्थापनन सौंपता है, निविदा की स्वीकृति (स्वीकृतियां)(ए /टी), आपूर्ति ऑर्डर (ऑर्डर्स)जारी किये जाते हैं। यह एक खरीद अनुबंध तैयार होता है और पिछले सभी दस्तावेजों को ए/टी या आपूर्ति ऑर्डर में उद्धृत किया गया हो, आम तौर पर अनुबंध दस्तावेजों के विस्तार के भीतर आ जायेंगे। हालांकि, कुछ मामलों में, स्व-निहित अनुबंध समझौते के रूप में संपन्न होते हैं, जिस अनुबंध पर दोनों (सभी) पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं

और विधिवत प्रमाणित होते हैं। अनुबंधों के निष्कर्ष के लिए जो भी प्रक्रिया अपनाई गई और रूप अपनाया गया, उसे देश के कुछ बुनियादी कानूनों के प्रावधान को पूरा करना होगा। प्रमुख कानून हैं: -

i) अनुबंध का कानून

ii) माल बिक्री कानून और

iii) जहां अनुबंध में मध्यस्थता द्वारा विवादों के निपटान का प्रावधान हो, पंचाट से संबंधित कानून।

10.2 अनुबंध का कानून

अनुबंध का भारतीय कानून निहित है भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम IX) में, जबकि यह अधिनियम अनुबंध के कानून के सामान्य सिद्धांतों का पालन करता है, यह किसी भी तरह से संपूर्ण नहीं है, क्योंकि विशेष प्रकार के अनुबंधों से संबंधित अन्य अधिनियम हैं, जैसे संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण, माल की बिक्री अधिनियम आदि। अधिनियम किसी भी अनुबंध के व्यापार की प्रथाओं के प्रचलन को प्रभावित नहीं करता है,जो जो अधिनियम के प्रावधानों से भिन्न नहीं हैं।

10.3 अनुबंध की परिभाषा

कानून द्वारा लागू की जाने वाली सहमति एक अनुबंध है। यह इस परिभाषा के अनुसार है कि हर अनुबंध एक समझौते पर आधारित होना चाहिए जैसे कि कानून द्वारा लागू करने योग्य होना चाहिए।

10.4 आवश्यक तत्व एक अनुबंध है

(a) प्रस्ताव एवं स्वीकृति – एक पक्ष द्वारा एक वैध प्रस्ताव दिया जाएगा और उसी अनुसार कानून दूसरे द्वारा स्वीकार किया जाएगा।
एक वैध प्रस्ताव वह है जिसमेः

i) कानूनी संबंध बनाने की मंशा जाहिर करता है और ऐसे संबंध बनाने में सक्षम है।
ii) निश्चित और स्पष्ट शब्दों में तैयार किया गया है और अस्पष्ट नहीं है।
iii) सामान्य या विशिष्ट, व्यक्त या निहित, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है।
iv) विशिष्ट है और किसी प्रश्न के उत्तर से अलग है, या एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण है, या किसी प्रयोजन का कथन है।
v) दूसरी पार्टी की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से वहां से संयम अनुबंध करने के लिए बनाया गया, जहां से प्रस्तावक ऐसा करने के लिए तैयार है।
vi) विशेष परिस्थितियों सहित, यदि कोई संलग्नक हो तो, ठीक से सूचित किया गया

10.5 वैध स्वीकृति के लक्षण

10.6 कानूनी संबंध
i) यह केवल उसी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसको प्रस्ताव दिया गया है।
ii) इसे व्यक्त या लक्षित किया जा सकता है।
iii) यह प्रस्ताव के संबंध में पूर्ण और बिना शर्त होना चाहिए।
iv) यह एक प्रस्ताव के संबंध में है जो प्रस्तावक को विधिवत रूप से सूचित किया गया है।
v) यह निर्धारित समय के भीतर ठीक से संप्रेषित किया गया है या एक यथोचित समय पर जहां कोई समय का निर्धारण नहीं है।

यह ऊपरोक्त वैध प्रस्ताव के आवश्यक लक्षण के अनुपालन में है

10.7 वैध विचार और कानूनी उद्देश्य

समझौते के पक्षकारों को पारस्परिक रूप से लाभान्वित किया जाएगा। एक पक्ष कुछ देगा और दूसरे को कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए, एक खरीद अनुबंध में विक्रेता सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है और प्रतिफल भुगतान द्वारा प्राप्त होता है। इसे विचार कहा जाता है। विचार, भूत, वर्तमान और भविष्य में 'कुछ करना' या 'कुछ नहीं करना' हो सकता है। इस विचार को वैध होना चाहिए अर्थात् किसी भी प्रचलित कानून, दीवानी या फौजदारी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, या इसे सार्वजनिक नीति या नैतिकता के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यही बात समझौते के लक्ष्य या प्रयोजन पर लागू होती है। इसके अलावा, संबंधित पक्षों को समान अर्थों में एक ही बात पर सहमत होना चाहिए।

10.8 क्षमता

किसी समझौते के लिए पक्षों को उस समझौते में आगे बढ़ने के लिए कानूनी रूप से सक्षम होना चाहिए। आम तौर पर क्षमता का अभाव अवयस्कता या उन्मत्तता के कारण पैदा होता है। सरकारी विभाग और अन्य गैर सरकारी कर्मचारियों के बीच समझौते के मामले में भारत के राष्ट्रपति सरकारी पक्ष हैं और इस लिए सभी संविदात्मक दस्तावेजों को राष्ट्रपति के लिए या उनकी तरफ से उन अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए, जो विशेष रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं।

10.9 स्वतंत्र सहमति

दोनों पक्षों की स्वतंत्र रूप से सहमति होनी चाहिए और किसी जोर-जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव या प्रलोभन आदि के प्रभाव में नहीं होना चाहिए।

10.10 निश्चितता

यह ऊपरोक्त क (ii) का अनुकरण करता है।

10.11 प्रदर्शन की संभावना

समझौता ऐसी किसी बात पर आधारित नहीं होना चाहिए जो प्रदर्शन के लिए असंभव है।

10.12 लेखन और पंजीकरण

अनुबंध लिखित रूप में होना चाहिए और/या विधिवत जहां भी परिस्थिति की आवश्यकता हो, पंजीकृत होना चाहिए। खरीद / बिक्री के लिए अनुबंध लिखा जाना चाहिए, लेकिन पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। उपर्युक्त सभी तत्व एक समझौते में मौजूद होने चाहिए, अन्यथा यह अनुबंध में परिणत नहीं होगा।

10. 13 किसी प्रस्ताव का संप्रेषण और उसकी स्वीकृति

किसी विचार या प्रस्ताव का संप्रेषण तब पूरा होता है जब वह उस व्यक्ति / पक्ष की जानकारी में आता है जिसके उसे बनाया गया है। इसके विपरीत, स्वीकृति प्रस्ताव या प्रस्ताव का संप्रेषण तब पूरा होता है जब इसकी स्वीकृति विचारक / प्रस्तावक की जानकारी में आती है। प्रस्ताव डाक द्वारा दिया जा सकता है। प्रस्ताव डाक द्वारा भी स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि प्रस्तावक द्वारा संचार के किसी अन्य तरीके को विशेष रूप से निर्धारित नहीं किया गया हो। जब कोई प्रस्ताव डाक के माध्यम से किया जाता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रस्तावक का एजेंट बन जाता है। इसलिए, विधिवत रूप से संबोधित और प्रेषित एक पत्र पर्याप्त स्वीकृति है, यद्यपि पत्र वास्तव में प्रस्ताव तक नहीं पहुंचता है। फिर भी, पत्र को सही ढंग से संबोधित किया जाना चाहिए। पत्र वास्तव में डाक में डाला जाना चाहिए। किसी प्रस्ताव का मौखिक या टेलीफोन पर संप्रेषण और उसकी स्वीकृति कानूनी रूप से मान्य हो सकती है, लेकिन यह साबित करने में जटिलता उत्पन्न हो सकती है कि संप्रेषण स्पष्ट और पूर्ण था।

10.14 किसी प्रस्ताव का निरस्तीकरण

स्वीकृति से पहले किसी भी प्रस्ताव को रद्द किया जा सकता है, लेकिन बाद में नहीं। जैसे ही स्वीकृति प्रस्तावकर्ता से संप्रेषण के लिए डाल दी जाती है, प्रस्ताव की स्वीकृति एक बाध्यकारी अनुबंध की ओर बढ़ जाती है। जब प्रस्तावकर्ता द्वारा वैधता अवधि निर्दिष्ट की जाती है, तो ऑफ़र की वैधता, यह अवधि पूरी होते ही समाप्त हो जाती है। या तो उसकी तरफ से या फिर स्वयं पाने वाले के अनुरोध पर अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जहां कोई वैधता अवधि निर्धारित नहीं है, प्रस्ताव एक उचित अवधि की समाप्ति के बाद रद्द हो जाता है। यथोचित अवधि क्या है यह प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

10.15 अमान्य और अमान्य-करणीय अनुबंध

एक अनुबंध अमान्य तब होता है जब वह पक्षों के बीच अपनी सामग्री या उस प्रक्रिया जिसके कारण अनुबंध अस्तित्व में आया, के किसी भी दोष के कारण पक्षों के बीच कानूनी अधिकार और बाध्यताओं को पूरा करने में विफल रहता है एक प्रारंभिक वैध समझौता बाद में उन घटनाओं के कारण अमान्य हो सकता है जो इसके प्रदर्शन को असंभव या अवैध मानते हैं। एक अमान्य अनुबंध वह है जिसे एक पक्ष द्वारा टाला जा सकता है, लेकिन अन्य अनुबंधों के बारे में नहीं लाया जाता है, जो अनुचित प्रभाव, गलतबयानी आदि के कारण इस श्रेणी में आते हैं। अवैध अनुबंध / समझौते वे होते हैं जो कुछ कानून को तोड़ते हैं और ये न केवल स्वयं ही अमान्य हो जाते हैं, बल्कि उन अन्य समझौतों को भी अमान्य कर देते हैं जो प्रासंगिक रूप से इनके सहायक हैं।

10.16 प्रदर्शन, उल्लंघन और क्षति

प्रदर्शन का अर्थ है अनुबंध के लिए पक्षों द्वारा अनुबंध द्वारा उत्पन्न संबंधित दायित्वों की पूर्ति। गैर-प्रदर्शन या संविदात्मक दायित्वों की गैर-पूर्ति या तो आंशिक या पूर्ण रूप से अनुबंध के उल्लंघन का कारण बनेगी और दूसरे पक्ष को क्षति या अन्य उपचार का दावा करने का मौका देगी। यदि कोई फर्म किसी आपूर्ति ऑर्डर के

निमित्त निर्धारित गुणवत्ता के सामानों की आपूर्ति करने में विफल रहता है, जो उन्हें सरकारी विभाग द्वारा दिए गए थे तो फर्म उल्लंघन के लिए जिम्मेदार होगी और नुकसान का भुगतान करने के दायित्व को उठाना होगा। जहां निर्धारित शर्तों के मुताबिक जहां अनुबंध का सार समय है, जैसा कि आमतौर पर हमारे द्वारा दिए गए खरीद ऑर्डर के साथ होता है, यदि निर्धारित समय के भीतर प्रदर्शन करने में विफलता होती है, तो अनुबंध या जितना अधिक बकाया हो, प्रॉमिस/क्रेता के लिए विकल्प के रूप में अमान्य हो जाता है। ऐसे मामलों में, क्रेता / प्रॉमिस निर्धारित समय के बाद निष्पादन को स्वीकार कर सकता है, लेकिन यदि वह ऐसा करता है, तो वह प्रतिस्पर्धा का दावा नहीं कर सकता है जब तक कि वह विलंबित प्रदर्शन / आपूर्ति को स्वीकार करने के समय मुआवजे का दावा करने के अपने इरादे को अधिसूचित नहीं करता है। जहां समय अनुबंध की विफलता का सार नहीं है, समय के साथ अनुबंध को अमान्य नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉमिस या क्रेता देरी के कारण उसे हुए किसी भी नुकसान के लिए मुआवजे का हकदार है। वास्तविक उल्लंघन के अलावा, अनुबंधों में पूर्वानुमानित उल्लंघन हो सकता है। यह तब होता है जब कोई पक्ष तय प्रदर्शन के समय से पहले अनुबंध के तहत अपनी देयता से अलग हो जाता है या जब कोई पक्ष अपने स्वयं के कृत्य से खुद को इस तरह के अनुबंधों को निष्पादित करने से अक्षम कर देता है, तो इस तरह के उल्लंघन भी पीडित पक्ष को उपायों के लिए मजबूर कर देते हैं।

10.17 अनुबंध के उल्लंघन के लिए उपचार

अनुबंध के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपचार निम्नलिखित हैं-

10.17.1 अनुबंध की वापसी

पीड़ित पक्ष को अनुबंध के तहत उसके सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया जाता है।

10.17.2 विशिष्ट निष्पादन

कुछ परिस्थितियों में, पीड़ित पक्ष यह निर्देश देने वाला न्यायिक आदेश मांग सकता है कि डिफ़ॉल्ट पार्टी अपने वादे के अनुसार दिए गए समय पर कार्य निष्पादन करे। हालांकि, उन मामलों में विशिष्ट निष्पादन की अनुमति नहीं है, जहां मौद्रिक क्षतिपूर्ति समुचित राहत हो।

10.17.3 आदेश

कुछ परिस्थितियों में, पीड़ित पक्ष न्यायालय के नकारात्मक आदेश से सुरक्षित हो सकता है, अर्थात् एक आदेश में डिफ़ॉल्ट पार्टी को कुछ करने से रोक सकता है, जैसे डिफॉल्ट करने वाली पार्टी को कुछ करने से रोकने का आदेश। यह उन मामलों के लिए उपयुक्त है जहां वित्तीय क्षतिपूर्ति प्रासंगिक या समुचित नहीं है, विशेष रूप से अनुबंध के पूर्वअनुमानित उल्लंघन के मामलों के लिए

10.17.4 क्वांटम मेरूयिट(जितना हक उतनी राशि)

जब किसी अनुबंध को पीड़ित पक्ष आंशिक रूप से पूर कर सकती है, तो कुछ परिस्थितियों में, अनुबंध के उल्लंघन से पहले की गई सेवाओं के लिए एक मुकदमा दायर करें।

10.17.5 क्षतिपूर्ति

यह अनुबंध के उल्लंघन के खिलाफ सामान्य उपाय है, विशेष रूप से बिक्री / खरीद के लिए अनुबंध के लिए। क्षतिपूर्ति देने के लिए सामान्य सिद्धांत यह है कि पीड़ित पक्ष को उसी वित्तीय स्थिति में रखा जाना चाहिए, जैसा कि वह उल्लंघन से पहले होता। यदि अनुबंध टूट गया है, तो जहां तक पैसा कुछ कर सकेगा, कानून प्रयास करेगा पीड़ित पक्ष को उसी स्थिति में लाकर रखे जिसमें अनुबंध का क्रियान्वयन किया गया हो। वास्तविक नुकसान के लिए मुआवजे की प्रकृति होने के नाते, वाणिज्यिक अनुबंधों के मामले में समर्थन करना या फिर व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का प्रश्न नहीं उठता। वास्तव में, पीड़ित पक्ष से भी उल्लंघन के कारण होने वाले नुकसान को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की उम्मीद की जाती

है। उसे उल्लंघन के बाद भी खुद भी उचित आचरण करना होगा। आमतौर पर बिक्री / खरीद अनुबंधों में, अनुबंध के मूल्य और उल्लंघन के समय प्रचलित बाजार मूल्य के अंतर के आधार पर नुकसान दिया जाता है।

10.18 क्षतिपूर्ति के प्रकार

क) नुकसान या क्षति स्वाभाविक रूप से चीजों के सामान्य क्रम में पैदा होनी चाहिए, उल्लंघन से होने वाली क्षति के लिए, जिसे "साधारण या सामान्य नुकसान" कहा जाता है किसी भी दूरस्थ या अप्रत्यक्ष नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति नहीं दी जाएगी ।
ख) अदालत दूरस्थ या अप्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति की अनुमति दे सकती है यानी नुकसान प्राकृतिक रूप से उल्लंघन से उत्पन्न नहीं हुआ है, अगर अनुबंध के दौरान दोनों पक्षों ने इस तरह के नुकसान के बारे में विचार किया हो - इसे "विशेष क्षतिपूर्ति" कहा जाता है।

ग) कुछ अनुबंधों में उल्लंघन की स्थिति में मुआवजे की मात्रा पूर्वनिर्धारित और संबद्ध होती है। इस मात्रा पर, तथापि दोनों पक्षों की सहमति हुई हो, नुकसान या उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली क्षतिपूर्ति का वास्तविक अनुमान होना चाहिये, और अनुबंध की धारा 74 दंड में उल्लिखित दंड अनुपात का नहीं होना चाहिये कि यदि पार्टियों ने तय किया है कि क्षतिपूर्ति क्या होगी, तो अदालत कभी भी अधिक की अनुमति नहीं देगी। लेकिन अदालत कम अनुमति दे सकती है। अनुबंध में निर्धारित राशि से अधिक, केवल उचित मुआवजे के लिए एक डिक्री को पारित किया जाना है।

10.19 अनुबंध की समाप्ति
एक अनुबंध तब समाप्त हो जाता है, जब इसके द्वारा तय की गईं बाध्यतायें(दायित्व) समाप्त हो जाती हैं, जो निम्नलिखित तरीके से हो सकती हैं:

10.19.1 निष्पादन से :
जब अनुबंध के पक्षकार संबंधित दायित्वों को पूरा नहीं करते हैं, तो अनुबंध को निष्पादन के आधार पर समाप्त कर दिया जाता है।

10.19.2 परस्पर सहमति से:
यह अनुबंध अधिनियम की धारा धारा 62 में निहित है, जिसके अनुसार, 'यदि अनुबंध के ये पक्ष नये अनुबंध को स्थानापन्न करने के लिए या रद्द करने या रद्दोबदल करने के लिए सहमत हैं तो मूल अनुबंध को निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है।'

10.19.3 अवधि की समाप्ति पर :

यह मूल रूप से एक दीवानी मुकदमा है, जहां अनुबंध में बाध्यतायें और देनदारियों को मियाद के अंतर्गत रोका जा सकता है परिसीमा अधिनियम 10.19.4 के मद्देनजर, कानून की विधि के अनुसारः

मृत्यु, दिवाला और विलय के मामले में कानून की विधि से कोई अनुबंध समाप्त हो जाता है।

10.19.5: सामग्री परिवर्तन से समाप्ति

यदि किसी अनुबंध की शर्तों वाले दस्तावेज़ को किसी पक्ष द्वारा अनुबंध में बदल दिया जाता है, तो अन्य पार्टी (पार्टियों) की सहमति से अनुबंध को समाप्त कर दिया जाता है, और इसे और अधिक लागू नहीं किया जा सकता।

10.19.6 अनुबंध के उल्लंघन से समाप्ति

जब एक पक्ष द्वारा किसी अनुबंध को तोड़ दिया जाता है, तो अनुबंध के तहत अन्य पक्ष (पक्षों) की देनदारियों को समाप्त कर दिया जाता है,और उल्लंघन से उत्पन्न क्षतिपूर्ति और अन्य उपायों के लिए हकदार बना दिया जाता है।

10.19.7 उत्तरवर्ती या आकस्मिक दुष्करता से समाप्ति

अनुबंध अधिनियम की धारा 56 के अनुसार –"किसी कार्य को करने के लिए किये गये अनुबंध को बाद में यदि उसे पूरा करना असंभव हो जाता है, या किन्हीं कारणवश वचनदाता उसे पूरा नहीं कर पाता, अवैध हो जाए तो तब अमान्य हो जाता है जब कार्य असंभव या गैरकानूनी हो जाता है।"

10.19.8 निष्फलता का सिद्धांत:
यह कई तरीकों से हो सकता है, जिनमें से कुछ हैं-अनुबंध की विषयवस्तु को नष्ट करना, वचनदाता की मृत्यु, युद्ध का प्रकोप, कानून में बदलाव और पूर्व शर्त की विफलता आदि। यह सिद्धांत, हालांकि, आम तौर पर कवर नहीं करता (क) निष्पादन में कठिनाई (ख) तीसरे व्यक्ति के व्यवहार के कारण असंभवता और (ग) आंशिक असंभवता। हड़ताल, तालाबंदी और नागरिक उपद्रव आम तौर पर असंभवता की अवधारणा के दायरे से बाहर हैं। खरीद अनुबंध में, हालांकि, ऊपर उल्लिखित कुछ आकस्मिकताएं अनुबंध के निष्पादन को पूरी तरह से या किसी अवधि के लिए असंभव बना देती हैं, उन्हें आम तौर पर 'अप्रत्याशित घटना खंड' का रूप प्रदान किया जाता है।

10.20 वस्तु(माल) की बिक्री से संबंधित कानून:
चल वस्तु की बिक्री संबंधी कानून माल बिक्री अधिनियम (1930 के अधिनियम-III) में निहित है।वस्तु(माल) शब्द के अंतर्गत हर प्रकार की चलायमान संपत्ति शामिल है सिवाय (क)नीलामी योग्य दावा (ख)मुद्रा। नीलामी योग्य दावे का अर्थ है एक बाजी या धन के लिए एक दावा जो एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ कर सकता है और जिसे मुकदमे द्वारा दर्ज किया जा सकता है।
माल को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: -

i) मौजूदा माल यानी तैयार और चिह्नांकित न किया जा सकने वाला माल, और

ii) आगामी या आकस्मिक माल।

आगामी माल वह है जिसे अनुबंध करने के बाद विक्रेता द्वारा निर्मित या उत्पादित या अधिग्रहण किया जा सकता है। आकस्मिक माल वे अधिग्रहण हैं जिनके द्वारा विक्रेता किसी आकस्मिकता पर निर्भर करता है। खरीदार के माल में संपत्ति के तत्काल हस्तांतरण से जुड़े मौजूदा माल की बिक्री के लिए किसी अनुबंध को बिक्री का अनुबंध कहा जाता है। आगामी माल की बिक्री जहां स्वामित्व का हस्तांतरण भविष्य में होता है या कुछ शर्त के अधीन होता है, जिसे बाद में पूरा करना होता है, बिक्री के समझौते को जन्म देता है।

10.21 माल की बिक्री के अनुबंध के लिए आवश्यक तत्व

10.21.1 (i) मुद्रा के लिए चल वस्तुएं
विक्रेता द्वारा क्रेता को चल वस्तुओं की आपूर्ति मुद्रा लेकर की जाती है। वस्तुओं का वस्तुओं के साथ आदान-प्रदान बिक्री नहीं है।
10.21.2 (ii) दो पक्ष:
विक्रेता और क्रेता के बीच अनुबंध होता है। इस प्रकार बिक्री एक द्विपक्षीय अनुबंध है।

10.21.3 (iii) बिक्री के अनुबंध का प्रारूप:

बिक्री का अनुबंध को वस्तुओं को खरीदने-बेचने के प्रस्तुत मूल्य प्रस्ताव और उसे स्वीकार करने के आधार पर बनाया जाता है। अनुबंध, माल के तत्काल वितरण या मूल्य के तत्काल भुगतान या दोनों के लिए प्रदान किया जा सकता है, या किस्तों में वितरण और भुगतान के लिए, या वितरण या भुगतान या दोनों को स्थगित कर दिया जाएगा।
10.21.4 (iv) अनुबंध के नियम:
पक्ष समय समाप्ति और वितरण के प्रकार संबंधी शर्तों पर सहमत हो सकता है।
10.21.5 (v) अन्य आवश्यक तत्व:

माल बिक्री अनुबंध को एक वैध अनुबंध की जानकारी के लिए आवश्यक सभी तत्वों को पूरा करना चाहिए, जैसा कि अनुबंध अधिनियम के संबंध में चर्चा की गई है।

10.22 नियम और वारंटी:

बिक्री के एक अनुबंध में नियमों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है- शर्त और वारंटी। शर्त वह शब्द है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। वारंटी केवल एक आनुषंगिक शब्द है। यह अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए सहायक है। किसी शर्त का उल्लंघन पीड़ित पक्ष को किसी अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार देता है। यह क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार भी देता है। वारंटी का उल्लंघन केवल नुकसान का दावा करने के लिए पीड़ित पार्टी को रोकता है। कुछ शर्तों के तहत शर्त का उल्लंघन वारंटी के रूप में माना जा सकता है, लेकिन वारंटी एक शर्त नहीं बन सकती है।

10.23 निहित(आवश्यक) शर्तें:

10.23.1 (i) स्वत्वाधिकार के रूप में शर्त :

विक्रेता की ओर से एक निहित शर्त है कि उसने लेन-देन में शामिल सामान बेचने का अधिकार हासिल कर लिया है।

10.23.2 (ii) विवरण के अनुरूप बिक्री:

जहाँ विवरण द्वारा माल की बिक्री का अनुबंध होता है, वहाँ एक निहित शर्त होती है कि माल विवरण की पुष्टि करेगा।

10.23.3 (iii) नमूने(सैम्पल) द्वारा बिक्री:

जब माल की आपूर्ति एक सहमत नमूने के अनुसार की जाती है, तो निम्नलिखित शर्तें लागू की जाती हैं -

क) थोक माल गुणवत्ता के संबंध में नमूने के अनुरूप होगा,

ख) खरीदार के पास नमूने के साथ माल की तुलना करने का उचित अवसर होगा,

ग) व्यापारियों को प्रदान किया गया बिकाऊ गुणवत्ता वाला माल किसी भी दोष से मुक्त होगा, जो नमूना के उचित परीक्षण पर स्पष्ट नहीं होगा।

(ध्यान दें- 'बिकाऊ गुणवत्ता' शब्द का मतलब है कि वस्तुएं उचित गुणवत्ता और अवस्था में हों, वस्तु के निष्पादन को लेकर प्रस्तुत उसके प्रस्ताव के पूरे परीक्षण के बाद उसे स्वीकार किया जायेगा, चाहे वह अपने उपयोग के लिए खरीदता हो या फिर दोबारा बेचने के लिए।)

घ) नमूने के साथ-साथ विवरण द्वारा बिक्री- जब माल नमूने के साथ-साथ विवरण द्वारा बेचे जाते हैं तो माल को नमूने और विवरण दोनों से सम्मत होना चाहिये और

च) उपयुक्तता या गुणवत्ता के रूप में शर्त

कोई शर्त नहीं है कि माल किसी विशेष उद्देश्य के लिए या माल की किसी विशेष गुणवत्ता के संबंध में उपयुक्त होना चाहिये, लेकिन लेकिन अगर खरीदार विक्रेता को उद्देश्य से अवगत कराता है और वह यह भी जानता है कि वह विक्रेता के कौशल और निर्णय पर निर्भर करता है और यदि माल विवरण के अनुरुप हैं, जो वितरण करना विक्रेता के व्यवसाय का हिस्सा है, तो यह नियम लागू होता है कि माल उद्देश्य के अनुरूप होगा। जहां माल उनके पेटेंट या व्यापार नामों के तहत बेचा जाता है, किसी विशेष निष्पादन के लिए इसकी उपयुक्तता के बारे में कोई निहित शर्त नहीं है। यदि दोष संबंधी कोई निहित शर्त नहीं है, जिसे इस तरह के परीक्षण में उजागर करना है। यह दृष्टिकोण 'कैविएट एम्प्टर' के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'खरीदार सावधान'।

खरीदार को यह सुनिश्चित करना है कि खरीद के समय माल इस आवश्यकता के अनुरूप होगा।

10.24 निहित वारंटी

1. खरीदार को आराम से माल का कब्जा मिलना चाहिए। यह पहले उल्लेख किए गए सिद्धांत का एक विस्तार है कि खरीदार को लेनदेन में शामिल सामान बेचने का स्पष्ट अधिकार होना चाहिए।

2. सामान प्रभार(ऋणभार) से मुक्त होना चाहिए। एक निहित वारंटी है कि माल अघोषित या खरीदार की जानकारी के बिना या उस समय जब अनुबंध बनाया गया, तीसरे पक्ष के पक्ष में किसी भी प्रभार से मुक्त होना चाहिये।
3. किसी उद्देश्य के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपयुक्तता व्यापार के उपयोग से वारंटी हो सकती है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्तता की वारंटी को कस्टम या व्यापार के उपयोग द्वारा बिक्री के अनुबंध में संलग्न किया जा सकता है।

10.25 वितरण के बारे में नियम:

समय, प्रणाली और स्थान को कवर करने वाली वितरण की शर्तों को आम तौर पर अनुबंध में लिखा जाता है। तथापि, कुछ सामान्य सिद्धांत नीचे दिए गए हैं: -
10.26 वास्तविक वितरण :
वास्तविक वितरण तब होता है जब माल स्वयं वितरित किया जाता है, अर्थात जब सामान को भौतिक रूप से विक्रेता या उसके एजेंट को सौंप दिया जाता है।
10.27आंशिक वितरण की प्रकृति:
पूरे सामान के वितरण के बदले एक हिस्से का वितरण, लेकिन पूरे हिस्से की सेवा देने के इरादे से एक हिस्से का वितरण, शेष वितरण के बराबर नहीं होगा।
जब तक कि विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं हो, खरीदार किस्त द्वारा वितरण को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है।

किस्त वितरण के लिए समझौते में निम्नलिखित समझौते के नियम शामिल हैं: -
i) यदि किस्तें दी गई हैं, तो माल निर्दिष्ट संख्या में वितरित किया जाएगा।
ii) प्रत्येक किस्त की सहमत मात्रा बराबर या भिन्न हो सकती है।
iii) एक या अधिक किस्तों की का गैर-वितरण या दोषपूर्ण वितरण है
विक्रेता द्वारा अनुबंध का उल्लंघन।
iv) वितरण लेने से मना करना या एक या अधिक किश्तों के लिए भुगतान करने में विफलता खरीदार द्वारा अनुबंध का उल्लंघन है।
इस संबंध में दो तरह के समझौते हो सकते हैं: -

क) उल्लंघन को अनुबंध के अस्वीकरण के रूप में माना जा सकता है,
ख) प्रत्येक उल्लंघन को अलग माना जाएगा। उल्लंघन से केवल क्षतिपूर्ति होगी, अस्वीकरण उत्पन्न नहीं होगा।

10.29 वाहक के लिए वितरण:
किसी खरीदार को माल हस्तांतरण के लिए वाहक को माल वितरण किया जाना प्रथमदृष्टया खरीदार को दिया जाना माना जाता है।
10.30 माल का परीक्षण:
खरीदार को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माल की जांच करने का अधिकार है कि क्या वे अनुबंध के अनुरूप हैं।
10.31 स्वीकृति :
खरीदार द्वारा माल स्वीकृति तब मानी जाती है जब वह विक्रेता को सूचित करता है कि उसने उन्हें स्वीकार कर लिया है या जब माल उसके पास पहुंचाया जाता है और वह उस तरीके से व्यवहार करता है, जो उसकी स्वीकृति को इंगित करता है।
10.32 अस्वीकृत माल की वापसी :
जब तक अन्यथा सहमति न हो, जब वितरित किए गए माल को खरीदार द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो वह विक्रेता को वापस करने के लिए बाध्य नहीं होता है। इतना पर्याप्त है यदि खरीदार विक्रेता को सूचित करता है कि वह उन्हें स्वीकार करने से इनकार करता है।
10.33 खरीदार के कर्तव्य
क) खरीदार को अनुबंध की शर्तों के अनुसार माल की कीमत का भुगतान करना होगा।
ख) यदि खरीदार ने वितरण को अनुचित तरीके से स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उसे विक्रेता को मुआवजा देना होगा।
ग) जब विक्रेता सामान देने के लिए तैयार हो जाता है और खरीदार को वितरण देने का अनुरोध करता है और खरीदार उचित समय के भीतर ऐसा नहीं करता है, तो वह लापरवाहीपूर्ण अस्वीकृति के कारण वितरण न लेने के लिए विक्रेता के

नुकसान के लिए उत्तरदायी होता है और माल की देखभाल और निगरानी के उचित प्रभार के लिए भी।
घ) विक्रेता या खरीदार किसी भी मामले में ब्याज या विशेष नुकसान की वसूली कर सकते हैं, जहां कानून द्वारा ब्याज या विशेष नुकसान की वसूली की जा सकती हो।

10.34 कर कार्यकाल का प्रभाव :
जहां एक अनुबंध में करों या अन्य वैधानिक शुल्क के भुगतान के लिए कोई नियम नहीं है या खरीद / बिक्री के समय जहां सामानों की बिक्री पर इस तरह के करारोपण का प्रश्न नहीं था, या जहां अनुबंध माल की बिक्री से अधिक है जिस पर कर का भुगतान किया गया है और बाद में बिक्री पर वैधानिक शुल्क वसूल सकता है, या माल की खरीद अधिरोपित, बढ़ाया, घटाया,छोड़ा जाता है, क) विक्रेता कीमत में दिये गये या बढ़े हुए कर की कीमत को जोड़ सकता है और ख) खरीदार कर की रकम घटा / हटा सकता है।
अनुबंध की शर्तों के विपरीत इरादा प्रकट होने पर पूर्वोक्त प्रावधान लागू नहीं होगा।

10.35 निश्चित समय से पहले अनुबंध का अस्वीकरण :
जहां बिक्री के अनुबंध से संबंधित एक पक्ष किसी अनुबंध को वितरण की तिथि से पहले अस्वीकृत कर देता है, दूसरा पक्ष या तो अनुबंध का निर्वाह कर सकता है और वितरण की तारीख तक प्रतीक्षा कर सकता है या वह अनुबंध को विखंडित मान सकता है और उल्लंघन के कारण क्षतिपूर्ति के लिए मुकदमा दायर कर सकता है।

10.36 निविदा की स्वीकृति के बाद अनुबंध का समापन/हमारे द्वारा आपूर्ति ऑर्डर स्थापित
:-

निविदा विज्ञापन / पूछताछ, आपूर्तिकर्ताओं को प्रस्ताव देने के लिए निमंत्रण देने का तरीका होता है। फर्म द्वारा जमा किए गए कोटेशन प्रस्ताव की राशि होंगे। यदि फर्म के कोटेशन / निविदा में निहित नियमों और शर्तों से कोई विचलन किए बिना ए / टी या आपूर्ति आदेश जारी किया गया है, तो एक औपचारिक अनुबंध उत्पन्न होगा। हालांकि, कभी-कभी आपूर्ति ऑर्डर नियमों और शर्तों के संबंध में कोटेशन से हट जाता है।ऐसी स्थिति में, आपूर्ति आदेश एक जवाबी प्रस्ताव बन जाता है, और तब यह आवश्यक है कि अनुबंध के अस्तित्व में आने से पहले संबंधित पक्षों द्वारा बिना शर्त आपूर्ति ऑर्डर पर दावा किया जाये। हालाँकि, भले ही अगर संबंधित फर्म औपचारिक रूप से संवाद नहीं करती है, लेकिन आपूर्ति ऑर्डर पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ती है, उनकी ओर से इस तरह की कार्रवाई को आपूर्ति ऑर्डर की निहित स्वीकृति के रूप में व्याख्या की जा सकती है और पक्ष आपूर्ति ऑर्डर में नियमों और शर्तों से बाध्य होगा। आपूर्ति ऑर्डर के निष्पादन की प्रक्रिया में यदि आपूर्तिकर्ता कोई उल्लंघन करता है, तो क्रेता को उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षित उपाय हेतु आवश्यक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ना होगा, ऐसा करने के बजाय, यदि क्रेता अपनी क्रिया या आचरण से आभास देता है, जैसे, यदि क्रेता निर्धारित वितरण अवधि की समाप्ति के बाद भी आपूर्ति स्वीकार करना जारी रखता है या पत्राचार प्रारंभ करता है जिससे यह समझा जाए कि क्रेता ने अपने व्यवहार से उसे अस्तित्व में रखा है।
दूसरे शब्दों में, जिस समय कोई उल्लंघन होता है, तो ऐसी घटना में पक्षों के आचरण को अनुबंध के नियमों और शर्तों से अलग देखना होगा।

10.37 अन्य कानून और वैधानिक प्रावधान:

हालांकि कुछ अन्य कानूनों को सीधे लागू नहीं किया जाता है, लेकिन माल की बिक्री की प्रक्रिया में वैधानिक प्रावधान लागू होते हैं। ये ढुलाई, बीमा, वैधानिक करारोपण आदि से संबंधित हैं।

10.38 ढुलाई संबंधित कानून की निम्नलिखित श्रेणियां हैं:

-i) सड़क से माल ढुलाई

क) रेलवे अधिनियम, 1890 जो रेलवे द्वारा ढुलाई से संबंधित है।

ख) सामान्य वाहक अधिनियम 1865, जो सड़क, अंतर्देशीय, जलमार्ग से माल की सामान्य ढुलाई से संबंधित है।

ii) समुद्र द्वारा ढुलाई

क) भारतीय कारोबार अधिनियम, 1856

ख) समुद्र अधिनियम, 1925 के द्वारा माल की ढुलाई

ग) व्यापारी नौवहन अधिनियम, 1958

घ) समुद्री बीमा अधिनियम, 1963

iii) हवाई परिवहन:

क) विमान वहन अधिनियम 1972.

.....

अनुलग्नक-I

स्वीकृत आपूर्तिकर्ता के रूप में सूचीबद्धता के लिए लिए आवेदन फॉर्म

1. नाम

(क) फर्म का नाम:

(ख) स्थापना का वर्ष:

2. पता

(क) मुख्यालय:

(ख) शाखाएं :

3. एसटीडी कोड के साथ फोन और फैक्स नंबर:

(क) मुख्यालय:

(ख) शाखाएं :

4. क्या आपकी फर्म अंतर्गत है:

(क) भारतीय कंपनी अधिनियम, 1919?

(ख)यदि हां, तो कृपया सक्रिय निदेशकों के नाम बताएं :

(ग) भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932?

यदि हां, तो कृपया भागीदारों के नाम बताएं.

(घ) यदि किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है, तो कृपया अपने संविधान और स्वामित्व के विवरण प्रस्तुत करें।

(च) भारतीय कारखाना अधिनियम, यदि ऐसा है, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें:

(छ) यदि आप "लघु उद्योग" या "राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम" के रूप में पंजीकृत हैं, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी के साथ विवरण दें, जिसमें उन वस्तुओं को निर्दिष्ट किया गया हो जिनके लिए पंजीकरण तथा ही पंजीकरण की वैधता अवधि हो।

(ज) फर्म के कार्यकारी प्राधिकारी व्यक्ति का नाम, पदनाम टेलीफोन नंबर के साथ

5. यदि आपकी किसी विदेशी फर्म के साथ तकनीकी या वित्तीय सहभागिता है, तो कृपया उसका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें।

6. क्या आप निर्माता हैं? यदि हां, तो कृपया इसका विवरण दें

(a) आपके द्वारा बनाये जा रहे प्रत्येक उत्पाद / सामग्री को अलग-अलग निर्दिष्ट करें।

(b) आपके द्वारा स्वामित्व वाली फैक्ट्री या कार्यशाला का पूरा पता दें (स्वामित्व के दस्तावेजी प्रमाण की मूल प्रतियों के साथ)।

(c) क्या आप आईएसआई चिह्न का उपयोग करने के लिए अधिकृत हैं? यदि हां, तो किन वस्तुओं के लिए? चिह्न के बीएसआई प्रमाण पत्र की फोटो प्रति दें।

(d) अपने कारखाने का निम्नलिखित विवरण दें।

(i) प्लांट और मशीनरी, मशीन औजार और स्थापित उपकरण और कामकाज: कृपया प्लांट का स्केच दें।

(ii) उत्पादन क्षमता, क्षमता का उपयोग, विस्तार की योजना।

(iii) गुणवत्ता नियंत्रण, निरीक्षण और प्रयोगशाला सुविधाओं का विवरण जो आपके पास है।

(iv) कुशल मजदूरों की संख्या, नियुक्त तकनीशियन :

कर्मचारियों की कुल संख्या।

(v) सामग्री को संभालने वाले उपकरणों का विवरण और उपलब्ध परिवहन सुविधाएं (जैसे साइडिंग्स, एप्रोच यार्ड)।

7. क्या आप निर्माता के एजेंट हैं?

(a) प्रत्येक निर्माता और उनके द्वारा निर्मित सामग्री का नाम और पता।

(ख) आपको एजेंट के रूप में नियुक्ति को दर्शाने वाला प्राधिकार पत्र की सत्यापित प्रतियां।

8. यदि आप केवल स्टॉकिस्ट हैं, तो कृपया दें-

(क) भंडारित वस्तुएँ

(ख) वर्तमान में स्टॉक की मात्रा और मूल्य जिसके आप मालिक हैं।.

9. यदि आप एक आयातक हैं, तो कृपया बताएं-

(क) आपके द्वारा आयात किए गए सामानों की श्रेणी और ऐसे आयातों का वार्षिक मूल्य।

(ख) अपने वर्तमान भंडार को दर्शाएं और उस गोडाउन का पता दें जहाँ उसे भंडारित किया गया है।

10. फोटोकॉपी के साथ विवरण दें

(क) केंद्रीय बिक्री कर पंजीकरण संख्या.....

(ख) आपका एसटी पंजीकरण .....दिनांक.....

(ग) टीआईएऩ नंबर.

11. (क) अपने बैंकर और खाता संख्या का नाम और पता

(ख) कृपया उस नाम का उल्लेख करें जिसका खाता है

(ग) कृपया वह वर्ष बताएं जिसमें खाता खोला गया था।

12. क्या आप इसी तरह की सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ता की अनुमोदित सूची में हैं-

(i) डीजीएस एंड डी, नई दिल्ली – यदि हां, तो प्रस्तुत करें

(क) पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां और

(ख). दर अनुबंध

(ii) सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में कोई अन्य महत्वपूर्ण ग्राहक जिनके साथ आपने पिछले 5 वर्षों में व्यवहार किया है।

(iii) उपरोक्त ग्राहकों के साथ पिछले 2 वर्षों के दौरान निष्पादित बड़े अनुबंधों का विवरण दें।

13. कृपया अपने पैन नंबर का उल्लेख करें और फोटोकॉपी संलग्न करें:

इसके अलावा अपने अंतिम आयकर क्लीयरेंस प्रमाण पत्र को संलग्न करें।

14. वार्षिक रिपोर्ट / बैलेंस शीट / लाभ और हानि विवरण।

निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रति तैयार होनी चाहिए।

(क) अंतिम वार्षिक रिपोर्ट।

(ख) लाभ और हानि खाता और उसकी बैलेंस शीट और वर्ष के अंत की बैलेंस शीट।

(ग) नीचे दिए गए फॉर्म में पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान फर्म के संचालन और वित्तीय स्थिति के परिणाम दिखाते हुए एक विवरण:

क. बिक्री।

ख.सकल लाभ।

ग. मूल्यह्रास।

घ. कर पूर्व लाभ ।

च. कराधान।

छ. कर के बाद निवल।

ज. बिक्री पर शुद्ध लाभ का प्रतिशत।

झ. लाभांश घोषित किया गया।

ट. निवल ब्लॉक

ठ. नियोजित पूंजी।

ट. भंडार।

ढ. नियोजित पूंजी पर लाभ प्रतिशत।

प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष लिए भी वार्षिक रिपोर्ट, बैलेंस शीट और उस वर्ष के लाभ एवं हानि अकाउंट में से प्रत्येक की एक प्रति को जैसे ही वे संचालन और वित्तीय स्थिति के परिणामों के तुलनात्मक विवरण के साथ तैयार / प्रकाशित होते हैं, उसी फॉर्म में नियमित रूप से जल्द से जल्द तैयार किया जाना चाहिए।

15. आपूर्ति क्षमता

उस श्रेणी की सामग्री का उल्लेख करें जिसे फर्म आपूर्ति करने की स्थिति में है। वर्तमान में रखे गए भंडार का मूल्य और मात्रा इंगित की जा सकती है। बताएं कि किस आइटम या सामग्री की श्रेणी के लिए फर्म इस कंपनी की आपूर्ति करने के लिए विशेष रूप से मजबूत स्थिति में है और इस प्रकार फर्म की राय में उसके अधिकार पत्र में उसका नाम आपूर्तिकर्ता के रूप में पंजीकृत किया जा रहा है।

16. सुरक्षा जमा राशि:

चाहे आप डिमांड ड्राफ्ट के रूप में रु. 25,000 /- की स्थायी सुरक्षा राशि प्रस्तुत करने के इच्छुक हों।

17. मॉयल या किसी अन्य सार्वजनिक उपक्रम को मौजूदा आपूर्ति।

मुख्य आइटम जिसके लिए आपको पीएसयू से पिछले 12 महीनों के दौरान ऑर्डर मिले हैं उनको संलग्न फॉर्म में दर्शाएं। (रु. 5000/ - से नीचे के सभी छोटे ऑर्डर इसमें शामिल नहीं होने चाहिए)। प्रत्येक ऑर्र की एक फोटो प्रति संलग्न की जाये।

18. पंजीकरण

यदि अनुमोदित किया जाता है, तो पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगा। अवधि की समाप्ति की तारीख से कम से कम 3 महीने पहले पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना अनुबंधकर्ता की जिम्मेदारी होगी।

मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियाँ मेरे / हमारे जानकारी में सही हैं।

स्थान: नाम के साथ हस्ताक्षर, पद और पता:

.....

अनुलग्नक III

निविदा पूछताछ के लिए सामान्य नियम और शर्तें

1. निविदाकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे टेंडर की गई वस्तुओं के लिए सबसे कम दर प्रस्तुत करें।

2.निविदाएं एक सीलबंद कवर पर निविदा पूछताछ संख्या और खोलने की नियत तारीख लिख कर निर्धारित तिथि और समय से पहले कार्यालय तक पहुंचनी चाहिए। प्रस्ताव वाले लिफाफे को प्रमुख (सामग्री), मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440 013 को संबोधित किया जाना चाहिए।

निविदा को डुप्लीकेट में केवल भाग- II मूल्य बोली के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिये। तथापि, भाग-I तकनीकी और वाणिज्यिक बोली को डुप्लिकेट में प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

3.निविदा प्राप्ति एवं खोलना: निविदा की प्राप्ति की अंतिम तिथि और समय और उसी तरह निविदा खोलने की तिथि और समय निविदा सूचना में निर्दिष्ट किया गया है।

4. वैधता: उद्धृत मूल्य स्थिर होने चाहिए और निविदा खोलने की नियत तारीख से 120 दिन (चार महीने) तक स्वीकृति के लिए निविदाएं खुली रहनी चाहिए। 120 दिनों से कम की वैधता वाले निविदाएं अस्वीकार कर दी जाएंगी।

5. विलंबित/देरी से प्राप्त निविदाएं : विलंबित/देरी से प्राप्त निविदाएं, टेलीग्राफिक निविदाएं, फ़ैक्स ऑफ़र और अपूर्ण निविदा अस्वीकृत कर दी जाएंगी। देरी से प्राप्त

किसी भी निविदा को खोला नहीं जाएगा और मॉयल ने बिना किसी कारण बताए निविदाकार को संबंधित निविदा को वापस करने का अधिकार सुरक्षित रखा है। ऐसा ही विलंबित निविदाओं के लिए होगा, जिस स्थिति में मॉयल को कोई कारण बताए बिना निविदा खोलने या संबंधित निविदाकर्ता को निविदा वापस करने का अधिकार सुरक्षित है। मॉयल पूरे या आंशिक रूप से किसी भी निविदा को स्वीकार करने या किसी भी कारण बताए बिना किसी भी निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

6.बयाना: बयाना राशि को उद्धृत मूल्य के 2% (दो प्रतिशत) या रु. 2,00,000 / - (रु.दो लाख केवल) जो भी कम हो, भाग- । यानी "तकनीकी-वाणिज्यिक बोली" के साथ जमा किया जाना चाहिए। (लिफ़ाफ़ा नंबर 1)।

6.1 मैंगनीज ओर (I) लिमिटेड, नागपुर के पक्ष में तैयार किए गए डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बयाना राशि, नागपुर में देय ही केवल स्वीकार की जाएगी।

6.2 चेक, बैंक गारंटी, डिपॉज़िट रसीद या किसी अन्य फॉर्म के माध्यम से प्राप्त बयाना राशि पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.3 सफल निविदाकार को हमारे खरीद ऑर्डर की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर सुरक्षा राशि (प्रतिभूति) कुल ऑर्डर मूल्य का 5% (पांच प्रतिशत)के बराबर (अर्थात मूल मूल्य + सभी शुल्क, माल भाड़ा और बीमा शुल्क, निर्माण और प्रवर्तन, पर्यवेक्षण आदि)जमा करना होगा।

6.4 निविदा के साथ जमा की गई प्रतिभूति को सुरक्षा जमा और शेष राशि के निमित्त समायोजित किया जाएगा यानी 3% (तीन प्रतिशत) जमा करना होगा। एनएसआईसी और डीजीएल एंड डी के साथ पंजीकृत निविदाकर्ता को ईएमडी से छूट

दी जाएगी। तथापि, निविदाकर्ता को उपरोक्त प्राधिकरणों के साथ वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र की फोटोकॉपी संलग्न करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने निविदा प्रस्तुत की है और उक्त प्रमाण पत्र को निविदा के भाग-I यानी "तकनीकी-वाणिज्यिक बोली" (लिफाफा संख्या 1) के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

6.5 कृपया ध्यान दें कि जैसा 6.1 में उल्लिखित है, बयाना राशि जमा किए बगैर या जैसा कि 6.4 में उल्लिखित है-वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र जमा न होने पर निविदा को सीधे खारिज कर दिया जाएगा और इस विषय पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

6.6 बयाना राशि की यह धारा वहां लागू नहीं होती है, जहां निविदाकर्ता द्वारा अपनी निविदा में सभी उत्पादों के लिए उद्धृत कुल मूल्य / भाव रु.1 लाख से कम है।

7. आय कर और बिक्री कर मंजूरी प्रमाणपत्र : निविदाकर्ता को सरकार के दिशा-निर्देशानुसारआयकर और बिक्री कर निकासी प्रमाणपत्र (सन्निकट गत वित्तीय वर्ष के लिए) जमा करना होगा। जमा करने में विफल रहने पर पर निविदा को अनदेखा किया जा सकता है।

8. निर्माताओं द्वारा भागीदारी: जहां भी निविदा सूचना या निविदा पूछताछ के अनुसार निविदाएं केवल 'निर्माता' से आमंत्रित की जाती हैं, केवल निर्माताओं को ही बोली लगानी चाहिए। तथापि, यदि निर्माता टेंडर पूछताछ को अपने अधिकृत वितरक / प्राधिकृत डीलर / अधिकृत स्टॉकिस्ट की तरफ बढ़ा देता है, तो इस संबंध में प्राधिकृत डिस्ट्रीब्यूटरशिप / डीलरशिप / स्टॉकिस्ट के वैध प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक प्राधिकार पत्र को निविदा के साथ भेजा जाना चाहिए और प्राधिकृत वितरक / डीलर / स्टॉकिस्ट को केवल उनके प्रमुख उत्पाद के लिए कोटेशन देना

चाहिए, जिसके लिए निविदा पूछताछ को ओर उनकी तरफ बढ़ाया है। अन्य मेक / ब्रांड के लिए प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाएगा।

9. निर्माताओं द्वारा डाउनलोड निविदा दस्तावेज:

9.1 जहां भी निविदाएं केवल विनिर्माताओं से आमंत्रित की जाती हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा वेबसाइट से निविदा दस्तावेज डाउनलोड किए जाते हैं, उन्हें वे यह पुष्टि करते हुए कि वे उन मदों के निर्माता हैं, जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है, पार्ट- । 'तकनीकी और वाणिज्यिक बोली' में मान्य दस्तावेजी प्रमाण जैसे डीजीएसएंडडी, एनएसआईसी, एसएसआई / पंजीकरण आदि के साथ जमा करना चाहिए, ऐसा न करने पर निविदा बिना किसी और पत्राचार के अस्वीकृत की पात्र हो जाएगी।

9.2 फर्मों के निविदा दस्तावेजों में निविदा दस्तावेजों की लागत को भी संबंधित निविदा जांच लागत के अनुसार संलग्न करना होगा, जिसमें भाग-I तकनीकी और वाणिज्यिक बोली शामिल है, जो मैंग्नीज ओरे (इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में नागपुर में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में देय है। ऐसा करने में विफल रहने पर निविदा (निविदाओं) को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

10. आईएसआई चिह्नांकन: जहाँ भी निविदाएँ प्रांसगिक आईएसआई चिह्नांकित आइटमों के लिए आमंत्रित की जाती हैं, निविदाकारों को बीआईएस पंजीकरण की वैध प्रति के साथ ही उसके लिए बोली लगानी चाहिए, जो बीआईएस लाइसेंस के मद और वैधता के विवरण को दर्शाती है।

11. डीजीएमएस अनुमोदन: जहां भी आवश्यक वस्तुएं डीजीएमएस अनुमोदन के अनुसार आवश्यक हैं, निविदाकारों को उद्धृत वस्तुओं के लिए डीजीएमएस द्वारा दी गई अनुमोदन की प्रति संलग्न करनी होगी। यदि अनुमोदन प्रतिबंधित मात्रा /

लंबाई / गहराई निविदाओं के लिए है, तो उसी का उल्लेख करना चाहिए और आपूर्ति की गई मात्रा / लंबाई को इंगित करना चाहिए। इसके अलावा, ऑर्डर के प्रतिस्थापन की स्थिति में सफल निविदाकर्ता के लिए डीजीएमएस के नवीनतम परिपत्र के अनुसार सभी प्रासंगिक परीक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

12. कीमतें:

12.1 निविदा मदों के लिए उद्धृत (बाद में अनुबंध मूल्य कहा जाता है) मूल और साथ ही अन्य कीमतें, डिजाइन, निर्माण के लिए खरीदी गई सामग्री, विरचना, संयोजन, गारंटीकृत प्रदर्शन के लिए परीक्षण, पेंटिंग, पैकिंग, रेलवे वैगन या मालवाहक सड़क परिवहन द्वारा खरीदार के स्थान पर माल का अग्रेषण और प्रेषण के लिए होंगी। निविदाकर्ता विशेष उपकरणों की कीमतों को और प्रवर्तन के लिए यदि कल-पुर्जों की आवश्यकता हो और उपकरण / वस्तु के दो वर्षों के संचालन के लिए पुर्जों की मात्रा और कीमत की सूची के साथ उन्हें भी अलग से निर्दिष्ट करेगा। अनुबंध मूल्य, कोटेशन देते समय उस समय लागू होने वाले उत्पाद शुल्क, चुंगी, और कोई अन्य राज्य या केंद्रीय बिक्री कर और शुल्कों को निर्दिष्ट करेगा। रियायती दर पर बिक्री कर का भुगतान करने के उद्देश्य से, आवश्यक आदेश फॉर्म 'फॉर्म सी' खरीदार द्वारा निविदाकार को ऑर्डर स्थानापन्न होने के प्रसंग पर उपलब्ध कराया जायेगा। सभी पूर्वोक्त कर और अन्य करारोपण यदि कोई हो, को भी अलग से और विशेष रूप से निविदा में दिखाया जाएगा।

12.2 निविदाकर्ता (जहाँ भी लागू हो) आपूर्ति किए जाने वाले मदों के निर्माण और प्रवर्तन के लिए अलग से बाध्यकारी मूल्य में अपने निविदा में इंगित करेगा। वैकल्पिक रूप से पर्यवेक्षण के लिए विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति के लिए शुल्क यदि

कोई है (यदि क्रेता निर्माण और प्रवर्तन अलग एजेंसी द्वारा कराये जाने की इच्छा रखता है) निर्दिष्ट किया जा सकता है।

12.3 भारत के बाहर से आयात किए जाने वाले सभी यंत्र, उपकरण, मशीनरी, सामग्री आदि के लिए, कीमतों को एफओबी पोर्ट लदान, बीमा को कवर करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और भाड़े को अलग से उद्धृत किया जाएगा। सीमा शुल्क लागू है और श्रेणी (आयात व्यापार नियंत्रण वर्गीकरण जैसा कि तारीख तक किया गया है) जिसके तहत आइटम आकलन योग्य हैं, भी उपयुक्त रूप से उल्लिखित किया जाएगा।

12.4 निविदाकार द्वारा उद्धृत मूल्य निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित गंतव्य के अनुसार ठीक-ठीक होना चाहिए।

13. कर एवं शुल्क:

13.1 करों और शुल्कों को इसके प्रतिशत और राशि के साथ अलग-अलग शीर्षकों के नीचे इंगित किया जाना चाहिए। भुगतान किए जाने वाले किसी अन्य शुल्क को भी अलग शीर्षक के नीचे स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि यदि आपकी निविदा स्पष्ट रूप से करों और शुल्कों और किसी अन्य शुल्क को स्पष्ट नहीं करती है, तो उस स्थिति में यह माना जाएगा कि आपके द्वारा उद्धृत मूल्य में सभी कर, शुल्क और अन्य शुल्क शामिल हैं। इस आशय का कोई स्पष्टीकरण आपसे नहीं मांगा जाएगा।

13.2 हमारे फेरो मैंगनीज प्लांट (एफएमपी) और इलेक्ट्रोलाइटिक मैंगनीज डाइऑक्साइड (ईएमडी) प्लांट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों के संबंध में हमें संशोधित मूल्यवर्धित कर(मॉडवेट)/ केंद्रीय मूल्यवर्धित कर (सेनवैट) लाभ मिल रहा है। इसलिए, इन संयंत्रों को वस्तुओं की आपूर्ति के लिए निविदाकारों को

विशेष रूप से और अलग से उत्पाद शुल्क को निर्दिष्ट देना चाहिए और यह भी पुष्टि करनी चाहिए कि वे मोडवेट/सेनवेट लाभ उठाने के लिए उत्पाद शुल्क विभाग को स्वीकार्य उपयुक्त चालान/बिल स्वीकार्य बनाएंगे।

13.3 केवल उन मामलों में जहां निविदाकर्ता विशेष रूप से और अलग से अपने निविदा / चालान / बिलों में बिक्री कर राशि का उल्लेख करते हैं, कीमतों की तुलना करते समय, जहां भी लागू हो, राज्य बिक्री कर पर 'सेट ऑफ' पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां निविदाकर्ता अपनी निविदा में बिक्री कर को समावेशी उल्लिखित करता है, और बिक्री कर के अंश को अलग से इंगित नहीं करता है, कीमतों की तुलना करते समय बिक्री कर के सेट ऑफ पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, निविदाकारों के हित में, उन्हें अपने टेंडर / चालान / बिल में राज्य बिक्री कर तत्व को अलग से इंगित करना होगा।

14. मूल्यभिन्नता उपनियम: निविदाकर्ता को फर्म दर का उद्धरण करना आवश्यक है। मूल्य भिन्नता उपनियम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

15. भुगतान शर्त: हमारी कार्यस्थल पर सामग्रियों की प्राप्ति और स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर 100% भुगतान जारी किया जाएगा। तथापि, जहाँ भी निर्माण / प्रवर्तन या उसकी देखरेख का मामला है, हमारे कार्यस्थल पर सामग्री प्राप्तियों और स्वीकृति के 30 दिनों के भीतर 80% भुगतान किया जाएगा और संतोषजनक प्रवर्तन के 30 दिनों के भीतर शेष 20% भुगतान किया जाएगा।

16. अग्रिम भुगतना: अग्रिम भुगतान के लिए अनुरोध निविदाकर्ता के पक्ष में नहीं जाएगा। इसी तरह बैंक के माध्यम से भुगतान शर्त के लिए मॉयल को, मूल्यांकन की कंपनी की नीति के अनुसार इस तरह की निविदा या ब्याज भुगतान पर विचार

नहीं करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। तथापि, मॉयल का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

17. बैंक प्रदर्शन गारंटी: सफल निविदाकर्ता को कुल मूल्य के ऑर्डर के 10% (यानी अंतिम रखी गयी कीमत) के लिए प्रदर्शन बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी प्रवर्तन की तारीख से 12 महीने या उपकरण की गारंटी अवधि जो भी बाद में हो, इसके सफल निष्पादन के लिए होगी।

18. वितरण: निश्चित वितरण को उद्धृत किया जाना चाहिए। एक बार जब ऑर्डर को सहमत वितरण अवधि के साथ स्थानापन्न कर दिया जायेगा, तो किसी भी परिस्थिति में संशोधित या संशोधित नहीं किया जाएगा, जब तक प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध या इसी तरह की अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण उत्पादन में बाधा नहीं आती।

19.1 नियुक्ति और उपकिरायेदारी: आपूर्तिकर्ता, क्रेता की लिखित अनुमति के बिना, आपूर्ति किये जाने वाले हिस्से या कुछ हिस्से या निर्माण कार्य को किराये पर या सौंप नहीं सकता, बशर्ते ऐसी किसी भी सहमति से अनुबंध के तहत किसी भी दायित्व, कर्तव्य या जिम्मेदारी से आपूर्तिकर्ता को राहत नहीं मिलेगी। इसके अलावा, यह उपनियम उऩ मानक उत्पादों के आपूर्तिकर्ता द्वारा खरीद के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें क्रेता द्वारा अनुमोदित किया गया है।

19.2निविदा की वापसी: निविदा प्रस्तुत करने के बाद यदि वैधता अवधि समाप्त होने से पहले इसे वापस ले लिया जाता है, तो कंपनी बिना किसी नोटिस के निम्निंकत में से कोई भी एक या अधिक कार्रवाई कर सकती है:

1. बयाना राशि की जब्ती

2. एनएसआईसी / डीजीएलएंडडी / किसी भी अन्य सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करना

3. कंपनी की आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से आपूर्तिकर्ता का नाम हटाना।

20. तकनीकी आवश्यकताएं: आइटम सबसे अच्छी गुणवत्ता और कारीगरी के होंगे और सभी प्रकार से अनुबंध का अनुपालन करेंगे और ऑर्डर / शर्तों के अनुसार क्रेता / प्रतिनिधि की तकनीकी और व्यावसायिक संतुष्टि के अनुसार होंगे। निविदाकर्ता को पूरी तरह से जांच करने और उन वस्तुओं की सामान्य और विशेष तकनीकी आवश्यकताओं का ज्ञान होना चाहिए जिनके लिए उन्होंने अपना टेंडर जमा किया है। निविदाकर्ता, यदि वह ऐसा चाहता है, तो निविदा प्रस्तुत करने से पहले, तकनीकी आवश्यकताओं के किसी भी पहलू पर क्रेता / प्रतिनिधि से स्पष्टीकरण मांगेगा, और निविदा प्रस्तुत करने से पहले तकनीकी आवश्यकताओं के किसी भी पहलू की आपूर्तिकर्ता की अपनी जिम्मेदारियों के तहत अनदेखी नहीं करेगा।

21.आपूर्तिकर्ता के परिसर में निरीक्षण और परीक्षण:

21.1 क्रेता / प्रतिनिधि को निर्माण के दौरान किसी भी समय अनुबंधित वस्तुओं या उसके किसी भाग के निरीक्षण और परीक्षण का अधिकार होगा, और क्रेता / प्रतिनिधि की मांग पर आपूर्तिकर्ता, क्रेता/ प्रतिनिधि की उपस्थिति में इस तरह के परीक्षण को यथोचित तरीके से नि:शुल्क करेगा। यदि आपूर्तिकर्ता स्वयं परीक्षण करने की स्थिति में नहीं है, वह क्रेता / प्रतिनिधि की मांग पर, नमूने तैयार करेगा और उन्हें अपनी लागत पर ऐसे परीक्षण स्थलों पर भेजेगा जो आम तौर पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में खरीदार के रूप में हो सकते हैं, जिन्हें

खरीदार निर्दिष्ट कर सकता है, और परीक्षण के लिए प्रभावी लागत आपूर्तिकर्ता के खाते में होगी।

संयंत्र का एक हिस्सा आपूर्तिकर्ता के स्वयं के परिसर में नहीं, बल्कि अन्य परिसर में निर्मित किया जा रहा हो, इसी तरह आपूर्तिकर्ता क्रेता / प्रतिनिधि से कार्य के निरीक्षण और परीक्षण करने की अनुमति प्राप्त करेगा जैसे कि कहा गया है, उक्त संयंत्र को आपूर्तिकर्ता के परिसर में निर्मित किया जा रहा है।

तथापि, क्रेता / प्रतिनिधि द्वारा किया गया निरीक्षण, अवलोकन या परीक्षण, हालाँकि, इस अनुबंध के तहत आपूर्तिकर्ता को उसके किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।

21.2 क्रेता / प्रतिनिधि को आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए सभी परीक्षणों में उपस्थित होने का अधिकार होगा। ऐसा करने के लिए अनुरोध किए जाने पर आपूर्तिकर्ता, पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कि प्रयुक्त सामग्री निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेगी। यदि नमूने और प्रतिरूप मंगवाये जाते हैं, तो वे खरीदार की संपत्ति होंगे। आपूर्तिकर्ता क्रेता / प्रतिनिधि को अनुबंध कार्य की प्रगति को एक उपयुक्त तरीके से सूचित करेगा, विशेष रूप से किसी संयोजन के मामले में जिसमें आवश्यकता के अनुरूप पहले निरीक्षण और परीक्षण किया जा सकता है, बिना आपूर्तिकर्ता के दायित्व पूर्वाग्रह के, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या सामग्री और / या सेवाएं अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

21.3 क्रेता / प्रतिनिधि, आपूर्तिकर्ता को, उसके काम के संबंध में आपत्ति के किसी भी आधार को निर्धारित करने वाले लिखित रूप से उचित नोटिस देने पर, सभी या किसी हिस्से को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, आपत्ति के उक्त

आधारों में से किसी का भी विषय यह हो सकता है कि वे क्रेता/ प्रतिनिधि के अनुसार नहीं हैं या अनुबंध की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं।

21.4 आपूर्तिकर्ता क्रेता / प्रतिनिधि को परीक्षण के लिए तैयार होने वाली किसी भी सामग्री की सलाह प्राप्त करने की तिथि से, इस तरह के परीक्षण के लिए आवश्यक होने की अवधि को निर्दिष्ट करते हुए न्यूनतम पंद्रह दिन का नोटिस देगा और क्रेता / प्रतिनिधि (जब तक निरीक्षण या परीक्षण स्वेच्छा से छूट नहीं दी जाती है) आपूर्तिकर्ता या उप-निविदाकार के परिसर में आपूर्तिकर्ता को लिखित रूप में 24 घंटे की पूर्व सूचना देने पर (जैसा भी मामला हो) परीक्षण जल्द से जल्द पूरा करने आम तौर पर 15 दिनों से अधिक की अवधि नहीं, उस तिथि से जब क्रेता / प्रतिनिधि सामग्री के परीक्षण या निरीक्षण के लिए तैयार होने पर आपूर्तिकर्ता से लिखित रूप में उचित सूचना प्राप्त करते हैं, इसमें विफल होने पर आपूर्तिकर्ता उस परीक्षण के साथ आगे बढ़ सकता है जिसे क्रेता / प्रतिनिधि की उपस्थिति में माना जाएगा और तीन प्रतियों में परीक्षण रिपोर्ट को क्रेता / प्रतिनिधि को विधिवत प्रमाणित प्रतियों के साथ अग्रेषित करेगा।

21.5 आपूर्तिकर्ता या किसी भी उप-निविदाकार के कार्यों के सभी मामलों में, आपूर्तिकर्ता, जहां निर्दिष्ट किया गया हो उसे छोड़ कर, क्रेता / प्रतिनिधि को इस तरह के परीक्षणों को अनुबंध के अनुसार सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए यथोचित रूप से मांगे गए मजदूर, सामग्री, बिजली, ईंधन, पानी, स्टोर, उपकरण और उपकरणसमूह निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, और ऐसे परीक्षण को पूरा करने के लिए क्रेता / प्रतिनिधि को सुविधाएं देगा।

21.6 जब आपूर्तिकर्ता या उसके उप-निविदाकार के कार्यों पर परीक्षण संतोषजनक ढंग से पूरा हो जाये, तो क्रेता / प्रतिनिधि इस आशय का एक निरीक्षण प्रमाणपत्र

जारी करेगा, यदि अंतिम प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, तो प्रारंभिक या अस्थायी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यदि क्रेता / प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण नहीं देखा गया था, तो आपूर्तिकर्ता से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा; क्रेता / प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद 15 दिनों के बाद नहीं। इस तरह के प्रमाण पत्र जारी किए जाने से पहले कोई भी संयंत्र प्रेषित नहीं किया जाएगा। निरीक्षण प्रमाणपत्र की प्रति उसके समर्थन में आपूर्तिकर्ता के बिल से जुड़ी होनी चाहिए। इन परीक्षणों के संतोषजनक पूर्ण होने या प्रमाणपत्र जारी हो जाने से खरीदार / प्रतिनिधि को वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसे आगे के परीक्षणों में / या निर्माण या प्रवर्तन के बाद अनुबंध के अनुपालन के लिए पाया जाना चाहिये।

22. गारंटी:

22.1 प्रवर्तन / उपयोग की तारीख से 12 महीने या प्रेषण की तारीख से 18 महीने, जो भी पहले हो अर्थात सामग्री के नियमित रूप से काम करने के बारह कैलेंडर महीनों की अवधि के लिए,ईकाई के संचालन पर जाने की तारीख से प्रारंभ, लेकिन लदान के 18 महीने के बाद नहीं अंतिम प्रेषण में सामग्री को पूर्ण करना आवश्यक है जिनकी निरीक्षण के बाद क्रेता / प्रतिनिधि के उचित अनुमोदन के बाद आपूर्तिकर्ता द्वारा की सूचना दी गई है। आपूर्तिकर्ता किसी भी ऐसे हिस्से को बदलने के लिए उत्तरदायी होगा जो विफल हो सकता है या दोष के संकेत दिखा सकता है और दोषपूर्ण डिजाइनों, सामग्री या कारीगरी से उचित उपयोग, निर्माण या पर्यवेक्षण या आपूर्तिकर्ता की चूक से और उत्पन्न हो सकता है,

22.2 उपरोक्त उल्लिखित दोषपूर्ण भागों के सभी प्रतिस्थापनों को आपूर्तिकर्ता द्वारा साइट पर नि: शुल्क किया जाएगा और आपूर्तिकर्ता के कार्यों के लिए दोषपूर्ण भागों की वापसी आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारी होगी और उनके खर्च पर बनाई जाएगी। तथापि, क्रेता इस मामले में इस तरह की सहायता प्रदान करेगा और साथ ही साथ शीघ्रता प्रदान करेगा। दोषपूर्ण भागों के मामले में यदि वे कार्यस्थल पर मरम्मत योग्य नहीं है, लेकिन इस बीच सामग्री वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवश्यक है, तो इससे पहले कि दोषपूर्ण भाग को उसके कार्यों के लिए हटा दिया जाए, आपूर्तिकर्ता उक्त दोषपूर्ण हिस्सों को कार्यस्थल पर निःशुल्क बदल देगा।

22.3 इस अनुच्छेद के तहत आपूर्तिकर्ता को वस्तुओं के किसी भी दोषपूर्ण हिस्से को बदलने या नवीनीकृत करने के लिए आवश्यक हो जाता है, इस अनुच्छेद के प्रावधान इस तरह के प्रतिस्थापन या नवीकरण की तारीख से छह महीने की समाप्ति तक या बारह महीने के ऊपर उल्लिखित अवधि के अंत तक, जो भी बाद में हो सकते हैं, तब तक प्रतिस्थापित या नवीनीकृत किए गए आइटमों के हिस्से पर लागू होंगे। यदि उचित समय के भीतर किसी भी दोष को संतोषजनक ढंग से दूर नहीं किया जाता है, तो खरीदार आपूर्तिकर्ता के जोखिम और खर्चों पर काम करने के लिए आगे बढ़ सकता है, लेकिन किसी भी अन्य संविदात्मक अधिकारों के पूर्वाग्रहों के बिना, जो क्रेता के, ऐसे किन्हीं भी दोषों के संबंध में आपूर्तिकर्ता के खिलाफ हो सकते हैं।

22.4 यदि प्रतिस्थापन या नवीकरण इस प्रकार के हैं, जो आइटम की दक्षता को प्रभावित कर सकते हैं, तो क्रेता को आपूर्तिकर्ता को इस तरह के प्रतिस्थापन या नवीकरण के लिए एक महीने के भीतर का समय देने का अधिकार होगा, लिखित में इस सूचना के साथ कि 'पूर्णता पर परीक्षण किया जाए'। ऐसे परीक्षण बताते हैं कि सामग्री अनुबंध में दी गई गारंटी को पूरा करती है; परीक्षणों की लागत क्रेता

द्वारा वहन की जाएगी। यदि गारंटी को पूरा नहीं किया जाता है, परीक्षणों की लागत आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन की जाएगी और उसके स्वयं के उपयोग से उत्पन्न होने तक सीमित होगी।

22.5 गारंटी अवधि के अंत तक, आपूर्तिकर्ता को अपने जोखिम और व्यय पर काम करने का अधिकार होगा, स्वयं या उनके विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जिनका नाम पूर्व में क्रेता को लिखित रूप में सूचित किया गया है, सभी उचित काम के घंटों में, काम के निरीक्षण के लिए काम के सभी आवश्यक भागों पर और वस्तुओं के रिकॉर्ड और उससे नोट्स लेने के लिए, और यदि वह अपनी इच्छा से, अपने स्वयं के खर्चों पर, क्रेता / प्रतिनिधि के अनुमोदन के अधीन कोई भी परीक्षण करना चाहता है, उस पर अनुचित रूप से रोक नहीं लगाई जायेगी।

22.6 क्रेता / प्रतिनिधि द्वारा निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी करना किसी भी तरह से इस लेख के प्रावधानों से आपूर्तिकर्ता को छूट नहीं देगा।

23. कल पुर्जे(स्पेयर पार्ट्स) : निविदाकर्ता मदों के रखरखाव और प्रवर्तन के लिए अनुशंसित कल पुर्जों की अलग सूची प्रस्तुत करेगा। रखरखाव के कल पुर्जे प्रचालन के 2 साल/ 5000 घंटे की अवधि के लिए होंगे। निविदाकर्ता ऐसे कल पुर्जों के लिए मद वार मूल्य प्रस्तुत करेगा।

24. देरी से किये गये वितरण के लिए निर्णीत हर्जाना: यदि आपूर्तिकर्ता डिलीवरी में चूक करता है और आपूर्तिकर्ता ने क्रेता को समय पर अच्छी तरह से स्थिति नहीं बताई है और / या क्रेता ने डिलीवरी अवधि का विस्तार स्वीकार नहीं किया है, तो क्रेता अपने विकल्प पर आपूर्तिकर्ता के बिल से कटौती कर सकता है जो किसी भी सामग्री की कीमत का 1⁄2% आधा प्रतिशत से कम नहीं होगा जिसे आपूर्तिकर्ता वितरण अवधि में प्रत्येक सप्ताह या सप्ताह के कुछ हिस्से के दौरान

जिसमें इस तरह की सामग्री का वितरण सहमत निर्णीत हर्जाने के माध्यम से 10% की सीमा तक बकाया के रूप में हो सकता है और दंड के रूप में नहीं, बशर्ते देरी किसी अप्रत्याशित घटना के कारण नहीं हुई हो।

25. दंड : ऑर्डर स्थापनन स्थिति में सफल निविदाकर्ता सामग्री देने में विफल रहता है, तो कंपनी अपने विवेक से निम्नलिखित दंडों में से कोई एक या अधिक दंड लगा सकती है:

(क) खरीद ऑर्डर को पूरा या आंशिक रूप से निरस्त कर सकता है ;

(ख) ऑर्डर के कुल मूल्य का 3% से 10% तक जुर्माने का आरोपण;

(ग) आपूर्तिकर्ता को नोटिस के बिना बयाना राशि, सुरक्षा जमा राशि या पीबीजी की पूर्ण या आंशिक जब्ती या समायोजन, आपूर्तिकर्ता को सूचना दिए बिना ;

(घ) अन्य स्रोतों द्वारा माल खरीदने में कंपनी द्वारा किये गये व्यय से अतिरिक्त लागत की वसूली, जो सूचना के बिना हो सकती है;

(च) कंपनी की आपूर्तिकर्ताओं की अनुमोदित सूची से आपूर्तिकर्ता का नाम हटाना;

(छ) निर्णीत हर्जाने की वसूली

(ज) वसूली आपूर्तिकर्ता के किसी भी लंबित बिल (बिलों) में से हो सकती है या भविष्य में भी हो सकती है, जैसा भी मामला हो।

26. जोखिम खरीद: ऑर्डर स्थापनन की स्थिति में यदि सफल निविदाकर्ता कंपनी की संतुष्टि को निर्धारित समय के भीतर निष्पादित करने में विफल रहता है, तो कंपनी आपूर्तिकर्ता / निविदाकार की जोखिम और लागत पर वस्तुओं की खरीद की व्यवस्था करेगी।

27. अप्रत्याशित घटना: हड़ताल /तालाबंदी, कामकाज ठप (पूर्ण या आंशिक), मशीनरी टूटने, ईश्वरीय आपदा या कंपनी के नियंत्रण से परे सामान्य संचालन को रोकने या बाधा डालने वाले अन्य कारणों से, क्षतिपूर्ति या अन्य दावों के लिए आपूर्तिकर्ता को उत्तरदायी किए बिना, माल प्राप्त होने से पहले किसी भी समय कंपनी आपूर्तिकर्ता का आर्डर रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

28. मूल्य गिरावट अनुच्छेद(फॉल क्लॉज): ऑर्डर स्थापनन की स्थिति में सफल निविदाकार द्वारा ऑर्डर की गई सामग्री की कीमतें अनुबंधित अवधि के दौरान किसी भी मामले में सरकारी विभाग/उपक्रम/ग्राहक से लिए गये मूल्यों से अधिक नहीं होगी। और यदि किसी अन्य सफल निविदाकार द्वारा किसी भी सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ग्राहक द्वारा कीमतों में कटौती/कमी प्रभारित की जाती है तो वही इस निविदा पर भी लागू होगी। कीमतों में कमी की सूचना देने की एकमात्र जिम्मेदारी सफल निविदाकर्ता पर होगी।

29. यदि उपकरण / वस्तुएं डीजीएसएंडडी दर अनुबंध पर हैं, तो निविदाकर्ताओं को केवल डीजीएसएंडडी दरों को कोट करना होगा। उस मामले में डीजीएसएंडडी दर अनुबंध की प्रति भी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए। तथापि, यदि उपकरण / वस्तुएं डीजीएसएंडडी दर पर नहीं हैं, तो अनुबंधकर्ता को निविदाओं में यह प्रमाणित करना होगा, “कोट की गई दरें अन्य सरकारी संस्थानों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू दरों के समान हैं।”

30. यदि निविदाकार निर्माता के अधिकृत वितरक हैं, तो निविदाकार को अपने उत्पाद के विपणन के लिए अधिकृत वितरक के रूप में नियुक्त करने वाले अपने नियंत्रक कार्यालयों के वैध प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रति संलग्न करनी होगी।

31. विस्तृत तकनीकी सामग्री / पत्रक / ब्रोशर को पूर्ण विनिर्देश युक्त निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ ड्राइंग भी प्रस्तुत की जाएगा।

32. निविदाकारों को ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए उनके कारखाने (कारखानों) में स्थापित मशीनरी का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

33. पिछले 3 वित्तीय वर्षों की प्रस्तुत की गई मदों / उपकरणों / मॉडल के लिए आपूर्ति की सूची निविदा के साथ नीचे दिये गये प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

कुछ खरीद ऑर्डर की फोटोस्टेट प्रतियां अधिमानतः सरकारी संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भी आवश्यक रूप से निविदा से लगाया जाना चाहिए: -

.....

क्रमांक

खरीद / आपूर्ति / अनुबंध संख्या और दिनांक

कुल मूल्य

नाम, पूरा पता, टेलीफोन नंबर, और कंपनी का संपर्क व्यक्ति।

ऑर्डर निष्पादित या नहीं

आदर्श प्रदर्शन रिपोर्ट (यदि कोई) संलग्न की जाये

.....

34. निविदाकार को बिक्री के बाद सेवा सुविधाओं के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसे सेवा स्टेशन के नाम, पते और टेलीफोन नंबर के साथ नागपुर या उस स्थान से प्रस्तुत किया जाएगा जहां से बिक्री के बाद सेवा प्रदान की जाएगी। यदि कोई सर्विस इंजीनियर नागपुर में तैनात है, तो उसका विवरण भी दिया जा सकता है।

35. कंपनी समानांतर दर अनुबंध में प्रवेश करने या अन्य निविदाकार निविदाकारों/(आपूर्तिकर्ता(आपूर्तिकर्ताओं) के साथ समानांतर खरीद आदेश देने के लिए स्वतंत्र होगी।

36. टेंडरर को अपने निविदा में स्पष्ट रूप से प्रमाणित करना चाहिए कि वे / उनके नियंत्रक कार्यालय जहां कहीं भी लागू हो और आवश्यक हो, उनके द्वारा प्रदान की गई सामग्री के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम 1961 के तहत आवश्यक लाइसेंस रखते हैं।

37. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति या अनुबंध का हिस्सा बनाने वाले किसी भी दस्तावेज को हमारी कंपनी को निविदाकार / आपूर्तिकर्ता को बाध्य करने के लिए प्राधिकारी माना जाएगा। और यदि बाद में यह पता चलता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं था, तो क्रेता बिना किसी पूर्वाग्रह दीवानी और फौजदारी उपाय के लिए ऑर्डर या निविदा को रद्द कर सकता है और निविदाकार / आपूर्तिकर्ता को लागत की वसूली और खरीदार द्वारा किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है।

38. आपूर्तिकर्ता सभी क्रेता की संपत्ति की उचित वापसी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें लेबल वाले विशिष्ट प्रमाणित नमूने शामिल हैं और नुकसान या क्षति के कारण उसके मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

39. हमारी साइट पर सामग्री प्राप्त होने के बाद निरीक्षण किया जाएगा। तथापि, यदि पार्टी के परिसर में सामग्री का निरीक्षण आवश्यक है, तो सामग्री को भेजने से पहले इसे पूरी तरह से प्रारंभिक निरीक्षण माना जाएगा। सामग्री की स्वीकृति या अस्वीकृति केवल अंतिम निरीक्षण के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिसे हमारी साइट पर किया जाएगा।

40. निविदा के प्राधिकृत प्रतिनिधि (एक) को उचित प्राधिकरण पत्र के साथ निविदा खुलने के समय भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है जिसके बिना प्रतिनिधि को निविदा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। विजिटिंग कार्ड को निविदा खुलते समय में भाग लेने वाले व्यक्ति / प्रतिनिधि की पहचान के प्रामाणिक / वैध दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा।

41. किसी भी ऐसे प्रतिनिधि को निविदा खोलने के समय शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी निविदा, निविदा की निर्धारित तिथि से पहले प्राप्त नहीं हुई है।

42. हमारी आवश्यकताओं को बदलने या किसी भी कारण बताए बिना किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के साथ आरक्षित है।

43. मूल बिल / चालान के साथ ही अन्य आवश्यक पारगमन दस्तावेजों को डीजीएम (वित्त), मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, "मॉयल भवन" 1-ए, काटोल रोड, नागपुर-440 013 में जमा किया जाना चाहिए। बिल / चालान की प्रति भी माल पाने वाले (कंसाइनी) को सीधे भेजी जाती है। बिल / चालान जमा करते समय कृपया सुनिश्चित करें कि हमारे खरीद ऑर्डर के एस.एल मद क्रमांक का उल्लेख भी प्रत्येक मद के सामने किया जाना चाहिए। अनुरूप खरीद आदेश क्रमांक और दिनांक का अनिवार्य रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर पत्राचार

के लिए भुगतान जारी करने की प्रक्रिया आदि में देरी होने की संभावना है जिसके लिए आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।

44. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर खरीद वरीयता लागू होगी।

45. अधिकार-क्षेत्र: निविदा / अनुबंध ऑर्डर के तहत या उसके बाहर उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, विवाद या मतभेद, केवल नागपुर के न्यायालयों के एकमात्र क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

46. महत्पूर्ण नोट.

(क) "कोई भी फर्म / व्यक्ति जो मॉयल में काम करने वाले कर्मचारियों के रिश्तेदार हैं और जिनके अनुबंधकर्ताओं और कंपनी के साथ व्यापारिक सौदे करने वाले अन्य पक्षों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक संबंध हैं, निविदाओं की पेशकश करने के लिए पात्र नहीं हैं"।

(ख) निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म / व्यक्ति को विधिवत हस्ताक्षरित और मुहरबंद निम्नांकित घोषणा भाग-I यानी तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के साथ प्रस्तुत करना चाहिए।

मैं / हम घोषणा करते हैं कि मैं या हमारे कोई भी साथी मॉयल के किसी भी कर्मचारी के रिश्तेदार नहीं हैं" यदि, निविदा प्रस्तुत करते समय निविदाकर्ता उपरोक्तक घोषणा को प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसका टेंडर बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया जाएगा। और इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

प्रमुख (सामग्री)

फॉर्म – TE 2

GRAM : ORMIX TEL : 0712 -2590050, 2590642 FAX : 0712 -2592360

MANGANESE ORE (INDIA) LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

“MOIL BHAWAN”, 1-A, KATOL ROAD, NAGPUR : 440 013

निविदा प्रस्तुत करने की पद्धति(दो भाग)

क) दो भागों वाली निविदा में भाग-I में “तकनीक और व्यावसायिक बोली” और भाग-II में “मूल्य बोली” शामिल होती है, जिसे निविदा की प्राप्ति की निर्दिष्ट अंतिम तिथि और समय तक स्वीकार किया जाएगा।

ख) भाग-I वाली “तकनीक और व्यावसायिक बोली” को केवल उपस्थित निविदाकर्ताओं की समक्षता में निर्धारित तिथि और समय पर खोला जाएगा।

ग) निविदा के सभी पृष्ठों को टाइप किया जाना चाहिए और निविदाकर्ता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ में विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। दरों को आंकड़े और शब्दों दोनों में दिया जाना चाहिए।

घ) निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसी भी व्यक्ति या अनुबंध का हिस्सा बनाने वाले किसी भी दस्तावेज को हमारी कंपनी को निविदाकार / आपूर्तिकर्ता को बाध्य करने के लिए प्राधिकारी माना जाएगा। और यदि बाद में यह पता चलता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं था, तो क्रेता बिना किसी पूर्वाग्रह दीवानी और फौजदारी उपाय के लिए ऑर्डर या निविदा को रद्द कर

सकता है और निविदाकार / आपूर्तिकर्ता को लागत की वसूली और खरीदार द्वारा किए गए नुकसान के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है।

च) निविदा को यहां दिए गए विवरण के अनुसार 2 अलग-अलग लिफाफे में प्रस्तुत किया जाना चाहिए: -

i) निविदा को अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में क्रमशः चिह्नित किया जाना चाहिए भाग-I "तकनीकी वाणिज्यिक बोली" और भाग-II "मूल्य बोली", भाग- I के ऊपर निविदा जांच संख्या और खोलने की नियत तारीख लिखा जाना चाहिये।

ii) उपरोक्त 2 लिफाफे (यानी लिफाफा जिसमें" तकनीक और व्यावसायिक "शामिल है, जिसमें ईएमडी का विवरण और "मूल्य बोली" का दूसरा लिफाफा शामिल है) को फिर से एक और लिफाफे में रखा जाएगा, जिसके शीर्ष पर निविदा जांच संख्या और उसकी खोलने की नियत तारीख लिखी जाएगी। हम इसके लिए 3 लिफाफे संलग्न कर रहे हैं।

iii) तकनीकी और व्यावसायिक बोली में जहाँ आवश्यक हो तकनीकी साहित्य, पर्चे, चित्र आदि के साथ विस्तृत मापदंड शामिल होना चाहिए। इस बोली में वाणिज्यिक नियम और शर्तें भी होनी चाहिए जैसे आधार मूल्य, कर, शुल्क, वितरण शर्तें, आपूर्ति ऑर्डर प्रतियों के साथ अतीत की आपूर्ति का विवरण देने वाला विवरण, प्रदर्शन रिपोर्ट, यदि कोई हो, आदि, डीजीएस एंड डी, एनएसआईसी आदि के प्रमाणीकरण और पूर्ण पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रतियां, सुरक्षा जमा आईएसआई लाइसेंस, आदि के बारे में पुष्टि और "मूल्य" को छोड़कर कोई भी अन्य वाणिज्यिक शब्द और विवरण दिए जाने की आवश्यकता है।

iv) वे निविदाकर्ता जो वेबसाइट से निविदा जांच को लोड कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए आकार, रंग और विवरण के अनुसार अपने स्वयं के लिफाफे में निविदाएं प्रस्तुत करें: -

.....

(पृष्ठ 103-104 चार्ट डॉक फाइल में)

.....

फॉर्म – TE 3

.....

GRAM : ORMIX TEL : 0712 -2590050, 2590642 FAX : 0712 -2592360

MANGANESE ORE (INDIA) LIMITED

(A GOVT. OF INDIA ENTERPRISE)

“MOIL BHAWAN”, 1-A, KATOL ROAD, NAGPUR : 440 013

.....

(भाग- I के साथ भरा और जमा किया जाना है

(अर्थात तकनीकी और व्यावसायिक बोली)

क) तकनीकी विवरण: निविदा किए गए मदों के पूर्ण तकनीकी विनिर्देश को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। जहां कहीं भी आवश्यक तकनीकी साहित्य, पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, ड्रॉइंग आदि हों, उन्हें भी संलग्न किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। (फॉर्म-TE2 में उल्लिखित विवरण देखें)

ख) व्यावसायिक विवरण:

निम्नलिखित व्यावसायिक विवरणों का उल्लेख किया जाना चाहिए:

1. मूल्य शर्त:

(कृपया निर्दिष्ट करें कि क्या उद्धृत मूल्य सीधे कार्यस्थल से/प्रेषण स्थल तक सड़क से माल ढुलाई/गंतव्य तक माल ढुलाई) के लिए है।

2. पैकिंग शुल्क (% में या रुपयों में)

3. उत्पाद शुल्क (%में)

4. कर (राज्य बिक्री कर/वैट/फॉर्म 'सी' के निमित्त सीएसटी%में)

5. माल ढुलाई और अग्रेषण शुल्क (रुपयों में)

6. पारगमन बीमा शुल्क (रुपयों में)

7. भुगतान शर्त

8. वितरण अनुसूची(कार्यक्रम)

9. निविदा की वैधता

10. बयाना राशि जमा करने का विवरण।

11. बीआईएस लाइसेंस की प्रति स्पष्ट रूप से लाइसेंस नंबर और इसकी वैधता को स्पष्टता से दिखाने वाली (जहाँ भी आईएसआई चिह्नित वस्तुओं के लिए निविदाएँ बुलाई जाती हैं।)

12. जहां भी लागू हो, प्रमाण पत्र की प्रति के साथ एनएसआईसी / डीजीएस एंड डी/ बीआईएस पंजीकरण का विवरण संलग्न होना चाहिए।

13. मूल्य भिन्नता अनुच्छेद, यदि कोई हो।

(निविदाकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे स्थिर मूल्य कोट करें).

14. फॉर्म-टीई 1 के निविदा सूचना आमंत्रण के निर्णीत हर्जाना अनुच्छेद संख्या 24 की स्वीकृति की पुष्टि करें।

15. निविदा आमंत्रण सूचना के बैंक प्रदर्शन गारंटी फॉर्म टीई 1 से अनुच्छेद संख्या 17 की स्वीकृति की पुष्टि करें।

16. फॉर्म टीई 1 के अनुच्छेद संख्या 3 के अनुसार पिछली आपूर्ति की सूची जमा करें।

17. फॉर्म टीई 1 के अनुच्छेद संख्या 22 के अनुसार गारंटी अवधि की स्वीकृति की पुष्टि करें।

18. फॉर्म टीई 1 के अनुच्छेद संख्या 23 के अनुसार अनुशंसित पुर्जों की सूची प्रस्तुत करें।

19. पते के साथ निरीक्षण के स्थान का उल्लेख यहां किया जा सकता है।

20. रखरखाव नियमावली के दो सेट की निःशुल्क आपूर्ति की पुष्टि करें, जिसमें प्रचालन रखरखाव नियमावली, कलपुर्जों का कैटलॉग और कारखाना नियमावली को ऑर्डर वृत्तांत में शामिल किया गया है। कृपया विस्तार से बताएं

21. पता और स्थान जहां से बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान की जाएंगी उनका उल्लेख संपर्क व्यक्ति, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, आदि के साथ यहां किया जा सकता है।

22. निर्माण और प्रवर्तन शुल्क (कृपया कार्य का दायरा निर्दिष्ट करें)।

23. मूल मूल्य बोली की फोटोकॉपी लेकिन **बिना कीमतों को निर्दिष्ट करते हुए**, को भी पार्ट-I बोली (यानी तकनीकी और व्यावसायिक बोली) को भी संलग्न किया जाना चाहिए। यह जरूरी है।

24. फॉर्म-टीई 1 में महत्वपूर्ण नोट के अनुच्छेद संख्या 4 (ख) के अनुसार घोषणा।

25. निविदाकर्ता को यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने निविदा के साथ वैध एसटीसीसी (बिक्री कर भुगतान प्रमाणपत्र) जमा किया है।

26. कोई अन्य व्यावसायिक विवरण।

प्रमुख (सामग्री)

.....

ख. निविदाकर्ता (निविदाकर्ताओं) द्वारा भाग-I तकनीकी और वाणिज्यिक बोली के साथ, अन्य आवश्यक पुष्टियां भी जमा की जानी चाहिये।

1.उत्पाद शुल्क:

क) यदि टर्न ओवर के आधार पर स्लैब दरों में उत्पाद शुल्क देय है, तो निविदाकर्ता को स्पष्ट रूप से "मॉयल" को कोट की गयी वितरण अवधि के दौरान आपूर्ति के लिए निविदा में शामिल निविदा मात्रा / मूल्य के लिए लागू दर का उल्लेख करना चाहिए, यह मानते हुए कि ऑर्डर का स्थापनन वैध अवधि के अंदर हुआ है। यदि कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, तो मद के लिए लागू उत्पाद शुल्क की अधिकतम दर के साथ निविदा को लोड किया जाएगा और उसके अनुसार निविदा का मूल्यांकन किया जाएगा।

ख) किसी भी स्थिति में, निविदाकर्ता को उत्पाद शुल्क और कर प्रभार्य तत्वों पर अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, जब भी, स्लैब उत्पाद शुल्क या बिक्री कर लागू होते हैं और निविदाकर्ता कम स्लैब का संकेत देते हुए निविदा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि स्लैब में वृद्धि होने पर भी वही उत्पाद शुल्क स्लैब या बिक्री कर लागू होगा, भले ही उनके निविदा में वृद्धि हुई हो, तुलना / मूल्यांकन उद्देश्य के लिए वस्तुओं के लिए लागू अधिकतम उत्पाद शुल्क या बिक्री कर के साथ लोड किया जाएगा।

ग) यदि निविदाकर्ता स्पष्ट रूप से लागू किए गए उत्पाद शुल्क की स्लैब दरों का उल्लेख करता है, तो जैसा कि ऊपर बिंदु क्रमांक क) में उल्लिखित है, मॉयल उसके मुताबिक उत्पाद शुल्क का भुगतान करेगा अर्थात जैसा कि अपनी मूल निविदा में निविदाकर्ता द्वारा घोषित किया गया था। तथापि, यदि निविदा में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर (क) में उल्लिखित है, किसी भी मामले में उत्पाद शुल्क का भुगतान किसी भी परिस्थिति में उच्च स्लैब दर से नहीं किया जाएगा, चाहे जो भी कारण हो, तब भी जब निविदाकर्ता ने बाद की तारीख में उच्च स्लैब दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया होः-

घ) यदि कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, और ऊपरोक्त के बिंदु संख्या ख) के अनुसार निविदाकर्ता अस्पष्ट है, तो निविदाकर्ता को वस्तु और निविदा के लिए लागू उत्पाद शुल्क और / या बिक्री कर की अधिकतम दर के साथ लोड किया जाएगा और तदनुसार बाद में इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

2. क). निविदाकर्ता जिन्होंने डीजीएस एंड डी दर अनुबंध के अनुसार निविदा दी है, कृपया पूर्ण डीजीएस एंड डी दर अनुबंध की फोटोकॉपी जमा करें। जमा की पुष्टि करें।

ख) यदि मद डीजीएस एंड डी आर / सी के तहत कवर नहीं है, तो निविदाकर्ता को निम्नलिखित प्रमाणित करना चाहिए:

“प्रमाणित किया जाता है कि कोट की गई दर / मूल्य सबसे कम है और यह कि हम किसी निविदा दर / मूल्य किसी अन्य सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / ग्राहक से कम नहीं वसूल रहे हैं। ”

3. उपकरण / वाहन / मशीनरी / आदि के लिए निविदा जांच के मामले में लागू।

क) निविदाकर्ता (ओईएम) को यह पुष्टि करनी होगी कि ऑर्डर स्थानान्न करने के स्थिति में वे वार्षिक दर अनुबंध के निमित्त मॉयल को सीधे कल पुर्जों / सहायक उपकरणों की आपूर्ति करने के लिए तैयार हैं, जो कि वे कोल इंडिया लिमिटेड, और इसकी सहायक कंपनियों सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को कर रहे हैं।

ख) निविदाकर्ता(ओईएम) को उन सरकारी विभाग / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / ग्राहक के नाम का उल्लेख करना होगा जिन्हें वे कल पुर्जों/ सहायक उपकरणों की

आपूर्ति सीधे तौर पर दर अनुबंध के निमित्त कर रहे हैं।(अल्पावधि / दीर्घकालिक / डिपो व्यवस्था / किसी अन्य प्रकार का अनुबंध)

ग) निविदाकर्ता (ओईएम) ऊपर उल्लिखित बी) के तहत कल पुर्जों / सामानों की आपूर्ति के लिए दर अनुबंध की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।

घ) यदि निविदाकर्ता (ओईएम) ऊपर उल्लिखित ख) के अनुसार अतीत या वर्तमान में कल पुर्जों / सहायक उपकरणों की आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का दर अनुबंध नहीं कर रहा है, तो उन्हें उसे प्रमाणित करना चाहिए।

च) यदि निविदाकर्ता (ओईएम) प्रमाणित करता है (जैसा कि ऊपर घ) के तहत उल्लेख किया गया है) कि वे कल पुर्जों / सहायक उपकरण की आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार की दर अनुबंध नहीं कर रहे हैं, निविदाकर्ता को इसकी पुष्टि करनी होगी कि उनके द्वारा कल पुर्जे/सहायक उपकरणों की आपूर्ति उनके अधिकृत आपूर्तिकर्ता के माध्यम से की जा रही है।

यदि हाँ, तो निविदाकर्ता को सभी नियमों और शर्तों, कीमतों आदि को निर्दिष्ट करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य की प्रतिलिपि के साथ आपूर्ति पद्धति का पूरा विवरण प्रस्तुत करने करना होगा।

छ) निविदाकर्ता को जिसके लिए निविदा जमा की गयी है, उसकी बिक्री उपरांत सेवाओं का विवरण जमा करना होगाः

ज) उपकरण / वाहन / मशीनरी अगर वारंटी के तहत विफल रही है और यदि दूसरी बार विफल हो गयी और वारंटी के अंतर्गत नहीं है।

ii) वारंटी अवधि के दौरान और वारंटी अवधि के बाद उपकरण / वाहन / मशीनरी के लिए कल पुर्जों / सहायक उपकरण का सहयोग।

झ) निविदाकर्ता उस न्यूनतम समय की पुष्टि करनी होगी जिसमें वे उपकरण / वाहन / मशीनरी के टूटने की स्थिति में हमारी साइट पर कल पुर्जों / सहायक उपकरणों की आपूर्ति कर सकते हैं।

ख) के तहत उल्लिखित सभी उपनियमों / शर्तों को पुष्ट और स्वीकार किया गया है:

खंड(अनुच्छेद) संख्या	पुष्टि
1. क), ख), ग) और घ)	1) नोट किया, स्वीकार किया और तदनुसार निविदा जमा
2.क)	* जमा किया/जमा नहीं
ख)	*हां, प्रमाणपत्र जमा/लागू नहीं
3. क)	हां/नहीं
ख)	*विवरण जमा/लागू नहीं
ग)	संलग्न/संलग्न नहीं
घ)	I) आर/सी प्रमाणपत्र जमा नहीं ii) आर/सी विवरण जमा
च)	*विवरण जमा/लागू नहीं
छ) i और ii	i), ii), और iii) के लिए विवरण जमा
ज)	विवरण में उल्लिखित

* जो कुछ लागू हो उस पर निशान लगाएँ

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर. और पद :

निविदाकर्ता का नाम:

कंपनी की मुहर.:

दिनांक :

.....

अनुलग्नक-IV

सत्यनिष्ठा समझौता

दिनांक_____ _____2007 को , नागपुर में, निम्नलिखित दो गवाहों की उपस्थिति में, यह सत्यनिष्ठा समझौता निष्पादित किया जा रहा है मैंगनीज ओर(इंडिया) लिमिटेड इसे आगे चलकर "प्रिंसिपल / एमआईएल" के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है

और ---------- के बीच जिसे इसके बाद "बोलीदाता/अनुबंधकर्ता" के रूप में जाना जाएगा। (यह अभिव्यक्ति में शामिल होंगे उसके सभी भागीदारों / निदेशक, एजेंट, प्रतिनिधि, सेवक, उप-ठेकेदार (जहां भी अनुमति / मुनासिब हो) और इसके माध्यम से दावा करने वाले सभी व्यक्तियों सहित इसके सरोकारों में उत्तराधिकारी आदि शामिल होंगे)

चूंकि, यह इस्पात मंत्रालय, नई दिल्ली और केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि भारत सरकार के उपक्रम आगामी रु.15 करोड़ के निर्धारित / निर्दिष्ट मूल्य से ऊपर आने वाले सभी अनुबंधों / निविदा प्रक्रियाओं में अनुबंधित पक्षों / बोलीदाताओं के साथ सत्यनिष्ठा समझौते को निष्पादित करेंगे, अतः ऐसी पार्टियों के बीच अखंडता समझौते को कार्यान्वित करना आवश्यक है।

उसी का अनुसरण करते हुए इस सत्यनिष्ठा समझौते को क्रियान्वित किया जा रहा है। सत्यनिष्ठा समझौते के नियम और शर्तें निम्नानुसार हैं: -

मॉयल की प्रतिबद्धता

अनुभाग I

प्रधान होने के नाते, मॉयल भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए और सभी प्रतिबद्धताओं के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए स्वयं आवश्यक कदम उठाता है: -

क) प्रधान (मॉयल) का कोई भी अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से या परिवार के माध्यम से ऐसे किसी भी परितोषण की मांग नहीं करेगा या उसे स्वीकार नहीं करेगा/करेगी, जिसके लिए वह किसी भी अनुबंध/ अनुबंधित पक्षों से हकदार नहीं है।

ख) निविदा प्रक्रिया के दौरान प्रधान (मॉयल) सभी बोलीदाताओं / निविदाकर्ताओं के साथ एकसमान व्यवहार करेगा और सभी सफल होने का उचित और समान अवसर देगा।

ग) प्रधान (मॉयल) सभी बोलीदाताओं को समान जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

घ) प्रधान (मॉयल) किसी भी बोली लगाने वाले को ऐसी कोई भी गोपनीय जानकारी उपलब्ध नहीं कराएगा जो उसे दूसरों पर बढ़त दिलाए।

च) प्रधान (मॉयल) अनुबंध अधिनिर्णय के विवरण को सार्वजनिक करेगा

छ) प्रधान (मॉयल) किसी भी ऐसे अधिकारी को पृथक कर देगा जो पूर्वाग्रह से ग्रसित पाया जाता है या बोली लगाने वालों से निपटने में उसके सरोकारों का संघर्ष होता हो।

ज) प्रधान (मॉयल) प्रतिबद्धता के उल्लंघन का दोषी पाए जाने पर, अपने अधिकारियों के खिलाफ, निर्धारित नियमों के अनुसार उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा।

बोली लगाने वालों की प्रतिबद्धता

अनुभाग-II

बोलीदाता/अनुबंधकर्ता, निविदा प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार में शामिल नहीं होने के लिए खुद को सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, साथ ही अनुबंध के क्रियान्वयन के अलावा निम्नांकित के लिएः

क) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता मॉयल के किसी भी कर्मचारी को ऐसी किसी परितोषण/लाभ की पेशकश या वादा नहीं करेगा, जिसके लिए वह निविदा प्रक्रिया से संबंधित या अनुबंध के निष्पादन के दौरान अनुचित अनुग्रह / लाभ या जानकारी प्राप्त करने के लिए कानूनी रूप से हकदार नहीं है।

ख) बोलीदाता / अनुबंधकर्ता निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया को पटरी से उतारने / उसमें बाधा डालने के लिए अन्य दावेदारों / अनुबंधकर्ताओं के साथ मूल्य निर्धारण या अन्य अनैतिक समझौता जैसे कार्टेल निर्माण नहीं करेंगे।

ग) निविदाकर्ता मॉयल द्वारा दस्तावेजों / अनुबंधों के हिस्से के रूप में प्रदान की गई गोपनीय जानकारी अन्य बोलीदाता / अनुबंधकर्ताओं को नहीं देंगे।

घ) अनुबंध / निविदा प्रक्रिया के अधिनिर्णय के संबंध में जहां भी ऐसी व्यवस्था अनुमन्य है, बोलीदाता / अनुबंधकर्ता सभी एजेंटों / मध्यस्थों को किए गए भुगतानों के बारे में खुलासा करेंगे।

च) किसी भी अवैध परितोषण या रिश्वत का भुगतान करने के लिए कहा जाने पर, मॉयल के किसी कर्मचारी द्वारा इस सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन करते हुए, या किसी भी कर्मचारी को किए गए किसी भी अवैध भुगतान का पता चलता है तो बोलीदाता / अनुबंधकर्ता मॉयल को तुरंत सूचित करेगा। बोलीदाता / अनुबंधकर्ता दलाली या चूकवश ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, जो वर्तमान सत्यनिष्ठा समझौते के निहितार्थ को नष्ट करने वाला हो।

उल्लंघन और जुर्माना

अनुभाग - III

बोलीदाता / अनुबंधकर्ता, यदि सत्यनिष्ठा समझौते के विभिन्न अनुभागों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो निम्नलिखित दंड के लिए उत्तरदायी होगा: -

क) मॉयल बोलीदाता / अनुबंधकर्ता निविदा प्रक्रिया से अयोग्य घोषित करने का हकदार होगा।

ख) यदि अनुबंध के अधिनिर्णय के बाद, बोलीदाता को सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, तो मॉयल अनुबंध को समाप्त करने का हकदार होगा।

ग) मॉयल को डिफॉल्ट बोलीदाता/ अनुबंधकर्ता को एक निश्चित अवधि के लिए प्रधान(मॉयल) के भविष्य के अनुबंधों में भागीदारी के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार होगा या अपराध की गंभीरता के आधार पर इसे स्थायी रूप से वर्ज्यसूचीबद्ध करेगा।

घ) यदि बोलीदाता / अनुबंधकर्ता की ओर से सत्यनिष्ठा समझौते के उल्लंघन के कारण अनुबंध समाप्त हो जाता है, तो मॉयल, प्रबंधन द्वारा तय की गई सामग्री की क्षतिपूर्ति पाने के लिए हकदार होगा और यह सभी के लिए बाध्यकारी होगा। प प्रिंसिपल (मॉयल) को सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का भी अधिकार होगा।

च) उल्लंघन और दंड की पूर्वोक्त धाराओं के संबंध में प्रधान (मॉयल) का सीएमडी अंतिम प्राधिकारी होगा। प्रधान (मॉयल) के सीएमडी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और किसी भी चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

स्वतंत्र अनुवीक्षक

Section-IV.

क) प्रधान(मॉयल) के सीएमडी स्वतंत्र अनुवीक्षक की नियुक्ति करेंगे/कर सकते हैं, जो उपयुक्त रूप से योग्य और अनुभवी होंगे, और सत्यनिष्ठा समझौते के त्रुटिहीन कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे, जहां उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता महसूस होगी। सीएमडी, मॉयल द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और दोनों पक्षों के लिए मान्य होगा। स्वतंत्र अनुवीक्षक की नियुक्ति के बारे में लिया गया निर्णय, किसी भी आधार पर चुनौती देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्वतंत्र अनुवीक्षक अ-वैतनिक स्वैच्छिक आधार पर सेवाएं देने वाले होंगे, और उन्हें स्वतंत्र निदेशकों के लाभ प्राप्त होंगे।

ख) स्वतंत्र अनुवीक्षक के पास प्रशासनिक अथवा आदेशों के प्रवर्तन के अधिकार नहीं होंगे, और जब वह सत्यनिष्ठा समझौते की किसी भी स्थिति के उल्लंघन या विचलन का अनुभव करेंगे, तो अपने गैर-बाध्यकारी सुझावों या अनुशंसाओं को मॉयल प्रबंधन को सौंप देंगे।

सामान्य परिस्थितियां

अनुभाग-V

क) यह समझौता भारतीय कानूनों के अधीन है। इस सत्यनिष्ठा समझौते के निष्पादन और प्रदर्शन का स्थान नागपुर होगा। वफ़ादारी संधि से उत्पन्न कोई भी विवाद केवल नागपुर में न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा

ख) बोलीदाता/अनुबंधकर्ता सभी उप-अनुबंधकर्ताओं से सत्यनिष्ठा समझौते के पालन के प्रति प्रतिबद्धता के बारे में लिखित और भावनात्मक रूप में वचन लेगा और उपरोक्त वचन को, जहां भी काम करने की अनुमित हो, उप-अनुबंध प्रारंभ करने से पहले मॉयल को प्रस्तुत करेगा।

ग) जो बोलीदाता / अनुबंधकर्ता, सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, वे निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या अनुबंध को जारी रखने के हकदार नहीं होंगे।

घ) समझौता तब लागू होगा जब मॉयल और बोलीदाता / अनुबंधकर्ता इस पर हस्ताक्षर करेंगे और अंतिम भुगतान के बारह महीने बाद यह समाप्त हो जाएगा।

च) यदि बोलीदाता / अनुबंधकर्ता किसी साझेदारी फर्म या व्यक्तियों का संघ है, तो समझौता सभी साझेदारों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।

छ) मॉयल समय-समय पर संबंधित अधिकारियों और बोलीदाता / अनुबंधकर्ता के साथ समेकित(360 डिग्री) समीक्षा करके सत्यनिष्ठा समझौते की प्रभावशीलता की समीक्षा करेगा।

ज) इस सत्यनिष्ठा समझौते का एक या कुछ प्रावधान अमान्य हो सकते हैं; लेकिन चेतावनी अनुभाग मान्य रहेंगे।

---------- ----------

प्रधान/मॉयल की तरफ से

स्थान:

गवाह संख्या.1 ----------

पदनाम/व्यवसाय-------

पता:

बोलीदाता/अनुबंधकर्ता की तरफ से

स्थान:

गवाह संख्या.2 ----------

पदनाम/व्यवसाय-------

पता: